अंक 33 । संख्या 4 । अप्रैल 2026

विशेष संस्करण

सर्वे भवन्तु सुखिनः

मानव अधिकार

न्यूजलेटर

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत का मासिक प्रकाशन

विचार-विमर्श
बच्चों द्वारा सोशल मीडिया तक पहुंच पर ओपन हाउस चर्चा

रायसीना संवाद 2026
चुनौतीपूर्ण समय में एनएचआरसी की भूमिका

एनएचआरसी, भारत की गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण
(अप्रैल 2025 से मार्च 2026)

विशेष संस्करण

मानव अधिकार

न्यूजलेटर

अंक 33 । संख्या 4 । अप्रेल 2026

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

अध्यक्ष
न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन

सदस्य
न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षड़ंगि
श्रीमती विजया भारती सयानी
श्री प्रियंक कानूनगो

महासचिव
श्री भरत लाल

संपादक
जैमिनि कुमार श्रीवास्तव
उपनिदेशक (मीडिया एवं संचार), एनएचआरसी

यह सामग्री आयोग की वेबसाइट www.nhrc.nic.in पर भी उपलब्ध है। गैर-सरकारी तथा अन्य संगठन आयोग के मानव अधिकार न्यूज़लेटर में प्रकाशित लेखों के व्यापक प्रसार हेतु आयोग का आभार मानते हुए पुन: प्रकाशित कर सकते हैं।

▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन, तमिलनाडु के तेनकासी स्थित एस. थंगपाझम लॉ कॉलेज के आगंतुक विद्यार्थियों के साथ

www.nhrc.nic.in
@India_NHRC
@NationalHumanRightsCommission

▶ नॉर्वेजियन प्रतिनिधिमंडल का दौरा

विषय वस्तु

मासिक विवरण

3 महासचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी की कलम से

विचार-विमर्श

5 बच्चों द्वारा सोशल मीडिया का उपयोग

रायसीना संवाद 2026

8 चुनौतीपूर्ण समय में एनएचआरसी की भूमिका

लेख

9 जल सुरक्षा, मानवीय गरिमा और लैंगिक समानता
11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेप
11 स्वत: संज्ञान
14 राहत के लिए सिफारिशें
15 पीड़ितों को राहत राशि का भुगतान
16 केस स्टडी
16 मौके पर पूछताछ

क्षेत्रीय दौरे

17 एनएचआरसी, भारत के सदस्य द्वारा किये गये दौरे
17 विशेष प्रतिवेदक और विशेष मॉनिटर

क्षमता निर्माण

20 ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप
22 प्रशिक्षण कार्यक्रम
24 ज्ञानार्जन दौरे
26 मूट कोर्ट
27 अन्य इन-हाउस प्रशिक्षण

पुरस्कार

28 एनएचआरसी द्वारा लघु फिल्म प्रतियोगिता 2025 के विजेताओं की घोषणा

अंतरराष्ट्रीय मंच पर एनएचआरसी

29 प्रतिनिधिमंडल की यात्राएँ
30 ऑनलाइन सहभागिता
31 राज्य मानव अधिकार आयोगों से समाचार
35 संक्षेप में समाचार
35 मार्च 2026 में प्राप्त शिकायतें
36 अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक एनएचआरसी की गतिविधियों का सारांश

RNI No. 61957/95

मासिक विवरण

महासचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी की कलम से

अप्रैल 2026 के इस विशेष न्यूज़लेटर को प्रस्तुत करते हुए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत के कार्यों के माध्यम से मानव अधिकारों के बदलते परिदृश्य पर विचार करने का यह उपयुक्त अवसर है। तेजी से बदलते सामाजिक-आर्थिक और तकनीकी संदर्भ में, हमारा ध्यान उत्तरदायी और नागरिक-केंद्रित संस्थागत कार्रवाई के माध्यम से अधिकारों की प्रभावी प्राप्ति सुनिश्चित करने पर है।

पिछले एक महीने के दौरान, आयोग के दायित्व के केंद्र में उसकी शिकायत निवारण प्रक्रिया रही, जो जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण साधन बनी हुई है। मार्च 2026 के दौरान किए गए विभिन्न हस्तक्षेप, जिनमें रिपोर्ट किए गए उल्लंघनों पर सोलह स्वतः संज्ञान और राहत के लिए सिफारिशें शामिल हैं, एक सक्रिय और उत्तरदायी संस्थागत दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। केस स्टडी और मौके पर पूछताछ पर दिया गया जोर प्रणालीगत जवाबदेही को और मजबूत करता है, क्योंकि इससे कमियों की पहचान होती है और प्राधिकरणों को सुधारात्मक कार्रवाई के लिए प्रेरित किया जाता है। इस अवधि के दौरान प्राप्त 2,672 शिकायतें न केवल मानव अधिकार संबंधी चिंताओं की निरंतरता को दर्शाती हैं, बल्कि संस्थागत तंत्रों में नागरिकों के बढ़ते विश्वास को भी उजागर करती हैं। प्रत्येक शिकायत केवल एक समस्या का प्रतिनिधित्व नहीं करती, बल्कि शासन प्रणाली में सुधार, सुरक्षा उपायों को मजबूत करने और पारदर्शिता को बढ़ावा देने का एक अवसर भी प्रदान करती है। इस प्रकार, शिकायत निवारण प्रक्रिया सुधार और संस्थागत सीख का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन जाती है।

आयोग के कार्य का एक अन्य महत्वपूर्ण आयाम उभरते हुए चिंताओं के क्षेत्रों पर उसका ध्यान केंद्रित करना है। 'बच्चों द्वारा सोशल मीडिया तक पहुँच' पर आयोजित ओपन हाउस चर्चा इस दूरदर्शी दृष्टिकोण का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। तेजी से डिजिटल होते विश्व में, बच्चों के सामने नए अवसरों के साथ-साथ जटिल जोखिम भी मौजूद हैं। इनसे निपटने के लिए अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और पहुँच को सक्षम बनाने के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन आवश्यक है। बहु-हितधारक संवाद को प्रोत्साहित करके आयोग जागरूक और भविष्य के लिए तैयार नीति-निर्माण में सक्रिय योगदान दे रहा है

इस माह में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस और विश्व जल दिवस जैसे महत्वपूर्ण अवसर भी मनाए गए, जिन्होंने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और प्राकृतिक संसाधनों तक सतत पहुंच सुनिश्चित करने की आवश्यकता की याद दिलाई। इस संदर्भ में, जल, जेंडर और सामुदायिक भागीदारी से संबंधित चर्चाओं के माध्यम से पर्यावरणीय स्थिरता, सामाजिक समानता और गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार के बीच अंतर्संबंधों को उजागर किया गया। ये विषय समावेशी विकास और अधिकार-आधारित शासन पर आयोग के व्यापक जोर देने के साथ दृढ़ता से मेल खाते हैं।

वास्तव में, जल तक पहुँच गरिमा, समानता और समावेशी विकास के लिए मूलभूत बनी हुई है, और यह स्वच्छता तथा लैंगिक न्याय से घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। यद्यपि उल्लेखनीय प्रगति हुई है, लेकिन सतत और जलवायु-लचीले परिणामों के लिए समुदाय-नेतृत्व वाले शासन, डेटा-आधारित प्रणालियाँ और जल प्रबंधन के एकीकृत दृष्टिकोण आवश्यक होंगे। आशा है कि इस संस्करण में शामिल मेरा मुख्य भाषण के अंशों पर आधारित लेख भारत में इस दिशा में हुई प्रगति का संक्षिप्त विवरण प्रदान करेगा।

विशेष प्रतिवेदकों और विशेष मॉनिटर द्वारा किए गए क्षेत्रीय दौरों से विभिन्न क्षेत्रों की जमीनी हकीकतों के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिलती रही। समुदायों के साथ उनके अवलोकन और संवाद से अधिक सटीक सिफारिशें तैयार करने में मदद मिली और व्यवस्थागत मुद्दों के समाधान में आयोग के साक्ष्य-आधारित दृष्टिकोण को मजबूती मिली।

क्षमता निर्माण और जागरूकता सृजन आयोग की रणनीति का मुख्य केंद्र बिंदु बना हुआ है। इंटर्नशिप, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, अकादमिक सहयोग और जनसंपर्क पहलों के माध्यम से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अधिक जागरूक और सक्रिय नागरिकों का निर्माण कर रहा है। इन पहलों में युवाओं की सक्रिय भागीदारी मानव अधिकार संबंधी चर्चा में हितधारकों और योगदानकर्ताओं के रूप में उनकी बढ़ती भूमिका को दर्शाती है।

आयोग की लघु फिल्म प्रतियोगिता को मिली सशक्त प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने में रचनात्मक भागीदारी की शक्ति को और भी

स्पष्ट रूप से दर्शाती है। चयनित फिल्में, जो लैंगिक असमानता, श्रम अधिकार और हाशिए पर पड़े समुदायों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों जैसे विषयों पर आधारित हैं, समकालीन भारत में मानव अधिकार संबंधी चिंताओं की विविधता और तात्कालिकता को रेखांकित करती हैं।

इस न्यूज़लेटर में राज्य मानव अधिकार आयोगों के कार्यों पर भी प्रकाश डाला गया है, और क्षेत्र-विशिष्ट चुनौतियों से निपटने में विकेंद्रीकृत तंत्रों के महत्व को रेखांकित किया गया है। देश भर में अधिक सुसंगत और प्रभावी मानव अधिकार ढांचा तैयार करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य संस्थानों के बीच मजबूत समन्वय आवश्यक है।

एनएचआरसी के तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की सक्रिय भागीदारी उसके राष्ट्रीय प्रयासों की पूरक है। वैश्विक संवादों में भागीदारी, सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान और अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ सहयोग मानव अधिकारों को आगे बढ़ाने में साझा ज्ञान और सामूहिक प्रगति के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

इस माह की महत्वपूर्ण घटना विदेश मंत्रालय द्वारा ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित रायसीना संवाद 2026 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) के नेतृत्व की भागीदारी रही। इस प्रतिष्ठित मंच ने संघर्ष, असमानता और विस्थापन से चिह्नित तेजी से बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य में मानव अधिकारों के भविष्य पर विचार-विमर्श करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया। चर्चाओं में जमीनी हकीकतों के प्रति संवेदनशील रहते हुए वैश्विक मानव अधिकार ढांचों को मजबूत करने के महत्व पर बल दिया गया।

इस संवाद का एक प्रमुख निष्कर्ष वैश्विक दक्षिण के लोगों की आवाज़ को बुलंद करने की आवश्यकता थी। जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता और सामाजिक-आर्थिक असमानताओं सहित मानव अधिकारों से संबंधित कई गंभीर मुद्दे विकासशील देशों में सबसे अधिक तीव्रता से प्रभावित होते हैं। यह मान्यता बढ़ती जा रही है कि वैश्विक प्रतिक्रियाओं का आधार समावेशिता, पारस्परिक सम्मान और संदर्भ-संवेदनशील दृष्टिकोण होना चाहिए। ऐसे मंचों पर आयोग की भागीदारी एक अधिक संतुलित और प्रतिनिधि वैश्विक मानव अधिकार विमर्श को आकार देने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

न्यूज़लेटर में अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा की गई व्यापक गतिविधियों की झलक प्रस्तुत करने वाला एक समर्पित खंड भी शामिल है। ये गतिविधियां उन प्रयासों की निरंतरता को दर्शाती हैं जिनमें हस्तक्षेप, परामर्श, जनसंपर्क और जागरूकता पहलें शामिल हैं और विविध संदर्भों में मानव अधिकारों के संरक्षण तथा संवर्धन के प्रति आयोग की सतत प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती हैं।

भविष्य में, डिजिटल परिवर्तन और पर्यावरणीय चिंताओं से लेकर श्रम संबंधी बदलती परिस्थितियों तक, चुनौतियों के बदलते स्वरूप को देखते हुए निरंतर सहभागिता, नवाचार और समावेशी नीति निर्माण की आवश्यकता होगी। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत संवाद, संस्तुतियों और संस्थागत कार्रवाई के माध्यम से इन चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा।

अंततः, मानव अधिकारों का संरक्षण और संवर्धन संस्थाओं और समाज के बीच एक साझा प्रतिबद्धता पर निर्भर करता है। जवाबदेही, समावेशिता और गरिमा के सम्मान को बढ़ावा देकर और राष्ट्रीय प्रयासों को संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप ढालकर, यह सुनिश्चित करना संभव है कि मानव अधिकारों को न केवल कायम रखा जाए, बल्कि सभी के लिए सार्थक रूप से साकार भी किया जाए।

~~आशा है कि~~ पाठकों को इस अंक से जुड़ने पर, इसमें शामिल विविध लेख, रिपोर्ट और जानकारियाँ उन्हें ज्ञानवर्धक और विचारोत्तेजक अनुभव प्रदान करेंगी। इसका उद्देश्य न केवल जानकारी देना है, बल्कि मानव अधिकारों को आगे बढ़ाने में साझा जिम्मेदारी के प्रति चिंतन, संवाद और जागरूकता को प्रोत्साहित करना भी है।

[भरत लाल]

विचार-विमर्श

बच्चों द्वारा सोशल मीडिया का उपयोग

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने मानव अधिकारों से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए कई कोर ग्रुप गठित किए हैं। इन समूहों में संबंधित मंत्रालयों के विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया जाता है। कोर ग्रुप की बैठकों के अलावा, आयोग मानव अधिकारों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विभिन्न हितधारकों के साथ ओपन हाउस चर्चाओं का आयोजन भी करता है। आयोग ने 16 मार्च, 2026 को 'बच्चों द्वारा सोशल मीडिया तक पहुंच' विषय पर ऐसी ही एक ओपन हाउस चर्चा का आयोजन किया।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षड़ंगि; महासचिव श्री भरत लाल; सचिव एमआईटीवाई श्री एस. कृष्णन; महानिदेशक (अन्वेषण) श्रीमती अनुपमा नीलेकर चंद्र; रजिस्ट्रार (विधि) श्री जोगिंदर सिंह; संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार और श्रीमती साईडिंगपुई छकछुआक; साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, वैधानिक निकाय, शिक्षाविद, संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ, संयुक्त राष्ट्र संगठन और नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

यह चर्चा भारत और विश्व भर में अभिभावकों, शिक्षकों और नीति निर्माताओं के बीच बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग और हानिकारक सामग्री से बचाव के लिए बाल संरक्षण उपायों की अपर्याप्तता को लेकर बढ़ती चिंताओं के मद्देनजर आयोजित की गई थी। वैश्विक स्तर पर, ऑनलाइन बच्चों की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के कारण कई देशों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के लिए आयु-आधारित प्रतिबंध और कड़ी जवाबदेही के उपाय लागू करने या उन पर विचार करने का निर्णय लिया है, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया में हाल के कानूनी घटनाक्रमों में देखा गया है। बच्चों के कल्याण और अधिकारों को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत ने हितधारकों से संपर्क कर एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार-विमर्श किया: क्या इसी तरह के आयु-आधारित प्रतिबंध बच्चों को सोशल मीडिया के लाभों से वंचित किए बिना ऑनलाइन सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं?

इस संदर्भ में, एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष ने प्रतिभागियों से तीन प्रश्न पूछे। पहला, क्या बच्चों की सोशल मीडिया तक पहुंच पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है या केवल एक निश्चित आयु तक इसे विनियमित करना? दूसरा, यह कौन करेगा, राज्य विधानमंडल या संसद? तीसरा, बच्चों की सोशल मीडिया तक पहुंच को किस हद तक सीमित किया जा सकता है? उन्होंने कहा कि भारत अब तक विश्व में सर्वोत्तम कानूनों वाला देश रहा है, लेकिन उनका क्रियान्वयन भी चिंता का विषय रहा है। इसलिए, देश को इस समस्या के लिए लागू करने योग्य और व्यावहारिक समाधान खोजने होंगे। प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कानून पूरे देश में एक समान होना चाहिए।

उन्होंने आगे कहा कि जहां डिजिटल निष्ठा, डिजिटल स्वच्छता और डिजिटल लत पर चर्चा होती है, वहीं डिजिटल अनुशासन पर कोई चर्चा नहीं होती। उन्होंने विशेषज्ञों से प्रवर्तन को अधिक प्रभावी बनाने के तरीके सुझाने का आग्रह किया।

चर्चा के दौरान, एनएचआरसी के सदस्य, न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षड़ंगि ने कहा कि सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के बजाय उसकी पहुंच को विनियमित करना बेहतर हो सकता है। उन्होंने कहा कि आज की प्रौद्योगिकी-प्रधान दुनिया में, हम अपने बच्चों को प्रौद्योगिकी के लाभों से वंचित नहीं कर सकते। उन्होंने सभी भौगोलिक और सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए समान डिजिटल अवसर और सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एक समान केंद्रीय कानून की आवश्यकता पर बल दिया।

इससे पहले अपने शुरूवाती टिप्पणियों में, एनएचआरसी भारत के महासचिव श्री भरत लाल ने चर्चा के तीन तकनीकी सत्रों का संक्षिप्त विवरण दिया: ii) बच्चों पर सोशल मीडिया के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों को समझना; ii) भारतीय नियामक ढांचे का आकलन; और iii) बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच पर आयु-आधारित प्रतिबंधों/प्रतिबंध का मूल्यांकन। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के लाभ और हानि दोनों हैं। भारत में बड़ी संख्या में बच्चे स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं और सोशल मीडिया तक उनकी पहुंच है। उन्होंने वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट 2024 का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि 14-16 आयु वर्ग में 76% बच्चे सोशल मीडिया तक पहुंचने के लिए स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं, जबकि 57% बच्चे

▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने कहा कि देश को बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग की समस्या के लिए लागू करने योग्य और व्यावहारिक समाधान तलाशने चाहिए

शैक्षिक उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग करते हैं। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग साइबर बुलिंग, डेटा गोपनीयता से संबंधित शोषण, बच्चों के यौन शोषण और साइबर धोखाधड़ी के लिए भी किया जा रहा है। इसलिए, उन्होंने बच्चों की सोशल मीडिया तक पहुंच के मुद्दे से निपटने के लिए 'संतुलित दृष्टिकोण' अपनाने का आह्वान किया और विशेषज्ञों से इस विषय पर समग्र दृष्टिकोण से विचार-विमर्श करने का अनुरोध किया। उन्होंने निजता के साथ-साथ बच्चों के समग्र स्वास्थ्य, विशेष रूप से डिजिटल युग में उनके मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी बात की।

श्री लाल ने बाल यौन शोषण सामग्री (सीसैएम) के उत्पादन, वितरण और उपभोग के विरुद्ध बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए 2023 में जारी एनएचआरसी की परामर्शी पर प्रकाश डाला, जिसे उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। इस परामर्शी में ऑनलाइन सीसैएम के उत्पादन, प्रसार और उपभोग को रोकने के लिए कानूनी, संस्थागत, तकनीकी और पीड़ित सहायता तंत्र को मजबूत करने पर जोर दिया गया है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के सचिव श्री एस. कृष्णन ने मंत्रालय द्वारा किए जा रहे कार्यों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया और कहा कि सरकार डिजिटल क्षेत्र को अधिक विनियमित बनाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि वह सामाजिक चिंताओं और उन्हें संबोधित करने की तात्कालिकता को समझती है। फरवरी 2026 में, मंत्रालय ने कृत्रिम रूप से तैयार की गई सामग्री के लेबलिंग को अनिवार्य किया और उन सोशल मीडिया पोस्ट्स पर प्रतिबंध लगाया जो कानूनों का उल्लंघन करते हैं। इस संदर्भ में उन्होंने सामग्री विनियमन में उचित संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने डिजिटल पहुँच को सार्वजनिक अवसंरचना के रूप में समझने का भी आह्वान किया।

आई4सी की उप निदेशक श्रीमती ऐश्वर्या डोंगरे ने एनिमेशन के रूप में अनुचित सामग्री की बढ़ती उपलब्धता पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि बाल यौन शोषण सामग्री का पता लगाने और उससे निपटने के लिए किस प्रकार सक्रिय कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने डिजिटल युग में बच्चों को जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए सशक्त बनाने का आह्वान किया। एनएचआरसी के विशेष मॉनिटर डॉ. मुक्तेश चंदर ने बेहतर नियंत्रण और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए इंटरनेट गेटवे को विनियमित करने का सुझाव दिया।

एनसीपीसीआर के सदस्य सचिव डॉ. संजीव शर्मा ने कहा कि कानून बनाने के अलावा, सोशल मीडिया के फायदे और नुकसान के बारे में बच्चों और अभिभावकों को जागरूक करने के लिए एक अभियान की आवश्यकता है। कर्नाटक के महिला एवं बाल विकास विभाग के एकीकृत बाल संरक्षण निदेशालय की निदेशक डॉ. स्नेहा (केएएस) ने कहा कि कर्नाटक सरकार बच्चों की सोशल मीडिया तक पहुंच के संबंध में दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दे रही है। गोवा के सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार विभाग के निदेशक श्री कबीर के. शिरगांवकर और दिल्ली के महिला एवं बाल विकास विभाग की बाल संरक्षण विकास इकाई के उप निदेशक श्री सैयद मोहसिन अली ने कहा कि उनकी संबंधित राज्य सरकारें इस संबंध में नियम बनाने पर विचार कर रही हैं।

▶ 'बच्चों द्वारा सोशल मीडिया का उपयोग' विषय पर ओपन हाउस चर्चा जारी

स्नेहा फाउंडेशन की डॉ. लक्ष्मी विजय कुमार ने कहा कि 16 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क की अनुकूलनशीलता को देखते हुए, अस्थायी प्रतिबंध से सुरक्षा उपाय विकसित करने का समय मिल सकता है। यूनिसेफ में संचार, वकालत और साझेदारी की प्रमुख सुश्री ज़ैफ्रिन चौधरी ने हितधारकों, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, के साथ उचित परामर्श के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिबंधों का समर्थन किया। यूनिसेफ की बाल संरक्षण विशेषज्ञ सुश्री शर्मिला राय ने व्यवहार संबंधी मुद्दों को संबोधित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। एनफोल्ड इंडिया में पुनर्स्थापनात्मक प्रथाओं की प्रमुख सुश्री स्वागता राहा ने कहा कि बच्चों की सोशल मीडिया तक पहुँच के लिए नियम अपनाने से पहले साक्ष्य-आधारित दृष्टिकोण आवश्यक होगा। उन्होंने यह भी बताया कि सोशल मीडिया किस प्रकार एक समानता लाने वाले माध्यम के रूप में कार्य करता है और सामाजिक बाधाओं को तोड़ता है।

कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन के कार्यकारी निदेशक श्री राकेश सेंगर ने इस बात पर जोर दिया कि बच्चों की सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की होनी चाहिए, जिसके लिए सख्त नियमन और वास्तविक समय की निगरानी आवश्यक है। एनआईएमएनएस (एसएचयूटी क्लिनिक) में नैदानिक मनोविज्ञान के प्रोफेसर डॉ. मनोज शर्मा ने इस बात पर बल दिया कि हालांकि डिजिटल पहुंच अब युवाओं की जीवनशैली का अभिन्न अंग है, लेकिन व्यवहारिक "तैयारी" और जीवनशैली में बदलाव पर केंद्रित एक समग्र दृष्टिकोण प्रतिबंधों से कहीं अधिक प्रभावी हो सकता है। सरदार पटेल विद्यालया की प्रधानाचार्या श्रीमती अनुराधा जोशी ने कहा कि सोशल मीडिया का उपयोग न तो अच्छा है और न ही बुरा; यह इस बात पर निर्भर करता है कि कोई इसका उपयोग कैसे करता है। उन्होंने कहा कि उपकरण अकेलेपन को बढ़ावा देते हैं; इसलिए मोबाइल फोन पर सुरक्षा उपाय आवश्यक हैं।

क्राई के अनुसंधान एवं ज्ञान विनिमय विभाग के वरिष्ठ प्रबंधक श्री सौरभ घोष ने बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए निरंतर जागरूकता और क्षमता निर्माण का सुझाव दिया। साइबर वकील और लोक नीति विशेषज्ञ डॉ. कर्णिका सेठ ने कहा कि भारत के नागरिक होने के नाते बच्चों के भी अधिकार हैं; इसलिए उन्होंने सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के बजाय इसके विनियमित उपयोग का समर्थन किया।

मेघालय स्थित इंपल्स एनजीओ नेटवर्क की संस्थापक और अध्यक्ष सुश्री हसीना खरभिह ने जोर देते हुए कहा कि नियमों को मजबूत करना और कानूनी ढांचे को अद्यतन करना अधिक व्यावहारिक और प्रभावी समाधान होगा। चिल्ड्रन फर्स्ट के निदेशक डॉ. अमित सेन ने कहा कि नियम केंद्रीकृत होने चाहिए, लेकिन उनमें स्थानीय, सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भों को शामिल करने के लिए पर्याप्त गुंजाइश होनी चाहिए, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा और विविधतापूर्ण देश है।

विभिन्न हितधारकों के साथ हुई चर्चा में बच्चों में सहानुभूति और भावनात्मक नियंत्रण में कमी आने पर चिंता व्यक्त की गई। यह भी कहा गया कि कोविड-19 के दौरान स्कूलों द्वारा अपनाए गए ऑनलाइन संचार माध्यम पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता हो सकती है। बच्चों को सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग से रोकने के उपायों के रूप में अभिभावकों में जागरूकता बढ़ाने और डिजिटल अनुशासन को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। बच्चों पर सोशल मीडिया के प्रभाव का सटीक आकलन करने के लिए प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा अधिक पारदर्शी डेटा साझा करने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। बच्चों को वास्तविक दुनिया से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करने के महत्व पर भी जोर दिया गया।

चर्चा से प्राप्त कुछ सुझावों में निम्नलिखित शामिल थे:

- सोशल मीडिया क्या है, इसे परिभाषित करें;
- प्रतिबंध लगाने या नियमन करने से पहले साक्ष्य-आधारित, सुसंगत दृष्टिकोण अपनाएं;
- ग्रामीण और शहरी आबादी के बीच समानता लाने वाले कारक के रूप में सोशल मीडिया के फायदों और नुकसानों का पूरी तरह से आकलन करें;
- अधोगामी दृष्टिकोण से परहेज करें;
- यह सुनिश्चित करें कि बच्चों के अधिकारों का हनन न हो;
- बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर एक व्यापक केंद्रीय नीति होनी चाहिए, जिसके कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारें मिलकर काम करें;
- इंटरनेट सेवा प्रदाताओं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों और अन्य प्रौद्योगिकी कंपनियों की जवाबदेही तय करें;
- 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाएं और 14 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए इसे विनियमित करें;
- जिम्मेदारी से नियमन करें;
- विद्यालयों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना;
- कानून प्रवर्तन एजेंसियों को प्रशिक्षण प्रदान करना;
- ऐप स्टोर द्वारा विभिन्न ऐप्स अपलोड करते समय उचित सावधानी बरतना;
- सोशल मीडिया पर सुरक्षा उपायों को डिफ़ॉल्ट रूप से लागू करें;
- बॉट्स से संबंधित चिंताओं का समाधान करें;
- वीपीएन खातों को ट्रैक करें; और
- व्यवहार में बदलाव लाने के लिए निरंतर प्रयास सुनिश्चित करें।

आयोग अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले विभिन्न हितधारकों से प्राप्त विभिन्न सुझावों पर और विचार-विमर्श करेगा।

रायसीना संवाद 2026

चुनौतीपूर्ण समय में एनएचआरसी की भूमिका

रायसीना संवाद भारत का भू-राजनीति और भू-अर्थशास्त्र पर प्रमुख सम्मेलन है, जो 2016 से प्रतिवर्ष नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से आयोजित यह तीन दिवसीय कार्यक्रम वैश्विक नेताओं, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों, उद्योग विशेषज्ञों और पत्रकारों को महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। तीन दिवसीय रायसीना संवाद के 11वें संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया और फिनलैंड के राष्ट्रपति डॉ. अलेक्जेंडर स्टब ने मुख्य अतिथि के रूप में 5 मार्च 2026 को नई दिल्ली में मुख्य भाषण दिया। 110 देशों के लगभग 2,700 प्रतिभागियों ने व्यक्तिगत रूप से संवाद में भाग लिया और इसकी कार्यवाही को दुनिया भर में लाखों लोगों ने विभिन्न डिजिटल प्लेटफार्मों पर देखा।

7 मार्च 2026 को 'चुनौतीपूर्ण समय में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग' विषय पर एक सत्र आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन और महासचिव श्री भरत लाल ने वक्ताओं के रूप में भाग लिया। सत्र का केंद्र बिंदु संघर्ष, भू-राजनीतिक विखंडन और उभरते दक्षिण-दक्षिण संबंधों के बीच बदलते वैश्विक मानव अधिकार परिदृश्य पर चर्चा करना था। सत्र का संचालन ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के उपाध्यक्ष डॉ. श्री हर्ष वी. पंत ने किया।

चर्चा की शुरुआत करते हुए श्री हर्ष वी. पंत ने तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य के संदर्भ में इसे प्रस्तुत किया और कहा कि 'बहुपक्षीय व्यवस्था के विखंडन और राष्ट्रीय हितों तथा सैन्य शक्ति को प्राथमिकता दिए जाने' के कारण मानव अधिकार संबंधी चिंताएं लगातार हाशिए पर धकेल दी गई हैं। उन्होंने वैश्विक मानदंडों पर बढ़ते दबाव के इस विरोधाभास को उजागर करते हुए पूछा कि जब बाहरी कारक आंतरिक बन रहे हैं और क्षेत्राधिकार की सीमाएं कार्रवाई को सीमित कर रही हैं, तो भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) जैसी संस्थाएं व्यावहारिक रूप से क्या भूमिका निभा सकती हैं।

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने एक आंकड़े का हवाला दिया कि '2024 तक 78 देश संघर्षों में शामिल थे, जिसके परिणामस्वरूप 122 मिलियन लोग विस्थापित हुए और लगभग 20 ट्रिलियन डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ।' उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार कानून और अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के बीच महत्वपूर्ण अंतर स्पष्ट करते हुए कहा कि जहां मानव अधिकार कानून सार्वभौमिक और स्थिर है, वहीं मानवीय कानून सशस्त्र संघर्ष के दौरान आचरण को नियंत्रित करता है। इस संदर्भ में, उन्होंने राष्ट्रीय संस्थानों की सीमाओं को स्पष्ट करते हुए कहा कि 'किसी देश को युद्ध में जाना चाहिए या नहीं, यह निर्णय लेना संप्रभुता का अधिकार है,' जिससे राष्ट्रीय मानव अधिकार निकायों की भूमिका सीमित हो जाती है। हालांकि, उन्होंने संघर्षों के दौरान मानवीय मानदंडों के अनुपालन को सुनिश्चित करने में, विशेष रूप से नागरिकों और घायलों की सुरक्षा में, उनकी प्रासंगिकता पर बल दिया।

इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, श्री भरत लाल ने राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं (एनएचआरआई) की संरचनात्मक सीमाओं को रेखांकित किया और कहा कि इन्हें 'पेरिस सिद्धांतों के तहत अंतर्मुखी निकायों के रूप में परिकल्पित किया गया था,' जबकि समकालीन संकट जैसे युद्ध से लेकर जलवायु व्यवधान तक स्वभावतः अंतरराष्ट्रीय हैं। उन्होंने टिप्पणी की कि 'इनमें से अधिकांश समस्याएं देशों के बाहर उत्पन्न होती हैं, जबकि एनएचआरआई अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर के मुद्दों को संभालने में सक्षम नहीं हैं।' इन सीमाओं के बावजूद, उन्होंने सहयोग की दिशा में चल रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला, सीमा पार सहयोग के उदाहरण देते हुए वैश्विक दक्षिण की भागीदारी के महत्व पर जोर दिया। उनके अनुसार, 'एक साथ काम करना एक विकल्प नहीं बल्कि एक आवश्यकता है, और एनएचआरआई को 'समाज के अंतरात्मा के संरक्षक' के रूप में कार्य करने की आवश्यकता है।'

भारत की भूमिका पर विस्तार से बताते हुए, श्री लाल ने वैश्विक दक्षिण के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत की क्षमता निर्माण संबंधी एक महत्वपूर्ण पहल पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि एनएचआरसी, भारत ने विदेश मंत्रालय के सहयोग से विभिन्न देशों के मानव अधिकार संस्थानों को भारत में एक साझा मंच पर लाने की पहल की है। संरचित क्षमता निर्माण कार्यक्रमों, प्रशिक्षण सत्रों और अनुभव साझा करने वाले संवादों के माध्यम से, इन पहलों का उद्देश्य संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करना, उभरती चुनौतियों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाना और सहभागी शिक्षा को बढ़ावा देना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस प्रकार के प्रयास, जो अब कई संस्करणों में आयोजित किए जा रहे हैं, न केवल भारत की सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने पर केंद्रित हैं, बल्कि साझेदार देशों से सीखने पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे जटिल, सीमा पार मानव अधिकार मुद्दों को संबोधित करने में सक्षम राष्ट्रीय मानव

▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन तथा महासचिव श्री भरत लाल 'रायसीना संवाद 2026' में 'चुनौतीपूर्ण समय में एनएचआरसी की भूमिका' विषयक सत्र में भाग लेते हुए

अधिकार संस्थानों का एक सहयोगी और मजबूत नेटवर्क तैयार होता है।

चर्चा में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की व्यवस्था के कमजोर होने का मुद्दा भी उठा। श्री पंत ने इस विडंबना की ओर इशारा किया कि स्थापित शक्तियां अब उन्हीं व्यवधानों में योगदान दे रही हैं जिन्हें वे कभी रोकना चाहती थीं। उन्होंने क्षमता निर्माण और वैश्विक दक्षिण की आवाज़ों को बुलंद करने की आवश्यकता पर सवाल उठाए। न्यायमूर्ति रामासुब्रमण्यन ने ऐतिहासिक चक्रों पर चिंतन करते हुए उत्तर दिया कि "अपराधी पीड़ित बन जाते हैं और पीड़ित अपराधी बन जाते हैं," और सुझाव दिया कि 21वीं सदी का पहला आधा भाग 20वीं सदी के शुरुआती दौर की उथल-पुथल को प्रतिबिंबित कर सकता है। उन्होंने वैश्विक मानव अधिकार ढांचों के पुनर्मूल्यांकन का समर्थन किया, यहां तक कि यह भी सुझाव दिया कि पेरिस सिद्धांत केवल एक "सतही दृष्टिकोण" प्रस्तुत करते हैं और उनमें व्यापक सुधार की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण रूप से, उन्होंने सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि "कोई भी एक अंतरराष्ट्रीय संगठन अकेले इस बोझ को नहीं उठा सकता।"

व्यावहारिक उपायों पर विस्तार से चर्चा करते हुए, श्री लाल ने वैश्विक शांति बनाए रखने में शक्तिशाली देशों की नैतिक जिम्मेदारी को दोहराया और नैतिक शक्ति के रूप में राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं (एनएचआरआई) की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने तर्क दिया कि 'लोकतंत्र तभी कायम रह सकता है जब जवाबदेही और नैतिक संयम की भावना हो।' उन्होंने उभरती चुनौतियों के प्रति संस्थागत प्रतिक्रियाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से क्षमता निर्माण पहलों और अनुभव साझाकरण मंचों के माध्यम से वैश्विक दक्षिण के संस्थानों के बीच संवाद को बढ़ावा देने में भारत के प्रयासों का विस्तृत वर्णन किया।

अपने समापन भाषण में, न्यायमूर्ति रामासुब्रमण्यन ने वसुधैव कुटुंबकम (विश्व एक परिवार है) के भारतीय आदर्श का हवाला देते हुए दार्शनिक चिंतन प्रस्तुत किया और इसके व्यावहारिक अनुप्रयोग पर प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा कि 'उपदेशक स्वयं अभ्यास नहीं करते और अभ्यासी उपदेश नहीं देते,' और मूल्यों एवं कार्यों के सामंजस्य का आग्रह किया। एक आदर्श समाज की कल्पना करते हुए उन्होंने कहा कि यह ऐसा समाज होगा 'जहां पुलिस, न्यायालयों या यहां तक कि मानव अधिकार संस्थानों की भी आवश्यकता नहीं होगी,' और इस बात पर जोर दिया कि मानव अधिकारों को बनाए रखने की अंतिम जिम्मेदारी व्यक्तियों और समाज की है।

इस संवाद ने एक केंद्रीय विषय को रेखांकित किया: यद्यपि विभाजित विश्व में संस्थागत तंत्र बढ़ती बाधाओं का सामना कर रहे हैं, फिर भी आगे की राह सहयोग, सतत क्षमता निर्माण, नैतिक जिम्मेदारी और मानव अधिकारों के मूलभूत मूल्यों के प्रति नवप्रवर्तित प्रतिबद्धता में निहित है।

लेख

विश्व जल दिवस विशेष

जल सुरक्षा, मानवीय गरिमा और लैंगिक समानता

भरत लाल,
महासचिव, एनएचआरसी, भारत

(विश्व जल दिवस के उपलक्ष्य में 22 मार्च 2026 को विश्व युवक केंद्र, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में 'जल और जेंडर' विषय पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में दिए गए उनके भाषण के अंशों पर आधारित)

विश्व जल दिवस महज एक प्रतीकात्मक आयोजन नहीं है। यह एक सशक्त स्मरण दिलाता है कि जल सुरक्षा मानवीय गरिमा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सतत विकास की नींव है। स्वच्छ जल तक पहुंच कोई विशेषाधिकार नहीं है। यह एक बुनियादी मानव अधिकार और गरिमापूर्ण जीवन के लिए एक आवश्यक शर्त है। विकास पर किसी भी गंभीर चर्चा की शुरुआत एक सरल लेकिन गहन सत्य से होनी चाहिए। वास्तविक प्रगति तब तक अधूरी है जब तक कि भौगोलिक स्थिति या सामाजिक-आर्थिक स्तर की परवाह किए बिना प्रत्येक परिवार को सुरक्षित और विश्वसनीय पेयजल उपलब्ध न हो जाए।

यह दृष्टिकोण एक व्यापक विकासात्मक ढांचे के अनुरूप है जिसका उद्देश्य सभी को आवश्यक सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना है। इनमें सुरक्षित स्वच्छता, किफायती आवास, बिजली, स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन, स्वास्थ्य सेवा और कनेक्टिविटी शामिल हैं। ये सभी तत्व मिलकर न केवल आर्थिक विकास को परिभाषित करते हैं, बल्कि जीवन की सुगमता को भी निर्धारित करते हैं, जो एक न्यायपूर्ण और समतावादी समाज का आधार है। इस संदर्भ में, जल एक अलग मुद्दा नहीं है। यह स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता और आर्थिक उत्पादकता को आपस में जोड़ने वाला सूत्र है।

वैश्विक स्तर पर, इस मुद्दे की गंभीरता निर्विवाद है। सतत विकास लक्ष्य 6 के तहत सुरक्षित और किफायती पेयजल एवं स्वच्छता तक सार्वभौमिक और समान पहुंच सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता अभी तक पूरी नहीं हुई है। आंकड़े चिंताजनक हैं। 2024 तक, 22 लाख लोगों को पीने योग्य पानी नहीं मिल पा रहा था। लगभग 34 लाख लोग सुरक्षित स्वच्छता सुविधाओं से वंचित थे और 17 लाख लोगों के पास घर पर बुनियादी स्वच्छता सेवाएं भी नहीं थीं। प्रगति की वर्तमान गति को देखते हुए भी, 2030 तक, अनुमानित 16 लाख लोगों को सुरक्षित पेयजल नहीं मिल पाएगा, जबकि 28 लाख लोग पर्याप्त स्वच्छता सुविधाओं से वंचित रहेंगे।

बढ़ती जल की कमी से संकट और भी गंभीर हो गया है। पिछले एक दशक में, प्रति व्यक्ति नवीकरणीय जल की उपलब्धता में 7% की गिरावट आई है। 2030 तक, वैश्विक जल मांग आपूर्ति से लगभग 40% अधिक होने की आशंका है। इसके गंभीर आर्थिक परिणाम होंगे। जल संबंधी जोखिमों के कारण 2050 तक देशों के

सकल घरेलू उत्पाद में औसतन 8% की गिरावट आ सकती है। ग्रामीण क्षेत्र विशेष रूप से संवेदनशील हैं। 2024 तक, ग्रामीण आबादी के 40% लोगों को अभी भी सुरक्षित रूप से प्रबंधित पेयजल नहीं मिल रहा था और 29% लोगों को बुनियादी स्वच्छता की सुविधा नहीं थी।

भारत की स्थिति भी इन वैश्विक चिंताओं को दर्शाती है, हालांकि इसकी अपनी अनूठी चुनौतियाँ हैं। प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 2030 तक घटकर 1,367 घन मीटर और 2050 तक लगभग 1,200 घन मीटर तक पहुँचने का अनुमान है। गंगा, कृष्णा और कावेरी जैसी प्रमुख नदी घाटियों में यह आंकड़ा पहले ही 1,000 घन मीटर से नीचे गिर चुका है। यह जनसंख्या के बड़े हिस्से के लिए गंभीर जल संकट का संकेत है। ये आंकड़े केवल पर्यावरणीय संकेतक नहीं हैं। ये व्यापक मानव विकास चुनौती की चेतावनी हैं।

जल संकट लैंगिक असमानता से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। जहाँ एक ओर पानी की अपर्याप्त उपलब्धता विश्व स्तर पर पूरे समुदायों को प्रभावित करती है, वहीं दूसरी ओर महिलाओं और लड़कियों पर इसका सबसे अधिक बोझ पड़ता है। 53 देशों में, महिलाएं और लड़कियां प्रतिदिन लगभग 25 करोड़ घंटे पानी इकट्ठा करने में व्यतीत करती हैं। यह पुरुषों और लड़कों द्वारा किए गए प्रयास से तीन गुना से भी अधिक है। जिन 63% घरों में पानी की सुविधा नहीं है, वहाँ पानी लाने की जिम्मेदारी महिलाओं और लड़कियों की है। इसकी तुलना में, ऐसे घरों में पुरुष केवल 25% ही यह कार्य करते हैं।

भारत में भी स्थिति उतनी ही चिंताजनक है। ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 25% परिवार ऐसे हैं जो पानी के स्रोतों पर निर्भर हैं और घर से दूर स्थित हैं; इन परिवारों में महिलाएं और लड़कियां प्रतिदिन 50 मिनट से अधिक समय पानी लाने में व्यतीत करती हैं। इससे समय और ऊर्जा की भारी हानि होती है। यह समय शिक्षा, आय सृजन या आराम में व्यतीत किया जा सकता था। इसके बजाय, यह जीवनयापन की मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने में ही खर्च हो जाता है।

इसके परिणाम केवल शारीरिक श्रम तक ही सीमित नहीं हैं। सुरक्षित पानी और स्वच्छता की कमी महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा को प्रभावित करती है। यह उन्हें उत्पीड़न और हिंसा के जोखिम में डालती है। इसका असर मासिक धर्म की स्वच्छता पर भी पड़ता है, जिसके कारण अक्सर लड़कियां स्कूल नहीं जा पातीं। इसलिए, स्वच्छ पानी और लैंगिक समानता के बीच संबंध स्पष्ट है। पानी से संबंधित चुनौतियों का समाधान किए बिना लैंगिक समानता पूरी तरह से हासिल नहीं की जा सकती।

इस बात को समझते हुए, भारत ने जल जीवन मिशन (जेजेएम) के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में जल की उपलब्धता में उल्लेखनीय सुधार किया है। इस पहल का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुनिश्चित पेयजल उपलब्ध कराना है। इसका लक्ष्य नियमित और दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित गुणवत्ता का जल पहुंचाना है। इसके परिणाम सराहनीय रहे हैं। वर्ष 2019 में, केवल 3.23 करोड़ परिवारों यानी 17% से भी कम परिवारों को नल के पानी की सुविधा उपलब्ध थी। आज, 15.83 करोड़ से अधिक परिवारों यानी लगभग 82% परिवारों के पास नल के पानी का सुचारू कनेक्शन है।

इस प्रगति का सार्थक प्रभाव पड़ा है। नल के पानी की उपलब्धता से जन स्वास्थ्य में सुधार हुआ है और स्कूलों में उपस्थिति बढ़ी है, विशेषकर लड़कियों की। इससे उन महिलाओं पर बोझ कम हुआ है जिन्हें पहले पानी लाने में घंटों बिताने पड़ते थे। इससे उत्पादकता बढ़ी है, गरिमा बहाल हुई है और ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास में योगदान मिला है।

इन उपलब्धियों को देखते हुए, जेजेएम परियोजना को दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया गया है और इसमें वित्तीय सहायता भी बढ़ा दी गई है। अगले चरण में न केवल बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, बल्कि विश्वसनीय सेवा वितरण और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया जाएगा। स्थानीय संस्थानों को मजबूत करना और वित्तीय एवं पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना प्रमुख प्राथमिकताएं होंगी।

इस पहल की एक प्रमुख ताकत विकेंद्रीकृत शासन और सामुदायिक भागीदारी पर इसका ज़ोर देना रहा है। ग्राम पंचायत और ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियाँ जैसी ग्राम स्तरीय संस्थाएँ इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। 58 लाख गाँवों में 53 लाख से अधिक ऐसी समितियाँ गठित की गई हैं। इन्होंने 52 लाख से अधिक ग्राम कार्य योजनाएँ तैयार की हैं। इन योजनाओं में जल आवश्यकताओं, बुनियादी ढाँचे की रूपरेखा और वित्तीय व्यवस्थाओं का विवरण दिया गया है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि ये समितियाँ सुनिश्चित करती हैं कि उनके कम से कम आधे सदस्य महिलाएँ हों। यह महिलाओं के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों को पहचानता है और उन्हें जल प्रबंधन में नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाता है। प्रमाण बताते हैं कि जब महिलाएँ योजना बनाने और निर्णय लेने में सक्रिय रूप से शामिल होती हैं तो जल प्रणालियाँ अधिक टिकाऊ होती हैं।

इस दृष्टिकोण से सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। 24.8 लाख से अधिक महिलाओं को ग्राम स्तर पर जल गुणवत्ता निगरानी और परीक्षण सहित प्रशिक्षण दिया गया है। अकेले उत्तर प्रदेश में ही 5.5 लाख महिलाओं को यह प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है। बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों में महिला नेतृत्व वाले ग्रुप पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए काम कर रहे हैं। इन प्रयासों से भूजल स्तर में सुधार हुआ है, आजीविका को सहारा मिला है और सामुदायिक लचीलापन मजबूत हुआ है।

इसी प्रकार, झारखंड जैसे राज्यों में की गई पहलें महिला नेतृत्व वाले दृष्टिकोणों की प्रभावशीलता को दर्शाती हैं। जल एवं स्वच्छता कार्यक्रमों में लगी महिलाएं स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर जागरूकता अभियान चला रही हैं। कुछ तो स्थानीय प्रशासन में नेतृत्व की भूमिका भी निभा रही हैं। ये उदाहरण दर्शाते हैं कि जब महिलाओं को सशक्त बनाया जाता है, तो इसके लाभ जल प्रबंधन से कहीं अधिक व्यापक होते हैं।

हालांकि, इन उपलब्धियों को बनाए रखने के लिए क्षमता निर्माण में निरंतर निवेश की आवश्यकता होगी। महिलाओं को नेतृत्व, शासन और तकनीकी कौशल में प्रशिक्षण की आवश्यकता है। सामुदायिक संगठन और स्वयं सहायता ग्रुप इन प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जल संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलेपन के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना भी आवश्यक है।

स्वच्छ जल और स्वच्छता की सार्वभौमिक उपलब्धता सुनिश्चित करना लैंगिक समानता के लक्ष्य से गहराई से जुड़ा हुआ है। इन दोनों उद्देश्यों को अलग-अलग हासिल नहीं किया जा सकता। अधिकार-आधारित और समावेशी दृष्टिकोण आवश्यक है। महिलाओं को सभी स्तरों पर निर्णय लेने में सक्रिय रूप से शामिल किया जाना चाहिए। प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर की संस्थाओं को मजबूत करना होगा।

जल सुरक्षा आज के समय की सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक है। साथ ही, यह अधिक न्यायसंगत और टिकाऊ भविष्य के निर्माण का अवसर भी प्रदान करती है। भारत का अनुभव दर्शाता है कि प्रगति तभी संभव है जब नीतियां समावेशी हों, समुदायों को सशक्त बनाया जाए और महिलाओं को परिवर्तन के केंद्र में रखा जाए।

महत्वपूर्ण हस्तक्षेप

एनएचआरसी की कार्रवाई से थाईलैंड में छह भारतीयों का बचाव

(केस नंबर 32/99/4/2026)

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत के स्वतःसंज्ञान हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप, केंद्रीय विदेश मंत्रालय (एमईए) ने तेजी से कार्रवाई करते हुए थाईलैंड में पिछले छह महीनों से अपने नियोक्ता की कैद में यातना झेल रहे छह भारतीय श्रमिकों को छुड़ाया। एनएचआरसी द्वारा 20 फरवरी 2026 को एमईए को पत्र भेजे जाने के ठीक अगले दिन ही इनमें से चार को भारत वापस भेज दिया गया। वे बैंकॉक से अपने नियोक्ता द्वारा बुक की गई उड़ान से कोलकाता पहुंचे। एमईए के दक्षिणी प्रभाग ने सूचित किया है कि शेष दो बचाए गए श्रमिकों की वापसी के मामले में वह थाई आव्रजन अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहा है क्योंकि उन्होंने अपने वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी थाईलैंड में प्रवास किया था।

17 फरवरी 2026 को मीडिया में एक वीडियो सामने आया था जिसमें ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले के मजदूरों ने अपनी दुर्दशा बयां की थी। बैंकॉक के पास एक कारखाने में उनके मालिक ने उन्हें बंधक बनाकर रखा था और शारीरिक एवं मानसिक यातनाएं दे रहे थे। उन्हें प्लाईवुड कारखाने में बिना वेतन और उचित भोजन के प्रतिदिन 12 घंटे काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। खबरों के अनुसार, उनके मालिक ने उनके पासपोर्ट भी जब्त कर लिए थे।

इस मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए, आयोग ने 20 फरवरी 2026 को विदेश मंत्रालय से पूछा कि क्या वे उनके परिवारों को कोई सहायता प्रदान कर सकते हैं। इसके बाद, विदेश मंत्रालय के दक्षिणी प्रभाग ने थाई अधिकारियों से उन्हें छुड़ाने का अनुरोध किया और कंपनी के मालिक से भी संपर्क किया, जिन्होंने अंततः उन्हें रिहा कर दिया।

स्वतः संज्ञान

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत के लिए मानव अधिकार उल्लंघन की घटनाओं की जानकारी प्राप्त करने में मीडिया रिपोर्टें एक अत्यंत उपयोगी साधन रही हैं। वर्षों से, आयोग ने ऐसे कई मामलों का स्वतः संज्ञान लिया है और पीड़ितों को सहायता प्रदान की है। मार्च 2026 के दौरान, आयोग ने मीडिया द्वारा रिपोर्ट किए गए कथित मानव अधिकार उल्लंघन के 16 मामलों में स्वतः संज्ञान लिया और संबंधित प्राधिकरणों को नोटिस जारी कर कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इनमें से कुछ मामलों के सार इस प्रकार हैं:

मोतियाबिंद की सर्जरी में हुई गड़बड़ी

(केस संख्या 2499/24/34/2026)

20 फरवरी 2026 को, मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के एक निजी अस्पताल में मोतियाबिंद की सर्जरी में हुई गड़बड़ी के बाद कम से कम नौ मरीजों की संक्रमित आंख निकालनी पड़ी और नौ अन्य मरीजों की एक आंख की रोशनी चली गई। बताया जाता है कि निजी अस्पताल में 1 फरवरी, 2026 को आयोजित नेत्र शिविर के दौरान 30 मरीजों की सर्जरी की गई थी। आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव और गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। खबरों के मुताबिक, सर्जरी के 24 घंटे के भीतर ही मरीजों ने ऑपरेशन की गई आंख में तेज दर्द और स्राव की शिकायत शुरू कर दी थी। कुल 18 मरीजों को संक्रमण हो गया, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें इलाज के लिए दिल्ली, लखनऊ और वाराणसी के अस्पतालों में रेफर किया गया।

खुले नाले में गिरने से लड़के की मौत

(केस संख्या 2498/24/34/2026)

20 फरवरी 2026 को मीडिया में खबर आई कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में 19 फरवरी 2026 को एक खुले नाले में गिरने से 11 वर्षीय लड़के की मौत हो गई। बताया जाता है कि स्थानीय लोगों ने खुले नाले के बारे में स्थानीय अधिकारियों से शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। आयोग ने गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में पीड़ित लड़के के परिवार को दिए गए मुआवजे यदि कोई हो की स्थिति का विवरण शामिल होने की अपेक्षा है। बताया जाता है कि लड़का स्टेशनरी का सामान खरीदकर घर लौट रहा था, तभी निर्माण स्थल पर घनी झाड़ियों में छिपे खुले नाले में उसकी साइकिल फिसल गई।

अवैध कोयला खदान विस्फोट में 18 श्रमिकों की मौत

(केस संख्या 411/13/17/2026)

2 मार्च 2026 को मीडिया में खबर आई कि महाराष्ट्र के नागपुर जिले के कटोल तालुका के राउलगांव स्थित एक विस्फोटक निर्माण इकाई में हुए विस्फोट में कम से कम 18 श्रमिकों की मौत हो गई और 24 अन्य घायल हो गए। कथित तौर पर, यह घटना 1 मार्च 2026 को सुबह करीब 7 बजे कारखाने के पैकिंग सेक्शन में हुई। कई पीड़ितों को गंभीर आघात के अलावा 30 से 80% तक जलने की गंभीर चोटें आईं। आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में घायलों के स्वास्थ्य की स्थिति, जांच, घायलों और मृतकों के परिजनों को

मुआवजे के वितरण का विवरण शामिल होने की अपेक्षा है। बताया जाता है कि प्रारंभिक जांच में विस्फोटक और कारखाना अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन का संकेत मिला है। कारखाना प्रबंधन के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है।

सीवर चैंबर में सफाई कर्मचारियों की मौत

(केस संख्या 461/12/21/2026)

3 मार्च 2026 को मीडिया में खबर आई कि मध्य प्रदेश के इंदौर में 2 मार्च 2026 को सीवर चैंबर में दो सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई। ये कर्मचारी इंदौर नगर निगम के थे। आयोग ने इंदौर नगर निगम और पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में जांच की स्थिति और मृतकों के परिजनों को दिए गए मुआवजे यदि कोई हो का विवरण शामिल होने की अपेक्षा है। कथित तौर पर, पीड़ित सीवर चैंबर में पानी निकालने की प्रक्रिया के दौरान गिरे सक्शन टैंकर पाइप के एक हिस्से को निकालने के लिए गए थे। लेकिन जहरीली गैसों के कारण वे बेहोश हो गए। उन्हें बाहर निकाला गया और अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

विषैली गैस रिसाव के कारण सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया

(केस संख्या 412/13/37/2026)

3 मार्च 2026 को मीडिया में खबर आई कि महाराष्ट्र के पालघर जिले के बोइसर एमआईडीसी क्षेत्र के 5 किलोमीटर के दायरे से 2 मार्च 2026 को एक रासायनिक संयंत्र में विषैली ओलियम गैस (फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड) के बड़े पैमाने पर रिसाव के कारण 1,600 छात्रों सहित 2,600 से अधिक लोगों को निकाला गया। आयोग ने पाया है कि यदि समाचार रिपोर्ट में दी गई जानकारी सही है, तो यह मानव अधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा है। इसलिए, आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। खबरों के अनुसार, तीन लोगों ने खतरनाक गैस के कारण आंखों में मामूली जलन की शिकायत की। कथित तौर पर, रिसाव का सटीक कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है।

चिकित्सकीय लापरवाही के कारण नवजात की मौत

(केस संख्या 195/34/18/2026)

9 मार्च 2026 को मीडिया में खबर आई कि झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर उपमंडल अस्पताल में प्रसव से पहले और बाद में मां और बच्चे को उचित चिकित्सा देखभाल न मिलने के कारण नवजात की मृत्यु हो गई। खबरों के अनुसार, 7 मार्च 2026 को अस्पताल द्वारा एम्बुलेंस न दिए जाने के बाद पिता को शिशु के शव को गत्ते के बक्से में रखकर बंगरासाई गांव ले जाना पड़ा। आयोग ने रांची स्थित स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव और झारखंड के पश्चिम सिंहभूम के उपायुक्त को नोटिस जारी कर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। खबरों के मुताबिक, अस्पताल के कर्मचारियों ने परिवार को मृत शिशु का शव अस्पताल से ले जाने के लिए मजबूर किया और किसी भी प्रकार की सहायता देने से इनकार कर दिया।

लापता और अज्ञात लोग

(केस संख्या 528/4/0/2026)

9 मार्च 2026 को मीडिया ने बताया कि बिहार में 2013 से हर साल 12,000 से 14,000 लापता व्यक्तियों के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। इनमें से कई बच्चे हैं और उनमें से मुश्किल से दो-तिहाई ही बरामद हो पाते हैं। खबरों के अनुसार, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों से पता चलता है कि मानव दुर्व्यापार के सबसे अधिक मामले ओडिशा, बिहार, तेलंगाना और महाराष्ट्र में दर्ज किए गए हैं। नाबालिग लड़कों के दुर्व्यापार के मामलों में ओडिशा सबसे आगे है, उसके बाद बिहार का स्थान है। खबरों के मुताबिक, नाबालिग लड़कियों के दुर्व्यापार में राजस्थान में सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यह संदेह है कि इन बच्चों को भीख मांगने, बाल श्रम, वेश्यावृत्ति और अन्य अवैध गतिविधियों में धकेला जाता है।

आयोग ने पाया है कि यदि समाचार रिपोर्ट में दी गई जानकारी सही है, तो यह पीड़ितों के मानव अधिकारों के गंभीर उल्लंघन का मुद्दा है। आयोग ने इस बात पर भी ध्यान दिया है कि राज्यों द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों के बावजूद लापता व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है और उनमें से केवल कुछ ही लोगों का पता लगाया जा पा रहा है। इसलिए, आयोग ने बिहार, ओडिशा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और राजस्थान के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को नोटिस जारी कर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में लापता व्यक्तियों, विशेषकर बच्चों की बढ़ती संख्या से निपटने के लिए उठाए गए/प्रस्तावित कदमों का उल्लेख होना अपेक्षित है। इसके अलावा, आयोग ने इन राज्यों में लापता व्यक्तियों की स्थिति पर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) से नवीनतम सांख्यिकीय आंकड़े मांगे हैं।

दीवार गिरने से मौतें

(केस संख्या 340/7/5/2026)

10 मार्च 2026 को मीडिया ने बताया कि 9 मार्च 2026 को हरियाणा के गुरुग्राम के बिलासपुर इलाके के पास एक निर्माणाधीन स्थल पर दीवार गिरने से कम से कम सात मजदूरों की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए। खबरों के मुताबिक, करीब दस अन्य मजदूर मलबे के नीचे फंसे होने की आशंका है। यह घटना उस स्थल पर हुई जहां एक आगामी आवासीय परियोजना के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव और गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में घायलों की स्वास्थ्य स्थिति, जांच और मृतकों व घायलों के परिजनों को दिए गए मुआवजे यदि कोई हो का विवरण शामिल होने की अपेक्षा है। खबरों के मुताबिक, पुलिस और नागरिक सुरक्षा दल, बचावकर्मी, दमकलकर्मी और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के कर्मियों सहित अन्य एजेंसियां मलबे के नीचे फंसे मजदूरों की तलाश कर रही हैं।

महिला के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार

(केस संख्या 688/30/8/2026-WC)

10 मार्च 2026 को मीडिया में खबर आई कि दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर

इलाके में लड़कों के एक ग्रुप द्वारा की जा रही अश्लील और नस्लीय गालियों का विरोध करने पर मणिपुर की एक महिला के साथ पर मारपीट की। कथित तौर पर, यह घटना 8 मार्च 2026 को हुई थी। आयोग ने पाया है कि यदि समाचार रिपोर्ट में दी गई जानकारी सही है, तो यह पीड़िता के मानव अधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा है। इसलिए, आयोग ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। कथित तौर पर, यह घटना तब हुई जब पीड़िता अपने दोस्त के साथ इलाके के एक पार्क में तस्वीरें ले रही थी।

स्कूल में छत में लगा पंखा गिरने से छात्र घायल

(केस संख्या 529/20/4/2026)

16 मार्च 2026 को मीडिया में खबर आई कि राजस्थान के बाड़मेर स्थित एक सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्षा में लगा पंखा गिरने से दो छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। कथित तौर पर, घायल छात्रों के परिवारवालों और स्थानीय निवासियों ने इस घटना के लिए विद्यालय प्रशासन की घोर लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। आयोग ने जिला मजिस्ट्रेट और बाड़मेर के पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में घायल छात्रों की स्वास्थ्य स्थिति और जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का विवरण शामिल होने की अपेक्षा है। खबरों के अनुसार, यह दुर्घटना तब हुई जब पंखे को पकड़ने वाला हुक अचानक टूट गया।

कुत्ते के काटने के बाद चिकित्सकीय लापरवाही के कारण पीड़ित की मौत

(केस संख्या 377/7/19/2026)

17 मार्च 2026 को मीडिया में खबर आई कि हरियाणा के सोनीपत में एक आवारा कुत्ते के काटने से एक व्यक्ति की कथित तौर पर चिकित्सकीय लापरवाही के कारण मृत्यु हो गई। कथित तौर पर, पीड़ित के परिवार ने आरोप लगाया कि सिविल अस्पताल में रेबीज रोधी टीका और सीरम उपलब्ध न होने के कारण उसे दिल्ली के सीमावर्ती नरेला स्थित एक अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसके बाद उचित इलाज के बिना एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल ले जाया गया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सोनीपत नगर निगम के अधिकारी आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने में विफल रहे हैं, जिसके कारण अमूल्य जान चली गई। आयोग ने हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के निदेशक और सोनीपत नगर निगम के आयुक्त को नोटिस जारी कर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में यह भी शामिल होना चाहिए कि अधिकारियों द्वारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं और मृतक के परिजनों को क्या मुआवजा दिया गया है।

सफाईकर्मियों की मौत

(केस संख्या 120/33/14/2026)

19 मार्च 2026 को मीडिया में खबर आई कि छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में एक निजी अस्पताल में 17 मार्च 2026 को सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैसों के कारण तीन सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतकों के परिजनों का आरोप है कि न तो अस्पताल प्रबंधन और न ही निजी ठेकेदार ने उन्हें सुरक्षा उपकरण मुहैया कराए। आयोग ने रायपुर के जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में जांच की स्थिति भी शामिल होने की अपेक्षा है।

आग लगने से हुई मौत

(केस संख्या 766/30/7/2026)

19 मार्च 2026 को मीडिया ने बताया कि दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के पालम इलाके में 18 मार्च 2026 को एक चार मंजिला इमारत में लगी आग में एक ही परिवार के नौ सदस्यों, जिनमें तीन बच्चे और एक 70 वर्षीय महिला शामिल थीं, की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए। खबरों के अनुसार, दमकल कर्मियों की हाइड्रोलिक क्रेन में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण बचाव अभियान में देरी हुई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उपकरण के समय पर चलने से और भी जानें बचाई जा सकती थीं। इसलिए, आयोग ने दिल्ली के मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में पीड़ितों और घायलों को मुआवजे के वितरण की स्थिति भी शामिल होने की अपेक्षा है। खबरों के अनुसार, आग सुबह करीब 6:15 बजे शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। यह भूतल की एक दुकान से शुरू हुई और तेजी से ऊपर की आवासीय मंजिलों तक फैल गई। स्थानीय लोगों ने घर की खिड़कियां और दीवारें तोड़कर फंसे हुए लोगों को बचाने की कोशिश की। बताया जाता है कि कुछ लोग दूसरों को बचाने या खुद भागने की कोशिश में घायल हो गए।

मिलावटी दूध के सेवन से मौत

(केस संख्या 395/1/5/2026)

23 मार्च 2026 को मीडिया ने बताया कि आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के लालाचेरुवु, चौदेश्वरननगर और स्वरूपनगर इलाकों में फरवरी के मध्य से मिलावटी दूध के सेवन से 16 लोगों की मौत हो चुकी है। कम से कम चार अन्य लोगों का भी इसी तरह के लक्षणों के साथ इलाज चल रहा है। खबरों के अनुसार, दूध में एथिलीन ग्लाइकॉल नामक एक जहरीला पदार्थ मिलाया गया था, जिसके कारण कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया। संदूषण का संदिग्ध स्रोत नरसपुरम गांव में स्थित एक डेयरी है, जो इलाके के 100 से अधिक घरों को दूध की आपूर्ति करती थी। इसलिए, आयोग ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में स्वास्थ्य की स्थिति, जांच और मृतकों के परिजनों को दिए गए मुआवजे यदि कोई हो का विवरण शामिल होना चाहिए। खबरों के मुताबिक, लोगों के बीमार पड़ने के मामले फरवरी 2026 के मध्य में सामने आए, जब निवासियों को पेट दर्द, उल्टी, पेशाब न आना और गुर्दे की गंभीर खराबी जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं होने लगीं। पीड़ितों में ज्यादातर या तो बुजुर्ग व्यक्ति या छोटे बच्चे थे।

रोपवे दुर्घटना के कारण मौत

(केस नंबर.126/33/12/2026)

22 मार्च 2026 को मीडिया ने छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में स्थित खल्लारी माता मंदिर से लौटते समय रोपवे दुर्घटना में एक महिला की मौत और सोलह अन्य लोगों के घायल होने की खबर दी। कथितत तौर पर, रस्सी का तार अचानक टूट गया और श्रद्धालुओं को ले जा रही ट्रॉली गिर गई। इसलिए, मीडिया ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव और महासमुंद जिले के पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में घायलों की स्वास्थ्य स्थिति के साथ-साथ मृतक और घायलों के परिजनों को दिए गए मुआवजे यदि कोई हो का विवरण भी शामिल होना चाहिए। कथितत तौर पर, महिला की मौके पर ही मौत हो गई और पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सोलह घायलों को तुरंत बचा लिया और उन्हें बागबाहरा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। यहां से आठ गंभीर रूप से घायल लोगों को बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर कर दिया गया।

विभिन्न जेलों में 285 कैदियों की मौत

(केस संख्या 125/33/0/2026)

23 मार्च 2026 को मीडिया ने बताया कि छत्तीसगढ़ की विभिन्न जेलों में पिछले चार वर्षों में कुल 285 कैदियों की मौत हुई है, जिनमें से सबसे अधिक 90 मौतें 2022 में और 66 मौतें जनवरी 2025 से जनवरी 2026 के बीच हुई। खबरों के अनुसार, राज्य सरकार ने विधानसभा में कैदियों की मौत के कारणों के रूप में आत्महत्या और दीर्घकालिक बीमारियों का हवाला दिया। कथितत तौर पर, राज्य की जेलें ज्यादातर भीड़भाड़ वाली हैं, जिससे कैदियों में संक्रमण और मानसिक तनाव बढ़ रहा है। अधिकांश जेलों में कैदियों के चिकित्सा उपचार के लिए डॉक्टरों और मनोचिकित्सकों की कमी है। इसलिए, आयोग ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव और जेल महानिदेशक को नोटिस जारी कर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में जेलों में कथित भीड़भाड़, डॉक्टरों के रिक्त पदों और इस समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों से संबंधित आंकड़े शामिल होने की अपेक्षा है।

राहत के लिए सिफारिशें

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत की प्राथमिक जिम्मेदारियों में से एक मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों का समाधान करना, पीड़ितों की शिकायतों को सुनना और ऐसे मामलों में उचित राहत की सिफारिश करना है। यह नियमित रूप से विभिन्न मामलों को अपने हाथ में लेता है और पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश और सिफारिशें देता है। मार्च 2026 में, 15 मामलों में पीड़ितों या उनके परिजनों (एनओके) के लिए 56.25 लाख रुपये की राशि की सिफारिश की गई थी, जिनमें यह पाया गया कि लोक सेवकों ने या तो मानव अधिकारों का उल्लंघन किया था या उनकी रक्षा करने में लापरवाही बरती थी। इन मामलों का विशिष्ट विवरण नीचे दी गई तालिका में दिए गए केस नंबर को दर्ज करके भारत के एनएचआरसी,भारत की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है:

क्रमांक	मामला संख्या	शिकायत की प्रकृति	राशि (लाख रुपये में)	प्राधिकरण
1.	878/1/5/2024-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मृत्यु	5.00	आंध्र प्रदेश सरकार
2.	1640/4/8/2024-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मृत्यु	5.00	बिहार सरकार
3.	1155/7/5/2022-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मृत्यु	5.00	हरियाणा सरकार
4.	1858/7/7/2022-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मृत्यु	5.00	हरियाणा सरकार
5.	216/7/6/2024-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मृत्यु	0.75	हरियाणा सरकार
6.	1801/34/16/2022-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मृत्यु	5.00	झारखंड सरकार
7.	4152/13/30/2022-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मृत्यु	5.00	महाराष्ट्र सरकार
8.	1548/18/17/2023-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मृत्यु	5.00	ओडिशा सरकार
9.	826/18/9/2024-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मृत्यु	3.00	ओडिशा सरकार

क्रमांक	मामला संख्या	शिकायत की प्रकृति	राशि (लाख रुपये में)	प्राधिकरण
10.	2990/22/13/2022-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मृत्यु	5.00	तमिलनाडु सरकार
11.	963/22/15/2022-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मृत्यु	3.00	तमिलनाडु सरकार
12.	462/33/5/2025	विद्यालयों/अन्य शिक्षण संस्थानों में शारीरिक दंड	0.05	छत्तीसगढ़ सरकार
13.	312/30/4/2025	पुलिस द्वारा हमला	0.05	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की दिल्ली सरकार
14.	796/13/16/2023	जोखिम भरे कचरे की मैन्युअल सफाई	0.15	महाराष्ट्र सरकार
15.	10/20/14/2025	पुलिस द्वारा गलत तरीके से हिरासत में लेना और मारपीट करना	0.25	राजस्थान सरकार

पीड़ितों को राहत राशि का भुगतान

मार्च 2026 के दौरान, आयोग ने अनुपालन रिपोर्ट और लोक प्राधिकरणों से भुगतान के प्रमाण प्राप्त होने पर या अन्य टिप्पणियों/निर्देशों के आधार पर 9 मामलों को बंद कर दिया। आयोग की सिफारिशों पर पीड़ितों या उनके परिजनों को 44 लाख रुपये से अधिक की राशि का भुगतान किया गया। इन मामलों का विस्तृत विवरण नीचे दी गई तालिका में दिए गए केस नंबर को दर्ज करके एनएचआरसी, भारत की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

क्रमांक	मामला संख्या	शिकायत की प्रकृति	राशि (लाख रुपये में)	प्राधिकरण
1.	708/1/5/2021-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मृत्यु	5.00	आंध्र प्रदेश सरकार
2.	797/1/3/2022-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मृत्यु	5.00	आंध्र प्रदेश सरकार
3.	1678/4/26/2023-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मृत्यु	5.00	बिहार सरकार
4.	557/4/26/2024-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मृत्यु	5.00	बिहार सरकार
5.	268/30/5/2021-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मृत्यु	5.00	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
6.	2289/18/3/2021-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मृत्यु	2.00	ओडिशा सरकार
7.	2597/18/3/2021-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मृत्यु	5.00	ओडिशा सरकार
8.	839/25/5/2020-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मृत्यु	10.00	पश्चिम बंगाल सरकार
9.	2137/24/7/2024	राज्य में उचित चिकित्सा सुविधाओं का अभाव	2.00	उत्तर प्रदेश सरकार

केस स्टडी

कई मामलों में, आयोग ने पाया कि राज्य अधिकारियों के दावों के विपरीत, उनके गैरकानूनी कार्यों, निष्क्रियता या चूक के कारण पीड़ितों के मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ था। इसलिए, आयोग ने प्रत्येक मामले के आधार पर उन्हें नोटिस जारी कर कारण बताओ कि इन पीड़ितों या उनके परिजनों को आर्थिक सहायता क्यों नहीं दी जानी चाहिए और दोषी/लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। कारण बताओ नोटिसों पर राज्यों द्वारा अपनाए गए जवाब के आधार पर आयोग ने मानव अधिकार उल्लंघन के पीड़ितों या उनके परिजनों को आर्थिक सहायता देने की सिफारिश की। आयोग को संबंधित राज्य अधिकारियों द्वारा सिफारिशों के अनुपालन की रिपोर्ट भी प्राप्त हुई। ऐसे मामलों का सारांश नीचे दिया गया है:

विचाराधीन कैदी की मौत

(केस नंबर 839/25/5/2020-जेसीडी)

यह मामला पश्चिम बंगाल के कोलकाता जिले के दमदम स्थित केंद्रीय कारागार में 2020 में विचाराधीन कैदी की मृत्यु से संबंधित था। संबंधित अधिकारियों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर आयोग ने पाया कि पीड़ित मानसिक रूप से बीमार था और अपने बैरक में फांसी पर लटका हुआ पाया गया था। आयोग ने यह भी पाया कि कैदी की सुरक्षा सुनिश्चित करने में जेल अधिकारियों की ओर से लापरवाही बरती गई थी। इसलिए, आयोग ने माना कि राज्य अपने अधिकारियों की लापरवाही के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी है और उसने पीड़ित के परिजनों को 5 लाख रुपये की राहत राशि देने की सिफारिश की, जिसका पालन किया गया।

नवजात शिशु की मौत

(केस नंबर 2137/24/7/2024)

यह मामला 2024 में उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के एक अस्पताल में चिकित्सा लापरवाही के कारण एक नवजात शिशु की मौत से संबंधित है।संबंधित अधिकारियों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर आयोग ने पाया कि शिशु के उपचार में लापरवाही हुई थी जिसके परिणामस्वरूप उसकी मौत हो गई। इसलिए, आयोग ने राज्य सरकार को मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपये का भुगतान करने की सिफारिश की, जिसका भुगतान कर दिया गया।

कैदी द्वारा आत्महत्या

(केस नंबर 708/1/5/2021-जेसीडी)

यह मामला 2021 में आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के राजामहेंद्रवरम स्थित केंद्रीय जेल में एक कैदी द्वारा की गई आत्महत्या से संबंधित था।संबंधित अधिकारियों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर आयोग ने पाया कि दोषी कैदी आधी खुली जेल से भाग गया था और अगले दिन जेल क्वार्टर के पास मल्लिकार्जुन नगर में लटका हुआ पाया गया। आयोग ने माना किजेल अधिकारियों ने अपनी हिरासत में बंद कैदियों की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करने के अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहे। इसलिए, राज्य सरकार द्वारा पीड़ित के परिजनों को 5 लाख रुपये की राहत राशि का भुगतान करने की सिफारिश की गई थी, जिसका भुगतान कर दिया गया।

पुलिस हिरासत में मौत

(केस नंबर 2597/18/3/2021-जेसीडी)

यह मामला 2021 में ओडिशा के कटक में पुलिस हिरासत में चिकित्सा उपचार के दौरान एक 31 वर्षीय व्यक्ति की मौत से संबंधित है। संबंधित अधिकारियों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर आयोग ने पाया कि पीड़ित को एक आपराधिक मामले में उसके घर से गिरफ्तार किया गया था और वाहन से भागने की कोशिश में उसे चोटें आईं। आयोग ने माना कि जब कोई गिरफ्तार व्यक्ति राज्य की हिरासत में होता है तो उसकी सुरक्षा और संरक्षा राज्य की सर्वोपरि जिम्मेदारी होती है। इस मामले में, पुलिस अधिकारी हिरासत में लिए गए व्यक्ति की सुरक्षा करने में विफल रहे। इसलिए, आयोग ने राज्य सरकार को मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपये की राहत राशि देने की सिफारिश की, जिसका भुगतान कर दिया गया।

मौके पर पूछताछ

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों में मौके पर जाकर जांच करने के लिए समय-समय पर अन्वेषण अधिकारियों की अपनी टीम नियुक्त करता है।

- **केस संख्या 17473/24/21/2025**

  9 से 13 मार्च 2026 तक, इस आरोप की मौके पर जांच की गई कि शिकायतकर्ता और उसके परिवार को उत्तर प्रदेश के देवरिया में अपना साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशित करना बंद करने के लिए कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही थी।

- **केस संख्या 4830/30/0/2025**

  9 से 13 मार्च 2026 तक, दिल्ली के उत्तरी रेलवे सेंट्रल अस्पताल में लापरवाही के कारण हुई मौतों के आरोपों की मौके पर जांच की गई।

- **केस संख्या 116/22/42/2025**

  9 से 13 मार्च 2026 तक, इस आरोप की मौके पर जांच की गई कि फेंगल चक्रवात के दौरान, तमिलनाडु के विलुपुरम जिले में अधिकारियों ने सथानूर बांध से बिना चेतावनी के पानी छोड़ा, जिससे एक घर को नुकसान पहुंचा।

- **केस संख्या 603/18/9/2025-डीएच**

  9 से 13 मार्च 2026 तक, ओडिशा के मयूरभंज में एक आश्रम स्कूल में कक्षा 2 की एक छात्रा की मौत के आरोप के संबंध में मौके पर जांच की गई।

- **केस संख्या 24535/24/57/2024**

  23 से 25 मार्च 2026 तक, शिकायतकर्ता की बेटियों को उनके स्कूल द्वारा निष्कासित किए जाने के आरोप की मौके पर जांच की गई, जब यह पता चला कि उनकी मां नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में है।

क्षेत्रीय दौरे

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत के अध्यक्ष, सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी समय-समय पर देश के विभिन्न स्थानों का दौरा करते हैं ताकि मानव अधिकारों की स्थिति और राज्य सरकारों एवं उनके संबंधित अधिकारियों द्वारा आयोग की परामर्शी, दिशा-निर्देशों और संस्तुतियों के कार्यान्वयन की स्थिति का आकलन कर सकें। वे सरकारी अधिकारियों में जागरूकता बढ़ाने और मानव अधिकार स्थितियों में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए आश्रय स्थलों, कारागारों और निगरानी गृहों का भी दौरा करते हैं। इन दौरों के दौरान, राज्य अधिकारियों द्वारा समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के महत्व पर भी प्रकाश डाला जाता है, क्योंकि इससे आयोग को मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों को शीघ्रता से हल करने में सहायता मिलती है।

एनएचआरसी, भारत के सदस्य का दौरा

24 मार्च 2026 को, एनएचआरसी, भारत की सदस्या श्रीमती विजया भारती सयानी ने तेलंगाना के सिद्दिपेट स्थित अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास का दौरा कर मानव अधिकार स्थिति और विभिन्न सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने पाया कि 108 छात्राओं वाले इस छात्रावास की स्थिति अस्वच्छ थी। भवन में अग्नि सुरक्षा के कोई उपाय नहीं थे और न ही कोई खेल का मैदान था। भोजन की गुणवत्ता भी असंतोषजनक थी और प्रबंधन अधिकारी अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन नहीं कर रहे थे, जिससे छात्राओं की शिक्षा प्रभावित हो रही थी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से स्थिति में सुधार के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया।

25 मार्च 2026 को उन्होंने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले का दौरा किया और जिला कार्यक्रम अधिकारी (आईसीडीएस), सीडीपीओ, जनजातीय कल्याण अधिकारी, अनुसूचित जाति कल्याण अधिकारी, बीसी कल्याण अधिकारी, आरडीओ, डीएसपी और जिले के संयुक्त आयुक्त से मुलाकात की। उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा सामना की जा रही विभिन्न समस्याओं और जिले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/बीसी छात्रावासों में आवश्यक वस्तुओं की कमी पर चर्चा की। उन्होंने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का जायजा लिया और सुधारात्मक उपायों का सुझाव दिया। उन्होंने तारा डिग्री कॉलेज का भी दौरा किया और प्रधानाचार्य, संकाय सदस्यों और कर्मचारियों से बातचीत की तथा बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा और सुरक्षा से संबंधित उनकी समस्याओं पर चर्चा की।

विशेष प्रतिवेदक और विशेष मॉनिटर

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानव अधिकार स्थितियों की मॉनिटरिंग के लिए 15 विशेष प्रतिवेदकों को नियुक्त किया है। ये प्रतिवेदक आश्रय गृहों, कारागारों, निगरानी गृहों और इसी प्रकार के संस्थानों का दौरा करते हैं, आयोग के लिए रिपोर्ट लिखते हैं जिनमें उनके अवलोकन और भविष्य की कार्रवाई के लिए सुझाव शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त, आयोग ने 18 विशेष मॉनिटर को नियुक्त किया है जिन्हें विशिष्ट विषयगत मानव अधिकार मुद्दों की निगरानी करने और आयोग को अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कार्य सौंपा गया है।

एनएचआरसी, भारत की विशेष प्रतिवेदक डॉ. साधना राउत, गुजरात के सूरत में जीआईडीसी, सचिन स्थित एक वस्त्र मिल के श्रमिकों के साथ संवाद करती हुई

विशेष प्रतिवेदक

- श्री उपेंद्र सिंह बघेल ने 5 से 14 मार्च 2026 तक उत्तर प्रदेश के लखनऊ राज्य का दौरा किया और मुख्य सचिव; अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रधान सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण; महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य; अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रधान सचिव, महिला एवं बाल विकास; निदेशक, महिला कल्याण; निदेशक, बाल कल्याण; महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक (डीजी एवं आईजीपी); महानिदेशक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग से मुलाकात की। उन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग का भी दौरा किया।
- 16 से 20 मार्च 2026 तक, डॉ. साधना राउत ने दक्षिण गुजरात के सूरत, वलसाड, धरमपुर और डांग जिलों का दौरा किया। उन्होंने कल्याणकारी और जनजातीय विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने सूरत और वापी के औद्योगिक क्षेत्रों और वलसाड और डांग के जनजातीय क्षेत्रों का दौरा किया, जहां उन्होंने सरकारी अधिकारियों, कार्यकर्ताओं, ग्राम सभाओं और नागरिक समाज संगठनों के साथ बातचीत की।

  औद्योगिक क्षेत्रों में, श्रमिक कल्याण तंत्र, पर्यावरण अनुपालन प्रणाली और सीएसआर पहलों का आकलन किया गया। यह पाया गया कि अनौपचारिक रोजगार, आवास और प्रवासी श्रमिकों के दस्तावेज़ीकरण से संबंधित चिंताएँ अभी भी बनी हुई हैं। जनजातीय क्षेत्रों में, वन अधिकार अधिनियम के तहत प्रगति देखी गई, साथ ही कार्यान्वयन, जागरूकता और आजीविका सहायता में कमियाँ भी पाई गईं। प्रमुख चिंताओं में कुपोषण, पलायन, शिक्षा में व्यवधान और सीमित आजीविका के अवसर शामिल थे। इस दौरे ने समावेशी विकास सुनिश्चित करने और सेवा वितरण को मजबूत करने के लिए एकीकृत, अधिकार-आधारित हस्तक्षेपों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
- 17 से 20 मार्च 2026 तक, श्री नित्यानंद श्रीवास्तव ने राजस्थान के उदयपुर और सिरोही जिलों का दौरा किया ताकि टाटा संस्थान द्वारा संचालित राज्य-सहायता प्राप्त वृद्धाश्रमों में मानव अधिकारों की स्थिति और सुविधाओं का आकलन कर सकें। उन्होंने अनुष संस्थान द्वारा संचालित स्वयंसिद्ध आश्रम, आंगनवाड़ी केंद्र, महिलाओं के लिए आश्रय गृह, अनाथालय, कारागार, दिव्यांगजनों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सुविधाएं, मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, सामुदायिक संस्थान और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए छात्रावासों का भी दौरा किया।
- 24 से 28 मार्च 2026 तक, श्री सईद अहमद बाबा ने त्रिपुरा के अगरतला जिले का दौरा किया और मुख्य सचिव तथा गृह सचिव सहित राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। विशेष प्रतिवेदक ने केंद्रीय संशोधन नगर (केंद्रीय जेल), महिला जेल, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए आश्रम विद्यालय, सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल तथा जिले के मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल का भी दौरा किया।
- श्री मोहम्मद जमशेद ने 24 से 28 मार्च 2026 तक महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर का दौरा किया और संभागीय आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस आयुक्त, पुलिस अधीक्षक और जेल अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने मानव अधिकार स्थिति का आकलन करने के लिए जिले के हरसुल स्थित केंद्रीय जेल, सरकारी मेडिकल कॉलेज के मनोचिकित्सा विभाग, जिला परिवीक्षा एवं निगरानी गृह और मातोश्री वृद्धाश्रम का भी दौरा किया।

विशेष मॉनिटर

- श्री देवेंद्र सिंह धापोला ने 11 से 13 मार्च 2026 और 26 से 28 मार्च 2026 तक राजस्थान के जयपुर, दौसा और उदयपुर जिलों का दौरा किया ताकि एनएचआरसी और भारत सरकार द्वारा जारी परामर्शियों के कार्यान्वयन की जांच, निगरानी, मूल्यांकन और रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके। उन्होंने मानव अधिकार स्थिति का आकलन करने के लिए जमीनी दौरों के अलावा संबंधित राज्य और जिला अधिकारियों, शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी), सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) के अधिकारियों और अन्य हितधारकों के साथ बैठकें भी कीं।
- 12 से 14 मार्च 2026 तक, डॉ. पूनम मलकोंडैया ने राजस्थान के जोधपुर जिले का दौरा किया और जिले के ओसियां और भोपालगढ़ ब्लॉकों में प्राथमिक विद्यालयों और आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करने के साथ-साथ विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों से बातचीत की। उन्होंने शिक्षा अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, उप-मंडल मजिस्ट्रेट और जिला मजिस्ट्रेट के साथ बैठकें भी कीं, जिनमें स्कूलों में साक्षरता स्तर, शिक्षा की गुणवत्ता, स्वच्छता सुविधाएं, मध्याह्न भोजन योजना का कार्यान्वयन और आंगनवाड़ी केंद्रों में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की गई।
- श्री आर. हेमंत कुमार ने 16 से 21 मार्च 2026 तक ओडिशा के भुवनेश्वर, नयागढ़, कंधमाल, बौध, सतकोसिया और अंगुल का दौरा किया। इस दौरे का उद्देश्य राज्य में सामुदायिक वन अधिकार (सीएफआर) प्रशासन की कार्यप्रणाली का जायजा लेना और पारिस्थितिक अखंडता एवं संस्थागत ढाँचे के साथ सामुदायिक अधिकारों की मान्यता और प्रबंधन में मौजूद कमियों की पहचान करना था। इस दौरे के दौरान उन्होंने भुवनेश्वर में ओडिशा वन विभाग के मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिवों (पंचायत राज, जनजातीय कल्याण, वन एवं पर्यावरण) और प्रधान मुख्य वन संरक्षक से भी मुलाकात की। उन्होंने नयागढ़, कंधमाल, बौध, सतकोसिया और अंगुल में

▶ एनएचआरसी, भारत के विशेष मॉनिटर श्री आर. हेमंत कुमार, ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के अधिकारियों के साथ संवाद करते हुए

स्थित सामुदायिक वन संसाधन क्षेत्रों का भी दौरा किया। उन्होंने भुवनेश्वर में स्थानीय समुदायों, जिला स्तरीय अधिकारियों, हितधारकों और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के अधिकारियों के साथ भी चर्चा की।

- श्री उमाकांत ने 17 से 22 मार्च 2026 तक कर्नाटक के बेंगलुरु जिले के ग्रामीण और उपनगरीय क्षेत्रों का दौरा किया और पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों की स्थिति, चुनौतियों और कार्यान्वयन पर मानव अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में उनके दृष्टिकोण को समझने के लिए राज्य और जिला स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों से बैठकें कीं। उन्होंने ग्राम सभा पदाधिकारियों और स्थानीय निवासियों, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला परिषद प्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत की। उन्होंने नागपुर में वरिष्ठ जिला अधिकारियों के साथ एक समीक्षा सत्र भी आयोजित किया।
- 18 से 21 मार्च 2026 तक, श्री विद्या भूषण कुमार ने बिहार के पटना, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर का दौरा किया और मुख्य सचिव, सचिव (पर्यावरण) और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के साथ-साथ वायु और जल प्रदूषण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और पर्यावरण प्रशासन से संबंधित अन्य अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) और अन्य प्रदूषण नियंत्रण योजनाओं, जिनमें ठोस अपशिष्ट निपटान, गंगा नदी सफाई पहल और औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण और वायु गुणवत्ता प्रबंधन शामिल हैं, के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए गैर-प्राप्ति वाले शहरों में जमीनी निरीक्षण और स्थल भ्रमण भी किया, जिसमें विशेष रूप से सबसे संवेदनशील क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- 20 से 25 मार्च 2026 तक, प्रोफेसर कन्हैया त्रिपाठी ने ओडिशा के भुवनेश्वर, पुरी और कोरापुट में कई स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों का दौरा किया। उन्होंने शिक्षकों, छात्रों और लैंगिक संवेदनशीलता समितियों के साथ बातचीत की और मानव अधिकार शिक्षा और लैंगिक समानता की स्थिति का जायजा लिया। इन संस्थानों में उत्कल विश्वविद्यालय, केंद्रीय महिला कृषि संस्थान, एनआईटी भुवनेश्वर, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय, विक्रम देब विश्वविद्यालय, सरकारी महिला महाविद्यालय, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, रमा देवी महिला विश्वविद्यालय, एम्स भुवनेश्वर और जवाहर नवोदय विद्यालय, खुर्दा शामिल थे।

▶ एनएचआरसी, भारत के विशेष मॉनिटर प्रो. कन्हैया त्रिपाठी, ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित अन्नपूर्णा छात्रनिवास लेडीज़ हॉस्टल के दौरे पर

- 23 से 28 मार्च 2026 तक, श्री धनंजय टिंगल ने बिहार के पटना, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और सहरसा जिलों का दौरा किया और प्रधान सचिव (बंधुआ मजदूरी निगरानी एवं ट्रैकिंग प्रणाली), प्रधान सचिव (गृह), एडीजी (डब्ल्यूसीएसओ) और एडीजी (कानून एवं व्यवस्था) के साथ बैठकें कीं। इस दौरे का उद्देश्य निर्धारित प्रणालियों और प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन की जांच करना, बंधुआ मजदूरी और बाल श्रम से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा उठाए गए उपायों का आकलन करना, जिलों में पीड़ितों की स्थिति की समीक्षा करना और बंधुआ मजदूरी की प्रभावी रोकथाम के लिए आवश्यक कदमों की पहचान करना था।
- 23 से 25 मार्च 2026 तक, डॉ. पूनम मलकोंडैया ने ओडिशा के ढेंकनाल और खोरधा जिलों का दौरा किया और प्राथमिक विद्यालयों और आंगनवाड़ी केंद्रों (एवीसी) का निरीक्षण करने के साथ-साथ छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से बातचीत की। उन्होंने शिक्षा अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट और जिला मजिस्ट्रेट के साथ बैठकें भी कीं, जिनमें साक्षरता स्तर, शिक्षा की गुणवत्ता, विद्यालयों में स्वच्छता, मध्याह्न भोजन योजना का कार्यान्वयन और आंगनवाड़ी केंद्रों में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की गई।
- 23 से 28 मार्च 2026 तक, डॉ. प्रदीपता कुमार नायक ने तमिलनाडु के चेन्नई, चेंगलपट्टू और कांचीपुरम जिलों का दौरा किया और राज्य के स्वास्थ्य, कुष्ठ रोग और मानसिक स्वास्थ्य अधिकारियों, जिला कलेक्टरों और जिला विभागीय प्रमुखों के साथ बैठकें कीं। उन्होंने अस्पतालों, जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, समुदायों और कुष्ठ रोग कॉलोनियों का दौरा किया ताकि स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन, कुष्ठ रोग और संबंधित दिव्यांगताओं से प्रभावित व्यक्तियों के लिए सेवाओं, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं और विभिन्न सरकारी योजनाओं और पुनर्वास उपायों के समन्वय की समीक्षा की जा सके।
- श्री सुभाष चंद्र ने 23 से 28 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ के रायपुर, बलौदाबाजार और कोरबा जिलों का दौरा किया और मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, जनजातीय कल्याण, खान, पर्यावरण और वन विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण से संबंधित मामलों की समीक्षा करने के लिए बैठकें कीं। उन्होंने इन विभागों के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के कामकाज, दिव्यांगजनों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और अन्य कमजोर समूहों को पहचान पत्र जारी करने, खनन प्रभावित समुदायों के स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित मुद्दों और जिला खनिज फाउंडेशन के माध्यम से कार्यान्वित कार्यों का भी आकलन किया। उन्होंने जिला प्रशासन और संबंधित जिला अधिकारियों के साथ भी बैठकें कीं और खनन प्रभावित क्षेत्रों और आंगनवाड़ी केंद्रों, महिला आश्रय गृहों, अनाथालयों, दिव्यांगजनों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, बुजुर्गों, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए सुविधाओं, सामुदायिक वन अधिकारों से संबंधित संस्थानों और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए छात्रावासों/संस्थानों आदि का दौरा किया। उन्होंने राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य से भी मुलाकात की।
- श्री एस.के. सतपथी ने 25 से 28 मार्च 2026 तक ओडिशा के ढेंकनाल जिले का दौरा किया और जिला जेल तथा अन्य हिरासत संस्थानों में मानव

अधिकारों की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने गैर-सरकारी संगठनों, स्वयंसेवी संगठनों और जिला प्रशासन के अधिकारियों से भी बातचीत की।

- श्री बालकृष्ण गोयल ने 30 से 31 मार्च 2026 तक बिहार के पटना और दरभंगा का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने अवलोकन गृहों, सुरक्षा केंद्रों, विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसियों/बाल देखभाल संस्थानों, आंगनवाड़ी केंद्रों, केंद्रीय/जिला जेलों, जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सरकारी स्कूलों, पीडीएस वितरण केंद्रों और वृद्धाश्रमों का मौके पर निरीक्षण किया। उन्होंने जिला मजिस्ट्रेटों और अन्य संबंधित जिला स्तरीय अधिकारियों से भी मुलाकात की।

▶ एनएचआरसी, भारत के विशेष मॉनिटर श्री बालकृष्ण गोयल, बिहार में एक अस्पताल का दौरा करते हुए

क्षमता निर्माण कार्यक्रम

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत को मानव अधिकारों को संरक्षण एवं संवर्धन करने और उनके बारे में जागरूकता बढ़ाने का दायित्व सौंपा गया है। इस उद्देश्य के लिए, आयोग इंटर्नशिप कार्यक्रम, सहयोगात्मक प्रशिक्षण और अन्य कई गतिविधियाँ आयोजित करता रहा है, जिनमें मॉक कोर्ट भी शामिल हैं, ताकि विशेष रूप से विश्वविद्यालय स्तर के छात्रों के बीच मानव अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाई जा सके। इंटर्नशिप व्यक्तिगत रूप से और ऑनलाइन दोनों तरीकों से आयोजित की जाती हैं। नई दिल्ली स्थित आयोग के परिसर में शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन सत्रों में दो महीने की व्यक्तिगत इंटर्नशिप और छह ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप (ओएसटीआई) कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ओएसटीआई दूरदराज के क्षेत्रों के छात्रों को दिल्ली में यात्रा और रहने के खर्च के बिना इसमें शामिल होने में मदद करते हैं।

ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप

इस वर्ष का दूसरा दो सप्ताह का ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप (ओएसटीआई) कार्यक्रम 9 से 20 मार्च 2026 तक आयोजित किया गया। विभिन्न शैक्षणिक पृष्ठभूमियों के 71 विश्वविद्यालय स्तरीय छात्रों ने इसे सफलतापूर्वक पूरा किया। दूरस्थ क्षेत्रों सहित 17 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रोंके 1,147 आवेदकों में से इनका चयन किया गया था। चयनित छात्रों में 54 लड़कियां और 17 लड़के थे।

▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए

इसका उद्घाटन करते हुए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी),भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने एनएचआरसी इंटर्नशिप कार्यक्रम में लड़कियों की बढ़ती भागीदारी पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज की समृद्धि, समानता, निष्पक्षता, न्याय और सामाजिक चेतना को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं में अधिक शिक्षा और जागरूकता आवश्यक है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि प्रशिक्षु मानव अधिकारों के ज्ञान का उपयोग न केवल अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए करेंगे, बल्कि अपने चरित्र और समाज के प्रति दृष्टिकोण को समृद्ध करने के लिए भी करेंगे।

सिडनी स्थित अंतरराष्ट्रीय थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि आज दुनिया के 78 देश शांति और स्वतंत्रता के नाम पर अपनी सीमाओं के बाहर सशस्त्र संघर्षों में लगे हुए हैं। विडंबना यह है कि जो लोग शांति की बात कर रहे थे, वे अब युद्ध की बात कर रहे हैं। ऐसे संघर्षों के मानव सभ्यता और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गंभीर परिणाम होते हैं, लगभग 12 करोड़ लोग शरणार्थी या आंतरिक रूप से विस्थापित हो जाते हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था को लगभग 20 ट्रिलियन डॉलर का अनुमानित नुकसान होता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इसी संदर्भ में मानव अधिकारों का सही अर्थ और महत्व समझा जाना चाहिए।

अपने संबोधन में एनएचआरसी के महासचिव श्री भरत लाल ने कहा कि यह देश इसके नागरिकों का है और प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखना तथा इसे एक बेहतर और अधिक सुंदर स्थान बनाना उनकी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 'विकसित भारत' की अवधारणा लोगों के दैनिक जीवन में,

घरों में, स्कूलों, कॉलेजों, छात्रावासों, कार्यस्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर झलकनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रख्यात वक्ताओं के साथ संवाद से प्रशिक्षुओं को सीखने का एक अनूठा अवसर मिलेगा, जिससे वे मानव अधिकार क्षेत्र में अनुभवी विशेषज्ञों के साथ सीधे जुड़ सकेंगे। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रशिक्षुओं को मानव अधिकारों के राजदूत के रूप में तैयार करना है। उन्होंने प्रतिभागियों से यह भी आग्रह किया कि वे इन दो सप्ताहों का उपयोग स्वयं को जागरूक करने के लिए करें ताकि वे जहां भी अन्याय हो उसे पहचान सकें और भेदभाव को समझ सकें चाहे वह व्यवस्थागत हो या अन्य प्रकार का।

बाद में, इंटर्नशिप के समापन पर, न्यायमूर्ति रामासुब्रमण्यन ने अपने समापन भाषण में कहा कि इंटर्नशिप कार्यक्रम का उद्देश्य मानव अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाना और वंचितों के प्रति सहानुभूति विकसित करना है। 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर कदम रखने पर नील आर्मस्ट्रांग के कथन, "यह मनुष्य के लिए एक छोटा कदम है, लेकिन मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है," का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि यदि एनएचआरसी इंटर्नशिप को पूरा करने से प्रशिक्षुओं को भी ऐसा ही महसूस होता है, तो इसका उद्देश्य पूरा हो जाता है।

मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (यूएचडीआर) का हवाला देते हुए, जिसमें कहा गया है कि 'सभी मनुष्य समान और स्वतंत्र पैदा होते हैं,' न्यायमूर्ति रामासुब्रमण्यन ने कहा कि यह वास्तविकता से कहीं अधिक दार्शनिक है, क्योंकि सभी मनुष्य एक समान सुरक्षित वातावरण में पैदा नहीं होते। जब प्रशिक्षुओं को यह बात समझ आ जाएगी, तो वे अपने साथी मनुष्यों के प्रति अधिक सहानुभूति रखने लगेंगे। लोगों के प्रति सहानुभूति रखना आदर्श नागरिक बनने की कुंजी है। उन्होंने तमिल कवि-ऋषि तिरुवल्लुवर की रचना तिरुक्कुरल से भी उद्धरण दिया: 'किसी व्यक्ति को विद्वान कहलाने का क्या अर्थ है जब तक कि वह दूसरों को देखकर आंसू न बहाए?' उन्होंने कहा कि सच्चा ज्ञान और विद्या व्यर्थ है यदि वह दूसरों के दुख के प्रति सहानुभूति उत्पन्न न करे।

इस अवसर पर अपने संबोधन में, एनएचआरसी के महासचिव श्री भरत लाल ने आयोग के साथ इंटर्नशिप पूरी करने वाले प्रशिक्षुओं को बधाई दी।

▶ प्रशिक्षुओं का एक समूह

उन्होंने उनसे आग्रह किया कि वे अपने द्वारा सीखी गई बातों को आत्मसात करें ताकि उनमें संवेदनशीलता और जवाबदेही विकसित हो और वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक आदर्श नागरिक बनें। उन्होंने आत्मनिरीक्षण और अपने कार्यों पर चिंतन पर जोर देते हुए कहा कि मानव अधिकारों की रक्षा और संवर्धन की जिम्मेदारी केवल सरकार की ही नहीं बल्कि व्यक्तियों की भी है। मानव अधिकारों की रक्षा करना - प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों और गरिमा को बनाए रखना - प्रत्येक व्यक्ति का पवित्र और साझा दायित्व है।

श्री लाल ने कहा कि कमजोर लोग अक्सर अपनी परिस्थितियों के शिकार होते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भीख मांगने वाले और दिव्यांगजनों जैसे लोगों को अपने हक पाने और गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए सहायता की आवश्यकता हो सकती है। उनकी मदद का एक छोटा सा प्रयास भी हमें एक अच्छा इंसान बनाने में बहुत मददगार साबित हो सकता है। यह सब अपने जीवन को सार्थक बनाने के बारे में है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि प्रशिक्षु ऐसे लोगों के जीवन को बेहतर बनाने और उन्हें गरिमा प्रदान करने के लिए समय निकालेंगे। ऐसे छोटे प्रयास समाज में सार्थक योगदान दे सकते हैं। उन्होंने प्रशिक्षुओं को एनएचआरसी की वेबसाइट, न्यूज़लेटर और सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से उससे जुड़े रहने और मानव अधिकारों की रक्षा और संवर्धन के तरीकों पर आत्मनिरीक्षण और चिंतन करते रहने के साथ-साथ सीखते रहने के लिए भी प्रोत्साहित किया।

इससे पहले, एनएचआरसी की संयुक्त सचिव श्रीमती साईडिंगपुई छकछुआक ने इंटर्नशिप रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि छात्रों को अध्यक्ष, सदस्यों, महासचिव, वरिष्ठ एनएचआरसी अधिकारियों, भारत सरकार के अधिकारियों, मानव अधिकार संरक्षकों और नागरिक समाज के सदस्यों सहित प्रख्यात वक्ताओं के साथ संवादात्मक सत्रों के माध्यम से मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया गया। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं, जिनमें पुस्तक समीक्षा, ग्रुप शोध परियोजना प्रजेंटेशन और भाषण प्रतियोगिताएं शामिल थीं, के विजेताओं की घोषणा भी की। यह ऑनलाइन इंटर्नशिप कार्यक्रम उन छात्रों तक पहुंचने के लिए शुरू किया गया है जो नई दिल्ली आने में असमर्थ हैं और अपने गृह नगर से ही मानव अधिकारों के विभिन्न आयामों को सीख सकते हैं। इस अवसर पर संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार भी उपस्थित थे।

ऑनलाइन कार्यक्रम यह सुनिश्चित करता है कि एनएचआरसी दूरदराज, दुर्गम और वन/आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों तक पहुंच सके। वर्ष 2025-26 में, एनएचआरसी द्वारा ऐसे छह ऑनलाइन और दो प्रत्यक्ष (ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन) इंटर्नशिप कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिससे इन छात्रों को प्रख्यात व्यक्तियों, क्षेत्र विशेषज्ञों, मानव अधिकार संरक्षकों , शिक्षाविदों, राजनयिकों, न्यायविदों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संवाद करने का अवसर मिलता है, इस प्रकार मानव अधिकारों को बढ़ावा और युवाओं को सशक्त बनाया जाता है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष, सदस्यों, महासचिव और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा संबोधित किए गए थे। इनका आयोजन आयोग के सहयोग से विभिन्न संस्थानों द्वारा किया गया था।

- 11 मार्च 2026 को श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, श्री आनंदपुर साहिब, रूपनगर, पंजाब द्वारा "महिलाओं के अधिकार" विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लगभग 110 छात्रों ने इसमें भाग लिया।

- 24 मार्च 2026 को, हरियाणा के गुरुग्राम स्थित केआर मंगलम विश्वविद्यालय द्वारा 'डिजिटल युग में मानव अधिकार: गोपनीयता, निगरानी और एआई नैतिकता' विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

- तमिलनाडु के नेसमोनी मेमोरियल क्रिश्चियन कॉलेज द्वारा 13-14 मार्च 2026 को 'पुलिस कर्मियों की योग्यता और मानव अधिकार भूमिका का अन्वेषण' विषय पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

- 23 मार्च 2026 को तमिलनाडु के इरोड स्थित कोंगू इंजीनियरिंग कॉलेज ने मानव अधिकारों पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें महिलाओं और बच्चों के अधिकार, कमजोर समूहों के अधिकार और भारत में मानव अधिकार संस्थानों जैसे विषय शामिल थे। लगभग 100 प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया।

- 24 मार्च 2026 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय द्वारा 'मानव अधिकारों के उभरते आयाम' विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

- 24 मार्च 2026 को, तेलंगाना के हैदराबाद स्थित उस्मानिया विश्वविद्यालय द्वारा 'न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने और मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु एक आधारशिला के रूप में गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता सुनिश्चित करना' विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

- 25 मार्च 2026 को, झारखंड के रांची स्थित राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय द्वारा 'कार्यस्थल पर महिलाएं: उभरते मुद्दे और चुनौतियां' विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

- 27 मार्च 2026 को हेमवती नंदन बहुगुणा (गढ़वाल) केंद्रीय विश्वविद्यालय, एसआरटी परिसर, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड द्वारा 'मानव अधिकारों का भविष्य: रुझान और परिवर्तन' विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

- 27 मार्च 2026 को उत्तराखंड के गढ़वाल में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा 'मानव अधिकारों का भविष्य: रुझान और परिवर्तन' विषय पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

- सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा और आपराधिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान द्वारा 27-28 मार्च 2026 को 'पुलिस कर्मियों के लिए मानव अधिकार' विषय पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

- 27 मार्च 2026 को तमिलनाडु के इरोड स्थित इरोड सेंगुंथार इंजीनियरिंग कॉलेज द्वारा मानव अधिकारों पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

ज्ञानार्जन दौरे

महाविद्यालय स्तर के छात्रों और उनके संकाय सदस्यों के बीच मानव अधिकार जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत उन्हें आयोग का दौरा करने के लिए आमंत्रित करता है ताकि वे मानव अधिकार संरक्षण तंत्र और मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अनुसार इसके कामकाज से अवगत हो सकें। इन छात्रों को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जानकारी दी जाती है। मार्च 2026 में निम्नलिखित संस्थानों के कुल 207 छात्रों और 9 संकाय सदस्यों ने आयोग का दौरा किया:

- तमिलनाडु के तेनकासी स्थित एस. थंगापझम विधि महाविद्यालय के 48 छात्रों और 4 संकाय सदस्यों के एक दल ने एनएचआरसी का दौरा किया। उन्हें संबोधित करते हुए एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने कहा कि मानव अधिकारों और मूल्यों का सम्मान किए बिना कोई भी समाज वास्तव में समृद्ध नहीं हो सकता। उन्होंने भावी विधि पेशेवरों के रूप में छात्रों की जिम्मेदारी पर बल दिया कि वे सहानुभूति और करुणा के मूलभूत मूल्यों को बनाए रखें और बढ़ावा दें।

  न्यायमूर्ति रामासुब्रमण्यन ने छात्रों को आत्मनिरीक्षण करने और यह समझने के लिए प्रोत्साहित किया कि ज्ञान का उपयोग हमेशा आर्थिक लाभ के लिए पेशे में ही नहीं होना चाहिए, बल्कि जीवन के किसी व्यापक उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी इसका सार्थक उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यदि विधि के छात्रों को ही गहन समझ की आवश्यकता है, तो आम नागरिकों के लिए चुनौती और भी बड़ी है। उन्होंने छात्रों से मानव अधिकारों के सम्मान की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता फैलाने का आग्रह किया।

- गोवा विश्वविद्यालय के विधि, शासन और लोक नीति विभाग के 28 छात्रों और 5 संकाय सदस्यों का एक समूह।

- हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर स्थित करियर प्वाइंट यूनिवर्सिटी के 32 छात्रों और 3 संकाय सदस्यों का एक बैच।

- भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर विधि महाविद्यालय, ठाणे, महाराष्ट्र के 30 छात्रों और 3 संकाय सदस्यों का एक समूह।

- महाराष्ट्र के ठाणे स्थित वीपीएम टीएमसी लॉ कॉलेज के 50 छात्रों और 3 संकाय सदस्यों का एक बैच।

- दिल्ली स्थित राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के 17 छात्रों और 2 संकाय सदस्यों का एक समूह।

- अखिलेश दास गुप्ता विधि विद्यालय, जीजीएसआईपीयू, शास्त्री पार्क, दिल्ली के 70 छात्रों और 4 संकाय सदस्यों का एक बैच।

- दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय के विधि केंद्र प्रथम से 50 छात्रों का एक समूह और एक संकाय सदस्य।

- उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित एमिटी विश्वविद्यालय के 28 छात्रों और 3 संकाय सदस्यों का एक समूह।

- महाराष्ट्र के मुंबई स्थित पब्लिक लॉ कॉलेज के 35 छात्रों और 3 संकाय सदस्यों का एक बैच।

- हमदर्द नगर, दिल्ली स्थित हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च के 20 छात्रों और 3 संकाय सदस्यों का एक बैच।

- भारती विद्यापीठ (मानित विश्वविद्यालय), दिल्ली के 40 छात्रों और 2 संकाय सदस्यों का एक समूह।

मूट कोर्ट

- 12 से 14 मार्च 2026 तक, बिहार के गया में मानव अधिकार और निजता से संबंधित मुद्दों पर तीन दिवसीय एनएचआरसी-दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

- 13 मार्च 2026 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत की सदस्या श्रीमती विजया भारती सयानी ने दिल्ली के पीतमपुरा में 'हिंसा और हिरासत में यातना के दायरे से परे मानव अधिकार उल्लंघन' विषय पर आयोजित तीन दिवसीय एनएचआरसी-विवेकनंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज मूट कोर्ट प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया।

- 12 से 14 मार्च 2026 तक, हरियाणा के फरीदाबाद में मानव रचना विश्वविद्यालय मूट कोर्ट प्रतियोगिता द्वारा तीन दिवसीय 'तीसरी न्यायमूर्ति आर.सी. लाहोटी स्मृति मूट कोर्ट प्रतियोगिता' का आयोजन किया गया। समापन समारोह में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत की प्रजन्टेशन अधिकारी श्री अंजनी अनुज विशिष्ट अतिथि थीं।

- 14 मार्च 2026 को दिल्ली के कपाशेरा में तीन दिवसीय एनएचआरसी-फेयरफील्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी मूट कोर्ट प्रतियोगिता का समापन हुआ। एनएचआरसी की पीओ सुश्री नीरू कंबोज ने समापन सत्र में विशिष्ट अतिथि के रूप में संबोधित किया।

- 15 मार्च 2026 को, हरियाणा के सोनीपत में आयोजित तीन दिवसीय एनएचआरसी-डॉ. बी.आर. अंबेडकर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय मूट कोर्ट प्रतियोगिता का समापन हुआ। एनएचआरसी के रजिस्ट्रार (विधि) श्री जोगिंदर सिंह ने समापन सत्र को संबोधित किया।

- हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, शिमला ने एनएचआरसी सहयोग से 26 से 27 मार्च 2026 तक 'छठी एचपीएनएलयू राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता 2025-2026' का आयोजन किया।

अन्य इन-हॉउस प्रशिक्षण

- 10 मार्च 2026 को, एनएचआरसी, भारत ने अपने कर्मचारियों के लिए 'साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें' विषय पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। गृह मंत्रालय के सूचना एवं संचार नियंत्रण आई4सी निदेशक कर्नल तरुण उप्पल ने उभरते साइबर खतरों और बेहतर साइबर स्वच्छता सुनिश्चित करने के उपायों पर बहुमूल्य जानकारी साझा की। इस सत्र में फ़िशिंग, रैंसमवेयर, पासवर्ड चोरी, साइबर खतरों की पहचान, सुरक्षित ईमेल और इंटरनेट उपयोग, सोशल मीडिया पर अत्यधिक जानकारी साझा करने से जुड़े जोखिम और साइबर सुरक्षा जागरूकता के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं सहित कई विषयों को शामिल किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अधिकारियों के बीच जागरूकता बढ़ाना और डिजिटल प्लेटफॉर्म के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देना था। लगभग 100 अधिकारियों ने इसमें भाग लिया।

- 13 मार्च 2026 को, एनएचआरसी, भारत ने 'चिकित्सा आपातकालीन स्थितियों से निपटने' पर एक व्याख्यान सह प्रदर्शन का आयोजन किया। यह सत्र एम्स, नई दिल्ली के डॉक्टरों की एक टीम द्वारा संचालित किया गया, जिसका नेतृत्व एम्स में ट्रॉमा सर्जरी और क्रिटिकल केयर की प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष डॉ. सुषमा सागर ने किया। इस सत्र में आयोग के कर्मचारियों और अधिकारियों को गंभीर चिकित्सा आपात स्थितियों के प्रबंधन पर विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्रदान किया गया। इसमें शामिल प्रमुख विषयों में आवश्यक आपातकालीन देखभाल प्रोटोकॉल और तत्काल प्राथमिक उपचार तकनीकें शामिल थीं। कर्मचारियों को सही सीपीआर प्रक्रिया और जीवन रक्षक प्रतिक्रियाओं पर व्यावहारिक निर्देश दिए गए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन्हें चिकित्सा आपात स्थिति के "गोल्डन आवर" के दौरान प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए आवश्यक कौशल से लैस करना था।

- 17 मार्च 2026 को, एनएचआरसी, भारत ने आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 'जागरूकता से कार्रवाई तक: पीओएसएच के तहत जेंडर संवेदीकरण' विषय पर एक लैंगिक संवेदनशीलता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। सत्र का नेतृत्व एनएचआरसी के महिला कोर ग्रुप की सदस्य श्रीमती सुनीता धर ने किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को उन गहरे पूर्वाग्रहों को दूर करने में मदद करना था जो धारणाओं और व्यवहार को प्रभावित करते हैं और अनजाने में रूढ़ियों को मजबूत करते हैं, ताकि सभी लिंगों के लिए अधिक सम्मानजनक और समान कार्यस्थल वातावरण को बढ़ावा दिया जा सके।

पुरस्कार

एनएचआरसी ने लघु फिल्म प्रतियोगिता 2025 के विजेताओं की घोषणा की

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने वर्ष 2025 के लिए मानव अधिकारों पर लघु फिल्मों की अपनी 11वीं वार्षिक प्रतियोगिता के 7 विजेताओं की घोषणा की। पूर्ण आयोग जूरी ने प्रथम पुरस्कार के लिए 'रानी' का चयन किया, जिसके साथ 2 लाख रुपये का नकद पुरस्कार भी दिया जाता है। उत्तर प्रदेश की सुश्री सारिका जैन द्वारा निर्मित यह फिल्म रूढ़िवादिताओं के कारण उत्पन्न होने वाले वर्ग विभाजन और असमानता को सशक्त ढंग से दर्शाती है। यह फिल्म एक युवा महिला के परिवर्तनकारी दृष्टिकोण से घरेलू कामगार महिलाओं के संघर्षों और उनके मानव अधिकार संबंधी चिंताओं को चित्रित करती है। फिल्म अंग्रेजी उपशीर्षक के साथ हिंदी भाषा में है।

▶ अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन की अध्यक्षता में पूर्ण आयोग की जूरी विजेताओं के चयन हेतु फिल्मों का अवलोकन करते हुए

केरल के श्री अमल एस. की फिल्म 'मीनवाइल शी...' को द्वितीय पुरस्कार के लिए चुना गया है, जिसके तहत 1.5 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। यह फिल्म लैंगिक रूढ़ियों और घरेलू हिंसा जैसी चुनौतियों के बीच कामकाजी महिलाओं पर पड़ने वाले असमान बोझ के मुद्दे को उठाती है। फिल्म अंग्रेजी उपशीर्षक के साथ मलयालम भाषा में है।

तमिलनाडु के श्री साई शशांक ताती द्वारा निर्मित फिल्म 'द डिलीवरी' को 1 लाख रुपये के तीसरे पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह फिल्म एक लड़के की मार्मिक कहानी के माध्यम से नौकरी की असुरक्षा, कठिन कार्य परिस्थितियों और सामाजिक सुरक्षा के अभाव जैसे गिग वर्करों के संघर्षों को उजागर करती है। फिल्म अंग्रेजी उपशीर्षक के साथ तमिल भाषा में है।

आयोग ने 'विशेष उल्लेख प्रमाण पत्र' के लिए चयनित चार लघु फिल्मों को 50,000 रुपये का नकद पुरस्कार देने का भी निर्णय लिया। ये फिल्में हैं:

I.) पश्चिम बंगाल की सुश्री फाल्गुनी भक्ता द्वारा निर्मित 'मालती'। अंग्रेजी उपशीर्षकों के साथ बंगाली भाषा में बनी यह वृत्तचित्र फिल्म एक आदिवासी महिला की अपने समुदाय के बच्चों को शिक्षित करने की स्वैच्छिक पहल और शिक्षा के महत्व को उजागर करती है;

ii.) उत्तर प्रदेश के श्री रवि कर्णवाल द्वारा निर्मित 'सेकंड चांस'। उत्तराखंड की एक जेल पर आधारित, हिंदी में बनी इस डॉक्यूमेंट्री में अंग्रेजी उपशीर्षक भी हैं और यह कैदियों को परामर्श और पुनर्वास के माध्यम से उचित कौशल विकास द्वारा अपने जीवन का पुनर्निर्माण करने में मदद करने के लिए जेल सुधारों के महत्व पर प्रकाश डालती है।

iii.) महाराष्ट्र के श्री दामोदर डी. पवार द्वारा निर्मित 'डस्क ऑफ लाइफ' मराठी भाषा में है और इसमें अंग्रेजी उपशीर्षक भी हैं। यह वृत्तचित्र फिल्म एक निःसंतान बुजुर्ग आदिवासी दंपति की चुनौतियों और उनके संघर्ष तथा गरिमापूर्ण जीवन और आजीविका के उनके अधिकार को उजागर करती है;

iv.) महाराष्ट्र के श्री मनोज अप्पासो जनवेकर द्वारा निर्मित 'भाग्यश्री' मराठी भाषा में बनी इस फिल्म में अंग्रेजी उपशीर्षक के साथ ग्रामीण परिवारों की युवा विधवाओं द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं और गरिमापूर्ण जीवन जीने के उनके अधिकार पर प्रकाश डाला गया है।

पूर्ण आयोग जूरी की अध्यक्षता एनएचआरसी अध्यक्ष, न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यम ने की, जिसमें सदस्य, न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षड़ंगि, श्रीमती विजया भारती सयानी, महासचिव, श्री भरत लाल, रजिस्ट्रार (विधि), श्री जोगिंदर सिंह, संयुक्त सचिव, श्री समीर कुमार और श्रीमती साईडिंग छकछुआक शामिल थे।।

मानव अधिकार संरक्षण और संवर्धन के लिए नागरिकों को जागरूक करने और रचनात्मक रूप से योगदान देने हेतु राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) लघु फिल्म पुरस्कार की स्थापना 2015 में की गई थी। 2025 की प्रतियोगिता में देश के विभिन्न भागों से लगभग 24 भाषाओं और बोलियों में कुल 526 लघु फिल्में प्राप्त हुईं, जिनमें हिंदी और अंग्रेजी भी शामिल हैं। इनमें से, नियमों और शर्तों को पूरा करने वाली 438 प्रविष्टियों को पुरस्कार के लिए चुना गया।

फिल्मों का चयन तीन चरणों की निर्णायक मंडल प्रक्रिया से हुआ। पहले चरण में, वरिष्ठ अधिकारियों के तीन पैनलों ने 48 फिल्मों का चयन किया। इसके बाद, एनएचआरसी की सदस्या श्रीमती विजया भारती सयानी की अध्यक्षता में दूसरे चरण के निर्णायक मंडल ने 20 फिल्मों का चयन किया। अंतिम चरण में, पूर्ण आयोग की निर्णायक मंडल ने सात विजेताओं का चयन किया। इसके बाद पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया जाएगा।

अंतरराष्ट्रीय मंच पर एनएचआरसी

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर विचारों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेता है। कई विदेशी संस्थागत प्रतिनिधि आयोग का दौरा करते हैं और मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए आयोग के कामकाज को समझने हेतु अध्यक्ष, सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों से मिलते हैं। आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी आयोग की उपलब्धियों पर अपने विचार साझा करने, अन्य राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के साथ संवाद करने और तेजी से विकसित हो रही दुनिया में मानव अधिकारों के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों का दौरा करते हैं।

प्रतिनिधिमंडल के दौरे

- 4 मार्च 2026 को, नॉर्वे के उप विदेश मंत्री श्री एंड्रियास मोट्ज़फेल्ड क्राविक के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत का दौरा किया और अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन , महासचिव श्री भरत लाल और संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में उप विदेश मंत्री और दूतावास में प्रधान परामर्शदाता श्री अरविन गाडगिल, विदेश मंत्रालय की वरिष्ठ सलाहकार सुश्री होम्मा लतीफ, विदेश मंत्रालय की वरिष्ठ सलाहकार सुश्री मारियान मुरवोल और दूतावास सचिव श्री टोरमोड नॉर्डविक नुलैंड शामिल थे। दोनों पक्षों ने मानव अधिकारों से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार-विमर्श किया और मानवीय गरिमा को बढ़ावा देने के लिए सहयोग, संवाद और साझा प्रतिबद्धता को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की।

▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन नॉर्वेजियन प्रतिनिधिमंडल के साथ संवाद करते हुए

- 24 मार्च 2026 को, यूएनईएस डिवीजन के संयुक्त सचिव डॉ. एक्विनो विमल ने यूएनईएस डिवीजन के अवर सचिव श्री मुहम्मद शब्बीर के. के साथ एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री भरत लाल और संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार से मुलाकात की।

ऑनलाइन सहभागिताएँ

- 5 मार्च 2026 को, एनएचआरसी, भारत के संयुक्त सचिव, श्री समीर कुमार ने एपीएफ के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों की बैठक में भाग लिया।

- 11 मार्च 2026 को, एनएचआरसी, भारत के संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार और कनिष्ठ अनुसंधान परामर्शदाता, सुश्री प्रेरणा हसीजा ने व्यापार और मानव अधिकारों पर मासिक गनहरी कार्य ग्रुप में भाग लिया।

राज्य मानव अधिकार आयोगों से समाचार

मानव जीवन के निरंतर विस्तार और उससे जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए, मानव अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना एक सतत प्रक्रिया बनी हुई है। भारत में, लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारें कार्यपालिका के माध्यम से जन कल्याण सुनिश्चित करने और मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके अतिरिक्त, विधायिका और न्यायपालिका जैसी संस्थाएँ भी मौजूद हैं। देश में एक जीवंत मीडिया भी है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) और राज्य मानव अधिकार आयोग (एसएचआरसी) देश में मानव अधिकारों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अन्य राष्ट्रीय आयोगों को क्षेत्रीय स्तर पर राज्य स्तरीय आयोगों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। ये संस्थाएँ अधिकारों और कल्याणकारी उपायों की निगरानी करती हैं। ये समाज के विभिन्न वर्गों पर ध्यान केंद्रित करती हैं। इस लेख का उद्देश्य मानव अधिकारों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देने के लिए एसएचआरसी द्वारा किए गए असाधारण कार्यों को उजागर करना है।

कर्नाटक राज्य मानव अधिकार आयोग

कर्नाटक राज्य मानव अधिकार आयोग (केएसएचआरसी) ने मीडिया में आई उस खबर का स्वतः संज्ञान लिया जिसमें कहा गया था कि गडग जिले के शिरहट्टी स्थित कित्तूर रानी चेन्नम्मा स्कूल के छात्रावास में रहने वाली 250 छात्राओं ने उचित भोजन न मिलने के विरोध में अपने घरों की ओर प्रस्थान किया था। 12 मार्च 2026 को केएसएचआरसी के सदस्य श्री एस.के. वंतीगोडी ने भी घटनास्थल का दौरा किया और समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित आहार योजना का पालन करने का निर्देश दिया।

25 से 26 मार्च 2026 तक, आयोग ने रायचूर जिले के विभिन्न सरकारी संस्थानों का दौरा किया ताकि जमीनी हकीकत का आकलन किया जा सके, हितधारकों से बातचीत की जा सके और सरकारी अधिकारियों को जवाबदेही बनाए रखने के प्रति जागरूक किया जा सके। आयोग ने जिला कारागार, सरकारी अस्पताल, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के सरकारी छात्रावास, स्थानीय पुलिस स्टेशन और अन्य संस्थानों का भी निरीक्षण किया। केएसएचआरसी ने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों से बातचीत करके इन संस्थानों के कामकाज और चुनौतियों को समझा।

▶ कर्नाटक राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य रायचूर में जिला-स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक में

इस संवादात्मक सत्र में उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ विभिन्न विभागों के 100 से अधिक अधिकारी शामिल हुए। इसमें मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के प्रति आयोग की प्रतिबद्धता को दोहराया गया, साथ ही अधिकारियों को नागरिकों के अधिकारों को बनाए रखने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति जागरूक किया गया। मानव अधिकार संरक्षण को प्रत्येक लोक सेवक का मूल उत्तरदायित्व बनाने पर जोर दिया गया, जिससे एक सक्रिय, मानवीय और उत्तरदायी दृष्टिकोण को बढ़ावा मिले।

हरियाणा राज्य मानव अधिकार आयोग

मार्च 2026 में, हरियाणा राज्य मानव अधिकार आयोग (एचएसएचआरसी) ने हिसार जिले के जगन गांव स्थित सरकारी हाई स्कूल में छात्राओं को शारीरिक रूप से कष्टदायक और अपमानजनक सजा दिए जाने की रिपोर्टों का स्वतः संज्ञान लिया। आयोग ने पाया कि ऐसा आचरण स्थापित बाल संरक्षण मानदंडों और छात्रों की सुरक्षा और गरिमा की गारंटी देने वाले वैधानिक सुरक्षा उपायों का उल्लंघन करता है।

19 मार्च से 26 मार्च 2026 तक, एचएसएचआरसी ने पंचकुला के माता मनसा देवी मंदिर परिसर में चैत्र नवरात्रि मेले के दौरान एक मानव अधिकार जागरूकता शिविर का आयोजन किया, जिसे जनता से उत्कृष्ट प्रतिक्रिया मिली।

20 मार्च 2026 को आयोग ने कैथल स्थित वृद्ध एवं बाल उपवन आश्रम का दौरा किया और पाया कि वहां की सुविधाएं संतोषजनक हैं। हालांकि, आयोग ने पाया कि पिछले तीन वर्षों से आश्रम को सरकारी अनुदान जारी नहीं किया गया है, जिसके कारण आश्रम को दान पर निर्भर रहना पड़ रहा है और इसके कल्याणकारी उपायों की निरंतरता को लेकर चिंताएं जताई गई हैं।

▶ हरियाणा राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष 'भारतीय दर्शन और मिशन ओलंपिक्स 2036' विषयक राष्ट्रीय सम्मेलन में

एचएसएचआरसी ने फरीदाबाद के सिविल अस्पताल स्थित मेडिट्रिना हार्ट सेंटर में कथित अनियमितताओं के संबंध में एक रिपोर्ट भी मांगी, जिसमें अयोग्य प्रक्रियाओं, उपकरणों के पुन: उपयोग और आयुष्मान भारत योजना के तहत दोहरी बिजेंडर के आरोप शामिल हैं। अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों के अलावा, एचएसएचआरसी के अध्यक्ष ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में जेल सुधारों पर एक समीक्षा बैठक में भाग लिया, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, पुनर्वास और कैदियों के कल्याण पर चर्चा हुई। हरियाणा अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में, एचएसएचआरसी ने सिनेमा में मानव अधिकार विषयों को शामिल करने के महत्व पर प्रकाश डाला। इसके अतिरिक्त, चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय में आयोजित एक सम्मेलन में, खेल, नैतिकता और मानव अधिकारों के अंतर्संबंध पर जोर दिया गया।

तेलंगाना राज्य मानव अधिकार आयोग

मार्च 2026 में, तेलंगाना राज्य मानव अधिकार आयोग (टीएसएचआरसी) ने मानव अधिकार उल्लंघन के कथित मामलों का स्वतः संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी। इनमें यादद्री-भुवनगिरी जिले में 110 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक और स्वतंत्रता सेनानी की उनके बेटों द्वारा कथित उपेक्षा और परित्याग; नालगोंडा जिले में एक बुजुर्ग महिला का उत्पीड़न और उपेक्षा; खम्मम जिले में एक बुजुर्ग दंपति की उनके बेटों द्वारा उपेक्षा; और एक आवारा कुत्ते के हमले का मामला शामिल था।

23 मार्च 2026 को, टीएसएचआरसी के अध्यक्ष, डॉ. न्यायमूर्ति शमीम अख्तर ने कावल वन में आदिवासी समुदायों के साथ बातचीत करने, उनकी मानव अधिकार स्थिति का आकलन करने और उन्हें प्रदान की जा रही सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने के लिए मंचरियाल जिले के जनाराम का दौरा किया।

▶ टीएसएचआरसी के अध्यक्ष मंचेरियल जिले में अस्पताल के कर्मचारियों के साथ संवाद करते हुए

संक्षेप में समाचार

5 मार्च 2026 को, एनएचआरसी, भारत के सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षड़ंगि ने ओडिशा के पुरी में भगबनप्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज एक्शन एंड लीडरशिप प्रमोशन (बीकल्प) द्वारा आयोजित युवा नेतृत्व सम्मेलन-2026 में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। उन्होंने मानव अधिकारों का संवर्धन एवं संरक्षण करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने नैतिक नेतृत्व, नागरिक उत्तरदायित्व और संवैधानिक मूल्यों के पालन के महत्व पर बल देते हुए कहा कि युवाओं में समावेशी विकास और सामाजिक परिवर्तन लाने की क्षमता है। उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों के प्रति अधिक जागरूकता और संवेदनशीलता की आवश्यकता पर भी बल दिया और सूचित और जिम्मेदार भागीदारी के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में युवाओं की निरंतर भागीदारी का आह्वान किया।

- 5 मार्च 2026 को, एनएचआरसी, भारत ने सभी विशेष मॉनिटर और विशेष प्रतिवेदकों के साथ एक ऑनलाइन संवादात्मक सत्र का आयोजन किया। सत्र को एनएचआरसी के पूर्व सदस्य श्री राजीव जैन ने संबोधित किया, जिन्होंने प्रतिभागियों को उनकी जिम्मेदारियों के दायरे और उनके कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए यात्रा रिपोर्टों से संबंधित अपेक्षाओं के बारे में जागरूक किया। उन्होंने कहा कि विशेष मॉनिटर और विशेष प्रतिवेदकों की रिपोर्ट आयोग को जनता तक पहुंचने और उनकी मानव अधिकार संबंधी शिकायतों का समाधान करने में मदद करती है, जिससे सार्वजनिक अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

- 6 मार्च 2026 को, एनएचआरसी, भारत की महानिदेशक (अन्वेषण), श्रीमती अनुपमा नीलेकर चंद्र ने 12 राज्यों के एडीजीपी, आईजीपी और डीआईजी सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के प्रतिनिधियों के साथ मानव दुर्व्यापार पर एक वर्चुअल सम्मेलन की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों से दुर्व्यापार के मामलों में कम दोषसिद्धि दर के कारणों का विश्लेषण करने का आग्रह किया और पूरे भारत में दुर्व्यापार की शिकार महिलाओं और बच्चों के प्रभावी बचाव और पुनर्वास की आवश्यकता पर बल दिया। चर्चा में राज्य नोडल अधिकारियों द्वारा साझा किए गए आंकड़ों की समीक्षा भी की गई, स्पष्टीकरण प्रदान किए गए और मानव दुर्व्यापार की रोकथाम के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं और केस स्टडी को साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

- 6 मार्च 2026 को, एनएचआरसी, भारत के एसएसपी श्री हरि लाल चौहान ने हरियाणा के भोंडसी स्थित बीएसएफ की 95वीं बटालियन में कांगो में संयुक्त राष्ट्र दल में तैनाती से पहले प्रशिक्षण ले रहे सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के कर्मियों को "संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में आशंका, गिरफ्तारी और हिरासत" और "मानव अधिकार उचित परिश्रम नीति" शीर्षक से दो व्याख्यान दिए। इन व्याख्यानों का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय शांति अभियानों में मानव अधिकार मानकों की समझ को मजबूत करना था।

- 8 मार्च 2026 को, एनएचआरसी, भारत की सदस्या श्रीमती विजया भारती सयानी ने आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के भीमावरम में लगभग 4,000 महिला सरकारी कर्मचारियों को संबोधित किया। अपने संबोधन में, उन्होंने आयोग के कार्यों और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा एवं संवर्धन के प्रति उसके दायित्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा, गरिमा और सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए एनएचआरसी द्वारा किए गए विभिन्न हस्तक्षेपों, गतिविधियों और पहलों का विस्तृत विवरण दिया। उन्होंने समाज में महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और न्यायसंगत वातावरण सुनिश्चित करने में संस्थागत तंत्र और सामूहिक प्रयासों के महत्व पर बल दिया।

- 10 मार्च 2026 को, एनएचआरसी, भारत के संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार और सुश्री प्रेरणा हसीजा ने नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण और पर्यावरण, सामाजिक एवं शासन (ईएसजी) ढांचे के सामाजिक आयाम पर पांचवीं अंतर-मंत्रालयी कार्यशाला में भाग लिया। कार्यशाला का आयोजन भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के सहयोग से किया गया था। इसमें भारत में सम्मानजनक कार्य के लिए नीतियों, प्रगति और प्राथमिकताओं का आकलन करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ईएसजी का सामाजिक आयाम इस बात पर केंद्रित है कि कोई कंपनी अपने कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों और समुदायों के साथ संबंधों का प्रबंधन कैसे करती है। इसमें मानव अधिकार, श्रम मानक, विविधता, समानता और समावेशन (डीईआई), स्वास्थ्य एवं सुरक्षा और सामुदायिक प्रभाव जैसे विषय शामिल हैं, जिनका उद्देश्य नैतिक संचालन और सकारात्मक सामाजिक योगदान सुनिश्चित करना है।

- 13 मार्च 2026 को, एनएचआरसी, भारत के सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षड़ंगि ने भुवनेश्वर, ओडिशा में आयोजित राष्ट्रीय मानव अधिकार सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। एक दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन गैर-सरकारी संगठन ह्यूमन राइट्स फ्रंट इंडिया ने हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सहयोग से किया था। इसमें नीति निर्माताओं, न्यायविदों, कॉर्पोरेट जगत के नेताओं और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों ने अधिकार-आधारित विकास और नैतिक शासन पर चर्चा करने के लिए भाग लिया। न्यायमूर्ति षड़ंगि की भागीदारी ने मानव अधिकार जागरूकता को बढ़ावा देने और सार्वजनिक नीति एवं कॉर्पोरेट व्यवहार में मानव अधिकार सिद्धांतों को एकीकृत करने के लिए बहुक्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करने के प्रति एनएचआरसी की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।

- 13 से 15 मार्च 2026 तक, एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने कर्नाटक के मैसूरु का दौरा किया। उन्होंने जेएसएस विधि महाविद्यालय में व्याख्यान दिया और छात्रों से आग्रह किया कि वे यह सुनिश्चित करें कि विधि का अभ्यास गरीबों और वंचितों की सेवा करे। उन्होंने सामाजिक न्याय और मानव अधिकारों को बढ़ावा देने में विधि शिक्षा की भूमिका पर बल दिया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि विधि प्रशिक्षण छात्रों को न केवल पेशेवर सफलता के लिए बल्कि नैतिक जिम्मेदारी और समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए भी तैयार करे।
- न्यायमूर्ति रामासुब्रमण्यन ने मैसूर विश्वविद्यालय के मानस गंगोत्री परिसर में विधि महाविद्यालयों के संकाय समन्वयकों और प्राचार्यों के लिए आयोजित एक दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला को भी संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कानूनी पाठ्यक्रम में मानव अधिकारों और सामाजिक न्याय को एकीकृत करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने रेखांकित किया कि संकाय वकीलों की अगली पीढ़ी को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिन्हें मानव अधिकार के मुद्दों के प्रति संवेदनशील और वंचितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। उन्होंने कानूनी शिक्षा में मानव अधिकार जागरूकता को मजबूत करने के लिए संवादात्मक शिक्षण, मानव अधिकार मामलों के व्यावहारिक अनुभव और विश्वविद्यालयों तथा एनएचआरसी के बीच सहयोग को प्रोत्साहित किया।

- 14 मार्च 2026 को, एनएचआरसी, भारत की सदस्या श्रीमती विजया भारती सयानी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री वेंकटेश्वर कॉलेज में "संस्कृति, भाषा और महिलाएं" विषय पर एक सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन में मानव अधिकारों, लैंगिक समानता और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने में संस्कृति और भाषा की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया गया। उन्होंने मानव अधिकारों की रक्षा में भारतीय संस्कृति की भूमिका पर प्रकाश डाला और इस बात पर जोर दिया कि पारंपरिक मूल्य और रीति-रिवाज मानवीय गरिमा को बनाए रखते हैं और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने परिवार इकाई और सांस्कृतिक एवं नैतिक मूल्यों के संरक्षण के बीच महत्वपूर्ण संबंध को भी रेखांकित किया।

- 14 मार्च 2026 को, एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री भरत लाल ने भुवनेश्वर, ओडिशा में कलिंगा सामाजिक विज्ञान संस्थान (केआईएसएस) और केआईआईटी में आदिवासी छात्राओं और शैक्षणिक समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत की सभ्यतागत विचारधारा सहानुभूति, करुणा, गरिमा और सम्मान में निहित है। उन्होंने कहा कि ये मूल्य देश के संवैधानिक सिद्धांतों में भी परिलक्षित होते हैं, जो समानता, न्याय, स्वतंत्रता और बंधुत्व से संबंधित हैं। उन्होंने आदिवासी समुदायों के संरक्षण और समावेशन के लिए अनुच्छेद 32 और पांचवीं और छठी अनुसूची जैसे सुरक्षा उपायों पर प्रकाश डाला।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मानव अधिकारों का क्रियान्वयन कुशल शासन, जवाबदेह संस्थाओं और समावेशी सार्वजनिक सेवाओं के माध्यम से जीवन की बेहतर गुणवत्ता में होना चाहिए। वैश्वीकरण के संदर्भ में, उन्होंने श्रम मानकों, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु उत्तरदायित्व सहित मानव अधिकारों और आर्थिक प्रगति के बीच बढ़ते संबंध को रेखांकित किया। एनएचआरसी जैसी सशक्त संस्थाओं के महत्व पर बल देते हुए, उन्होंने सुलभ और उत्तरदायी प्रणालियों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला और मानव अधिकारों के भावी संरक्षक के रूप में युवाओं पर विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने छात्रों से अपनी पहचान और सभ्यतागत जड़ों को समझने का आग्रह किया और कहा कि न्यायपूर्ण, करुणामय और समावेशी समाज के निर्माण के लिए संवैधानिक मूल्यों के साथ पारंपरिक ज्ञान का एकीकरण आवश्यक है।

- 15 मार्च 2026 को, एनएचआरसी, भारत की सदस्या श्रीमती विजया भारती सयानी ने नागपुर, महाराष्ट्र में 'विकसित भारत 2047 में महिला गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका' विषय पर एक सम्मेलन को संबोधित किया, जिसमें 32 गैर-सरकारी संगठनों के लगभग 100 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रीय प्रगति महिलाओं की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करती है और सरकारी पहलों और योजनाओं के माध्यम से अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में उनकी भूमिका को उजागर किया।

  बाद में, उसी दिन, उन्होंने महाराष्ट्र के नागपुर में विदर्भ प्रांत की महिला अय्यम, भारतीय विचार मंच (प्रज्ञा प्रवाह) द्वारा आयोजित 'मानव अधिकार और भारतीय कुटुंब' विषय पर एक दिवसीय सम्मेलन को भी संबोधित किया। उन्होंने मानव अधिकारों की रक्षा में भारतीय पारिवारिक मूल्यों के महत्व पर प्रकाश डाला।

- 22 मार्च 2026 को, एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री भरत लाल ने विश्व जल दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र परियोजना सेवा कार्यालय (यूएनओपीएस) द्वारा नीति आयोग के सहयोग से आयोजित एक दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में मुख्य भाषण दिया। यह सम्मेलन विश्व युवक केंद्र, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। जल शक्ति मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. राज भूषण चौधरी मुख्य अतिथि थे। सत्र में डेनमार्क के भारत में राजदूत श्री रसमस अबिल्डगार्ड क्रिस्टेंसन और विश्व बैंक के भारत स्थित कंट्री ऑफिस के कार्यवाहक कंट्री डायरेक्टर श्री पॉल प्रोसी भी उपस्थित थे। सम्मेलन में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और जमीनी स्तर के हितधारकों, जिनमें ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों की महिला सदस्य भी शामिल थीं, ने भाग लिया। श्री भरत लाल के भाषण के अंशों पर आधारित एक लेख पिछले पृष्ठों में प्रकाशित किया गया है।

- 22 मार्च 2026 को, एनएचआरसी, भारत के सदस्य, न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षड़ंगि ने एआईएफटीपी-ईजेड द्वारा ओडिशा के पारादीप में आयोजित एआईएफटीपी स्वर्ण जयंती पूर्वी क्षेत्रीय कर सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। वरिष्ठ अधिवक्ताओं, चार्टर्ड अकाउंटेंटों, कर विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और अन्य पेशेवरों ने इसमें भाग लिया।

- 24 मार्च 2026 को, तेलंगाना के सिद्दिपेट जिले के सरकारी डिग्री कॉलेज में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित एक समारोह में एनएचआरसी की सदस्या श्रीमती विजया भारती सयानी ने मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे आंदोलनों ने लोगों को "वंदे मातरम" के शक्तिशाली मंत्र से एकजुट किया। उन्होंने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में कार्य करने और मौलिक अधिकारों को समझने और उनकी रक्षा करने की आवश्यकता पर जोर दिया, साथ ही न्याय, गरिमा और समानता सुनिश्चित करने में एनएचआरसी, भारत की भूमिका को भी रेखांकित किया। उन्होंने युवाओं से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान देने का आग्रह किया।

- 27 मार्च 2026 को, एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री भरत लाल ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित एमएमएच कॉलेज द्वारा आयोजित 'एनसीएनईपी - 2026 सम्मेलन' में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। मानव संस्कृति, व्यवहार और सोच को बदलने के शिक्षा के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा को केवल डिग्री तक सीमित न रहकर तर्कसंगत चिंतन को पोषित करना चाहिए, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना चाहिए और मजबूत नैतिक आधारों का निर्माण करना चाहिए जो व्यक्तियों और समाज दोनों को आकार देते हैं।

  भारत की शिक्षा नीतियों (1968 और 1986, 1992 में संशोधन सहित) के विकास का पता लगाते हुए, जो अंततः राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में परिणत हुई, उन्होंने समानता, गरिमा और देश में सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सार्वभौमिक और किफायती पहुंच पर आधारित एक समतावादी समाज के निर्माण के प्रति दीर्घकालिक प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। एनईपी 2020 का मूल तत्व भारतीय मूल्यों, सभ्यतागत लोकाचार और आंतरिक शक्ति पर आधारित ज्ञान, सत्य और विवेक की खोज का आह्वान करता है।

  श्री लाल ने सही दृष्टिकोण, निरंतर सीखने और उत्कृष्टता की खोज की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि एनईपी-2020 बहुविषयक शिक्षा, लचीलापन और प्रौद्योगिकी एकीकरण जैसे अवसर प्रदान करती है, लेकिन साथ ही डिजिटल विभाजन, कमजोर बुनियादी ढांचा, शिक्षकों की तैयारी, क्षेत्रीय असमानताएं और असंगत शिक्षण परिणाम जैसी चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि नीति की सफलता केवल इसके दृष्टिकोण पर ही नहीं, बल्कि प्रभावी कार्यान्वयन और मापने योग्य प्रभाव पर भी निर्भर करती है। भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि परिवर्तन के लिए रणनीतिक योजना, शिक्षकों में निवेश, मजबूत संस्थान, समावेशी पहुंच और प्रौद्योगिकी का सार्थक उपयोग आवश्यक है। सहयोग और जवाबदेही से ही यह निर्धारित होगा कि उद्देश्य प्रभाव में परिवर्तित होता है या नहीं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा को व्यक्तियों को करियर के लिए तैयार करना चाहिए, साथ ही उन्हें सार्थक जीवन जीने और समाज में योगदान देने के लिए सशक्त बनाना चाहिए।

आगामी कार्यक्रम

- 7 अप्रैल 2026 को, एनएचआरसी, भारत द्वारा लघु फिल्म प्रतियोगिता-2025 के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।
- 1 से 25 जून 2026 तक, एनएचआरसी, भारत अपने परिसर में विश्वविद्यालय स्तर के छात्रों के लिए एक महीने का ऑन-साइट ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम आयोजित करेगा।

मार्च 2026 में प्राप्त शिकायतें

प्राप्त नई शिकायतों की संख्या	2,672
पुराने मामलों सहित निपटाए गए मामलों की संख्या	4,875
आयोग द्वारा विचाराधीन मामलों की संख्या	40,906

एनएचआरसी, भारत की गतिविधियों का सारांश (अप्रैल 2025 से मार्च 2026)

भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत 12 अक्टूबर 1993 को स्थापित एनएचआरसी, भारत तीन दशकों से अधिक समय से देश में मानव अधिकारों के एक प्रतिबद्ध संरक्षक के रूप में कार्य कर रहा है। भारत की सर्वोच्च मानव अधिकार संस्था के रूप में, इसने समाज के सभी वर्गों के अधिकारों और गरिमा की रक्षा में निरंतर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

समयबद्ध जांच, मानव अधिकार उल्लंघनों के प्रभावी निवारण और सक्रिय हस्तक्षेपों के माध्यम से आयोग ने न्याय को कायम रखने के लिए अथक प्रयास किया है। सम्मेलनों के आयोजन, अंतरराष्ट्रीय मंचों में भागीदारी और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने तथा अधिक मानवीय और न्यायपूर्ण विश्व को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से वैश्विक संवाद को बढ़ावा देने के माध्यम से आयोग की भागीदारी राष्ट्रीय सीमाओं से परे तक फैली हुई है।

न्याय, करुणा और कर्मठता के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता से प्रेरित होकर, एनएचआरसी, भारत आशा की किरण और बेआवाज़ों की आवाज़ बना हुआ है। इस वर्ष श्री आनंद स्वरूप और उसके बाद श्रीमती अनुपमा नीलेकर चंद्र ने महानिदेशक (अन्वेषण) का पदभार ग्रहण किया। आयोग को संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार और श्रीमती साईडिंगपुई छकछुआक सहित अन्य अधिकारियों की नियुक्ति से और भी मजबूती मिली है।

वर्ष भर आयोग ने त्वरित हस्तक्षेप, पीड़ितों को राहत प्रदान करने वाले प्रभावी शिकायत निवारण, मौके पर पूछताछ, दिशा-निर्देश जारी करने, अधिकारियों के संवेदीकरण और क्षमता निर्माण तथा गैर-सरकारी संगठनों, नागरिक समाज संगठनों, राज्य मानव अधिकार आयोगों, वैधानिक सदस्यों और मीडिया के साथ निरंतर जुड़ाव जैसी गतिशील और प्रभावशाली गतिविधियों को आगे बढ़ाया। इन प्रयासों के माध्यम से, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने मानव गरिमा को बनाए रखने, न्याय सुनिश्चित करने और समाज के सभी क्षेत्रों में जवाबदेही को मजबूत करने की अपनी अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

स्थापना दिवस

मानव अधिकारों के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए अपनी व्यापक पहलों के अलावा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने अपने 32वें स्थापना दिवस और मानव अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में दो महत्वपूर्ण समारोहों का आयोजन किया। स्थापना दिवस समारोह में भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। अपने संबोधन में श्री कोविंद ने कहा कि भारत ने एक मजबूत और व्यापक मानव अधिकार ढांचा विकसित किया है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि 1993 में अपनी स्थापना के बाद से, एनएचसीआर, भारत में विश्व के सबसे सम्मानित मानव अधिकार संस्थानों में से एक बन गया है।

▶ भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद मुख्य अतिथि के रूप में एनएचआरसी स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए

उन्होंने कहा कि आयोग का 32वां स्थापना दिवस मनाना मात्र एक संस्थागत उपलब्धि नहीं है। यह हमारे संविधान में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के शाश्वत मूल्यों के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता को पुनः स्थापित करने का अवसर है। उन्होंने कहा कि जांच, परामर्श और पैरवी सहित अपने हस्तक्षेपों के माध्यम से आयोग ने बेआवाज लोगों को आवाज दी है और मानव अधिकार संबंधी चिंताओं को शासन के केंद्र में लाया है। इसने भारत के उस सभ्यतागत लोकाचार को पुनः स्थापित किया है कि किसी समाज का सच्चा आकलन इस बात से होता है कि वह अपने सबसे कमजोर सदस्यों के साथ कैसा व्यवहार करता है।

इस कार्यक्रम के दौरान राज्य मानव अधिकार आयोगों और अन्य आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, शिक्षाविद, गैर सरकारी संगठन, मानव अधिकार संरक्षक, शोधकर्ता, वरिष्ठ जेल अधिकारी आदि उपस्थित थे।

एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने कहा कि आयोग, माननीय सदस्यों के मार्गदर्शन और अपने कर्मचारियों के समर्पित सहयोग से, अपने प्रतिष्ठित पूर्ववर्तियों द्वारा निर्धारित मानकों

को बनाए रखने और मानव अधिकार उल्लंघन के पीड़ितों की उचित अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है।

अपने स्वागत भाषण में, एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री भरत लाल ने कहा कि आयोग ने देश के लोकतंत्र में मानव अधिकारों के संरक्षक के रूप में कार्य करने का प्रयास किया है, जिसके तहत सभी के अधिकारों, विशेष रूप से समाज के सबसे कमजोर और हाशिए पर रहने वाले वर्गों की गरिमा की रक्षा के उद्देश्य से विभिन्न हस्तक्षेप किए गए हैं।

▶ एनएचआरसी स्थापना दिवस समारोह में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों का एक समूह

मानव अधिकार दिवस

इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए, एनएचआरसी, भारत के मानव अधिकार दिवस समारोह में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थीं। इस कार्यक्रम में राज्य मानव अधिकार आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य, न्यायपालिका के सदस्य, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, राजनयिक, मानव अधिकार संरक्षक और गैर-सरकारी संगठनों, नागरिक समाज और शिक्षा जगत के प्रतिनिधि, साथ ही अन्य राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए।

सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि मानव अधिकार दिवस इस बात की याद दिलाता है कि सार्वभौमिक मानव अधिकार अविभाज्य हैं और एक न्यायपूर्ण, समतावादी और करुणामय समाज की नींव हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने वैश्विक मानव अधिकार ढांचे को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो उसके उन स्वतंत्रता सेनानियों के दृष्टिकोण से प्रेरित है जिन्होंने मानवीय गरिमा, समानता और न्याय पर आधारित विश्व की कल्पना की थी। समावेशिता पर जोर देते हुए उन्होंने रेखांकित किया कि अंत्योदय दर्शन के अनुरूप मानव अधिकार प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने चाहिए, जिनमें सबसे वंचित लोग भी शामिल हैं। उन्होंने 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की दिशा में राष्ट्र के विकास पथ में सक्रिय नागरिक भागीदारी के महत्व पर भी बल दिया।

इस अवसर पर राष्ट्रपति ने मानव अधिकार सेवाओं तक जनता की पहुंच में सुधार लाने के उद्देश्य से एनएचआरसी, भारत मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया। यह एप्लिकेशन उपयोगकर्ताओं को शिकायतें दर्ज करने, उनकी स्थिति की वास्तविक समय में निगरानी करने और मामले की प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। यह शैक्षिक संसाधनों, आधिकारिक प्रकाशनों और न्यूज़लेटर्स तक पहुंच भी प्रदान करता है, जिससे भारत में मानव अधिकार संबंधी चिंताओं के समाधान में अधिक पारदर्शिता और त्वरित प्रतिक्रिया को बढ़ावा मिलता है।

अपने संबोधन में, एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता और अविभाज्य, अभिन्न और परस्पर निर्भर मानवीय मूल्यों के रूप में मानव अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों का वास्तविक उद्देश्य तभी साकार होता है जब मानव अधिकारों को मूलभूत मानवीय मूल्यों के स्तर तक ऊंचा उठाया जाता है।

अपने स्वागत भाषण में महासचिव श्री भरत लाल ने आयोग को एक जन-केंद्रित संस्था बताया जो जनता, विशेषकर सबसे कमजोर वर्गों के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने एक ऐसा अनुकूल वातावरण बनाने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया जहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता का अहसास कर सके और जहाँ

▶ भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु मुख्य अतिथि के रूप में मानव अधिकार दिवस समारोह को संबोधित करते हुए

समाज न्यायपूर्ण, समावेशी और समान हो, तथा घरों, सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों में रोजमर्रा के जीवन में गरिमा और सम्मान सुनिश्चित हो सके।

इस अवसर पर, एनएचआरसी, भारत ने अपनी अंग्रेजी पत्रिका और 'नई दिशाएं' का भी विमोचन किया, जो प्रख्यात विशेषज्ञों और कार्यकर्ताओं द्वारा अंग्रेजी और हिंदी में लिखे गए विद्वानों के लेखों का संकलन है। ये प्रकाशन समकालीन मानव अधिकारों के विभिन्न मुद्दों पर गहन विचार प्रस्तुत करते हैं, जिनमें लैंगिक न्याय, पर्यावरण अधिकार, डिजिटल युग की चुनौतियां और हाशिए पर पड़े समुदायों के अधिकार शामिल हैं। मोबाइल एप्लिकेशन के साथ मिलकर, ये प्रकाशन भारत में मानव अधिकार संबंधी चिंताओं को दूर करने, जन भागीदारी को प्रोत्साहित करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी और ज्ञान प्रसार का लाभ उठाने के आयोग के निरंतर प्रयासों को दर्शाते हैं।

▶ भारत के राष्ट्रपति का संबोधन जारी

मानव अधिकार उल्लंघन की शिकायतों का समाधान करना

1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के दौरान, एनएचआरसी, भारत ने विभिन्न मानव अधिकार उल्लंघनों के कुल 77,168 मामलों का पंजीकरण किया। पंजीकृत मामलों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हिरासत में हुई मौतों से संबंधित था। इनमें पुलिस हिरासत में मृत्यु के 276 मामले और न्यायिक हिरासत अर्थात् कारागारों में मृत्यु के 2,502 मामले शामिल थे। पुलिस मुठभेड़ों में हुई मौतों से संबंधित 229 मामले भी दर्ज किए गए।

इनमें से 128 मामले स्वतः संज्ञान के रूप में दर्ज किए गए, जो मानव अधिकार मुद्दों के प्रति आयोग के सक्रिय दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। स्वतः संज्ञान लिए गए अधिकांश मामले खतरनाक कचरे की मैनुअल सफाई के दौरान बिना सुरक्षा उपकरणों के काम कर रहे सफाई कर्मचारियों की मौत, बलात्कार और यौन उत्पीड़न की घटनाएँ, चिकित्सकीय लापरवाही और अस्पतालों में कुप्रबंधन, पत्रकारों पर हमले, शारीरिक दंड तथा छात्रों की आत्महत्या आदि से संबंधित थे। कुछ प्रमुख घटनाओं में मध्य प्रदेश के दमोह स्थित मिशन अस्पताल में एक फर्जी डॉक्टर का हृदय रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्य करना, केरल के कासरगोड जिले में छात्रावास अधीक्षक द्वारा कथित उत्पीड़न के बीच आत्महत्या के प्रयास के बाद एक नर्सिंग छात्रा की मृत्यु, छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले में एक सीमेंट फैक्ट्री से निकलने वाली विषैली गंध के कारण सरकारी स्कूल के 38 छात्रों का बीमार होना, थाईलैंड में अपने नियोक्ता द्वारा बंदी बनाकर प्रताड़ित किए जा रहे छह भारतीय श्रमिकों का बचाव, तेलंगाना सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश के मछुआरा समुदाय को उनके बकाया भुगतान में लंबित देरी, तथा आंध्र प्रदेश के रामपचोडवरम के छह गाँवों में आंगनवाड़ी केंद्रों का पुनर्निर्माण शामिल हैं।

इसी अवधि में, पिछले वर्षों से लंबित मामलों सहित कुल 46,977 मामलों का निपटान किया गया। 178 मामलों में आयोग ने 9.9 करोड़ रुपये से अधिक की मौद्रिक राहत की सिफारिश की। 40,713 मामले विभिन्न चरणों में आयोग के विचाराधीन हैं, जो पूरे वर्ष मानव अधिकार उल्लंघनों के प्रभावी समाधान के लिए उसके सतत प्रयासों को दर्शाते हैं। संदर्भित वर्ष के दौरान आयोग ने मानव अधिकार उल्लंघन के 68 मामलों में घटनास्थल निरीक्षण भी किए।

आयोग ने पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा कई लोगों की हत्या की निंदा करते हुए एक बयान जारी किया। इसमें कहा गया कि आतंकवाद को बढ़ावा देने, उकसाने, समर्थन करने और आगे बढ़ाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने और उन्हें इस खतरे के लिए जवाबदेह ठहराने का समय आ गया है। अन्यथा, इससे लोकतांत्रिक दायरे में कमी, धमकियां, प्रतिशोध, समुदायों के बीच सद्भाव में बाधा और जीवन, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और आजीविका के अधिकार सहित विभिन्न मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन हो सकता है। अपेक्षा है कि राज्य जवाबदेही तय करने, अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने और पीड़ितों के परिवारों को हर संभव तरीके से सहायता प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।

एक अन्य महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, आयोग ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को नोटिस जारी कर ऐसे गैर-सरकारी संगठनों/व्यक्तियों की पहचान करने को कहा है जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं या इससे मिलते-जुलते भ्रामक नामों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनके खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई करने को कहा है, जिसमें नियमों का उल्लंघन करके प्राप्त किए गए उनके पंजीकरण रद्द करना भी शामिल है। उन्हें पंजीकरण अधिकारियों को भी जागरूक करने और दोषियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है।

इस प्रकार, समय पर नोटिस जारी करके और संबंधित अधिकारियों के साथ सक्रिय रूप से जुड़कर, एनएचआरसी ने जवाबदेही और न्याय के लिए दबाव बनाया।

मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप के अलावा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग राष्ट्रीय सम्मेलनों, ओपन हाउस चर्चाओं, कोर ग्रुप की बैठकों, सहयोगात्मक सम्मेलनों और कार्यशालाओं के माध्यम से मानव अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विभिन्न हितधारकों के साथ संवाद स्थापित करता है। इन मंचों पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, राष्ट्रीय और राज्य आयोगों के प्रतिनिधि, कानूनी विशेषज्ञ, शिक्षाविद, नागरिक समाज के प्रतिनिधि, साथ ही राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विशेष मॉनिटर और प्रतिवेदक एक साथ आते हैं, जो संवाद और विचारों के आदान-प्रदान के लिए प्रभावी मंच के रूप में कार्य करते हैं।

राष्ट्रीय सम्मेलन: परिवर्तन हेतु संवाद

इस वर्ष के दौरान, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने मानव अधिकारों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को उजागर करने और सार्थक संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए तीन राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया। इसका उद्देश्य मौजूदा कानूनी ढाँचों का आकलन करना, कार्यान्वयन में कमियों की पहचान करना और देश भर में मानव अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा के लिए व्यावहारिक समाधान विकसित करना था। इन सम्मेलनों की अध्यक्षता और संबोधन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और महासचिव के साथ-साथ सरकारी प्रतिनिधियों, विशेषज्ञों और गैर-सरकारी संगठनों और नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधियों सहित प्रमुख हितधारकों द्वारा किया गया।

मुख्य विषय जिन पर चर्चा की गई:

- ### ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार : स्थानों का पुनर्निर्माण, सशक्त अभिव्यक्ति

  ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार : स्थानों का पुनर्निर्माण, सशक्त अभिव्यक्ति विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 4 सितंबर 2025 को नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर में किया गया। इसका उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय द्वारा सामना की जाने वाली दस्तावेज़ीकरण संबंधी चुनौतियों का समाधान करना और समावेशी हस्तक्षेपों की आवश्यकता पर प्रकाश डालना था जो देखभाल, गरिमा, संरक्षण और कल्याण, न्याय और रोजगार के अवसरों तक समान पहुंच सुनिश्चित करें।

  विचार-विमर्श तीन तकनीकी सत्रों के माध्यम से आयोजित किया गया, जिसके बाद एक पैनल चर्चा हुई। सत्रों में 'गरिमा गृह आश्रयों को सुदृढ़ बनाना', लैंगिक अनुरूपता से भिन्न बच्चों और वृद्ध ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए संस्थागत देखभाल' और 'निष्पक्ष और समावेशी कानून प्रवर्तन ढांचा तैयार करना' जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन 'ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार : स्थानों का पुनर्निर्माण, सशक्त अभिव्यक्ति' विषयक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए

वक्ताओं में पूर्व एनएचआरसी सदस्य सदस्य डॉ. डी. एम. मुले और श्रीमती ज्योतिका कालरा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सचिव श्री अमित यादव; पुडुचेरी की पुलिस महानिदेशक सुश्री शालिनी सिंह; आयकर विभाग की मुख्य आयुक्त श्रीमती अनीता सिन्हा; सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की संयुक्त सचिव श्रीमती लता गणपति; राष्ट्रीय महिला आयोग की संयुक्त सचिव श्रीमती बी. राधिका चक्रवर्ती; यूएनडीपी, भारत की उप निवासी प्रतिनिधि सुश्री इसाबेल त्सचान; दोस्ताना सफर, पटना की परियोजना निदेशक सुश्री रेशमा प्रसाद; तपिश फाउंडेशन के सह-निदेशक श्री निकुंज जैन; महिला एवं महिला एवं बाल विकास आयोग की अतिरिक्त सचिव और एनसीपीसीआर की अध्यक्ष श्रीमती तृप्ति गुरहा; राष्ट्रीय न्याय आयोग की विशेष मॉनिटर और कोर ग्रुप सदस्य सुश्री लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, ट्वीट फाउंडेशन की प्रबंध निदेशक सुश्री अभिना अहेर; इंटरसेक्स एवं जेंडर क्वीर कार्यकर्ता और सृष्टि मदुरै के संस्थापक श्री गोपी शंकर मदुरै; दिल्ली के पुलिस उपायुक्त श्री राम दुलेश शामिल थे। सहोदरी फाउंडेशन की संस्थापक, सुश्री कल्कि सुब्रमण्यम; ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता, सुश्री श्रीगौरी सावंत; प्राइड बिजनेस नेटवर्क फाउंडेशन की प्रबंध निदेशक, सुश्री ज़ैनब पटेल और ललित सूरी हॉस्पिटैलिटी ग्रुप की विविधता, समानता और समावेशन प्रबंधक, सुश्री निष्ठा निशांत।

- ### जेल कैदियों के मानव अधिकार

  राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के 32वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 18 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 'कैदियों के मानव अधिकार' विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का उद्देश्य कैदियों के मानव अधिकार संबंधी मुद्दों पर विचार-विमर्श करना और जेल की

स्थितियों, पुनर्वास और सुधारात्मक प्रणालियों में सुधार के लिए व्यावहारिक सुझाव विकसित करना था। सम्मेलन को तीन तकनीकी सत्रों में विभाजित किया गया था। इनमें 'कैदियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार: जेल में गरिमा, कल्याण और मानव अधिकार सुनिश्चित करना', 'महिला कैदी और उनके बच्चे: जेंडर-संवेदनशील जेल सुधारों के लिए संस्थागत ढांचे को मजबूत करना' और 'विचाराधीन कैदी: न्यायिक देरी से निपटना, कानूनी सहायता को मजबूत करना और कारावास के विकल्पों को बढ़ावा देना' शामिल थे।

▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन 'जेल कैदियों के मानव अधिकार' विषयक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए

वक्ताओं में विधि एवं न्याय मंत्रालय के सचिव (न्याय), श्री नीरज वर्मा; एनसीपीसीआर की अध्यक्ष, श्रीमती तृप्ति गुरहा; गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव, श्री राकेश कुमार पांडे; बीपीआरडी की पूर्व महानिदेशक और एनएचआरसी की कोर ग्रुप सदस्य, श्रीमती मीरान चड्ढा बोरवंकर; हरियाणा के पूर्व डीजीपी, डॉ. केपी सिंह; एनएचआरसी कोर ग्रुप सदस्य और प्रयास परियोजना के निदेशक, प्रोफेसर विजय राघवन; एनएचआरसी के पूर्व महानिदेशक (अन्वेषण), श्री मनोज यादव; भारत न्याय रिपोर्ट के सह-संस्थापक और प्रमुख, श्री वलय सिंह; भारतीय कारागार सुधारक, मीडिया शिक्षाविद और टिप्पणीकार, प्रोफेसर (डॉ.) वर्तिका नंदा; स्क्वायर सर्कल क्लिनिक में शमन, मानसिक स्वास्थ्य और आपराधिक न्याय की निदेशक, सुश्री मैत्रेयी मिश्रा; इंडिया विजन फाउंडेशन की निदेशक, सुश्री मोनिका धवन; और एसपीवाईएम के राष्ट्रीय कार्यकारी निदेशक, डॉ. राकेश कुमार शामिल थे।

• दैनिक आवश्यकताओं की सुनिश्चित उपलब्धता: सभी के लिए लोक सेवा एंव गरिमापूर्ण जीवन

मानव अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में 10 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में 'दैनिक आवश्यकताओं की सुनिश्चित उपलब्धता: सभी के लिए लोक सेवा एंव गरिमापूर्ण जीवन' विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन की अध्यक्षता में आयोजित उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव डॉ. पी.के. मिश्रा ने मुख्य भाषण दिया। सम्मेलन का उद्देश्य मानव अधिकार और गरिमा के एक आवश्यक घटक के रूप में दैनिक लोक सेवाओं तक समान पहुंच के महत्व को रेखांकित करना और सेवा वितरण और शासन को मजबूत करने पर संवाद को बढ़ावा देना था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं निष्पक्ष और प्रभावी तरीके से उपलब्ध कराई जाएं।

सम्मेलन के दो विषयगत सत्रों में 'सभी के लिए मूलभूत सुविधाएँ: मानव अधिकार दृष्टिकोण' और 'सभी के लिए सार्वजनिक सेवा और गरिमा सुनिश्चित करना' शामिल थे। एनएचआरसी के सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षड़ंगि और श्रीमती विजया भारती सयानी; नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी.के. पॉल; ईएसी-पीएम की सदस्य डॉ. शमिका रवि; सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव श्री सुधांश पंत; यूआईडीएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री भुवनेश कुमार और विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र की महानिदेशक सुश्री सुनीता नारायण सहित कई प्रख्यात व्यक्तियों ने चर्चा में भाग लिया और संबोधित किया।

▶ प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव डॉ. पी. के. मिश्रा मुख्य वक्तव्य प्रस्तुत करते हुए

ओपन हाउस चर्चाएँ

इन कोर ग्रुप बैठकों के अलावा, वित्तीय वर्ष के दौरान आयोग ने मानव अधिकारों के विभिन्न मुद्दों पर विभिन्न हितधारकों के साथ चार ओपन हाउस चर्चाओं का भी आयोजन किया, जो निम्नलिखित थे:

1. उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग का पुनर्मूल्यांकन: जागरूकता, जवाबदेही और कार्रवाई के माध्यम से सुरक्षित परिसरों का निर्माण

विचार-विमर्श तीन प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित था: भारतीय परिसरों में रैगिंग की चुनौतियाँ और प्रभाव, मौजूदा कानूनी और संस्थागत रैगिंग-विरोधी ढाँचों की पर्याप्तता और जागरूकता, कार्रवाई और समावेशन के माध्यम से रोकथाम को मजबूत करने की आवश्यकता। तीन तकनीकी सत्रों में 'भारतीय कैंपस में रैगिंग की चुनौतियों और प्रभाव को समझना', 'मौजूदा कानूनी और संस्थागत रैगिंग-विरोधी ढाँचों की समीक्षा करना' और 'जागरूकता, कार्रवाई और समावेशन के माध्यम से रोकथाम को सुदृढ़ करने के तरीके तलाशना' शामिल थे।

▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन 'उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की पुनर्समीक्षा: जागरूकता, जवाबदेही और कार्रवाई के माध्यम से सुरक्षित कैंपस का निर्माण' विषय पर आयोजित ओपन हाउस चर्चा की अध्यक्षता करते हुए

2. भिक्षावृत्ति पर पुनर्विचार: नीति, व्यवहार और गरिमा के बीच के अंतर को पाटना

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने भिक्षावृत्ति के प्रति मानवीय दृष्टिकोण विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आयोग ने अपनी सलाहों के माध्यम से भीख मांगने को अपराध की श्रेणी से बाहर करने, सम्मानजनक पुनर्वास, मजबूत और विश्वसनीय डेटाबेस विकसित करने और कमजोर आबादी की सुरक्षा के लिए सरकारी विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने का आह्वान किया है। इन प्रयासों के पूरक के रूप में, नागरिक समाज संगठनों और जमीनी स्तर की पहलों ने जमीनी स्तर पर संपर्क, कानूनी सहायता, समुदाय-आधारित पुनर्वास और आजीविका बहाली एवं सामाजिक पुनर्एकीकरण के उद्देश्य से चलाए जा रहे कार्यक्रमों के माध्यम से सक्रिय योगदान दिया है। इस व्यापक संदर्भ में, परामर्श ने सुविचारित, समन्वित और अधिकार-आधारित प्रतिक्रियाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक मंच के रूप में महत्व प्राप्त किया। इसमें तीन केंद्रित तकनीकी सत्र शामिल थे: 'भीख मांगने के दायरे और चुनौतियों का समाधान', 'डेटा, प्रलेखन और जमीनी हकीकत' और 'पुनर्वास, रोजगार और दीर्घकालिक समाधान'।

▶ एनएचआरसी, भारत के सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षड़ंगि 'भिक्षावृत्ति पर पुनर्विचार: नीति, व्यवहार और गरिमा के बीच अंतर को पाटना' विषय पर आयोजित ओपन हाउस चर्चा को संबोधित करते हुए

3. भारत में नकली दवाओं पर अंकुश लगाने के उपाय

इस परामर्श सत्र में भारत में नकली, घटिया और मिलावटी दवाओं से उत्पन्न गंभीर जन स्वास्थ्य चुनौती और जीवन एवं स्वास्थ्य के अधिकारों पर इसके प्रभावों

पर चर्चा की गई। इसमें अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण दवाओं के अनिवार्य प्रावधान पर बल दिया गया और सरकार तथा एनएचआरसी, भारत द्वारा संचालित नियामक उपायों, जैसे कि सुदृढ़ निरीक्षण, फार्माकोविजिलेंस, निगरानी प्रणाली, डिजिटल ट्रैक-एंड-ट्रेस तंत्र और औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 के तहत सख्त प्रवर्तन, तथा जागरूकता और जवाबदेही के लिए नागरिक समाज के प्रयासों की समीक्षा की गई। यह पाया गया कि इन उपायों के बावजूद, पहचान, रिपोर्टिंग, प्रवर्तन और जन जागरूकता में लगातार कमियां बनी हुई हैं।

▶ एनएचआरसी, भारत के सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षड़ंगि 'भारत में नकली दवाओं पर रोक लगाने के उपाय' विषय पर आयोजित ओपन हाउस चर्चाकी अध्यक्षता करते हुए

ओपन हाउस चर्चा को चार तकनीकी सत्रों में विभाजित किया गया था: 'कानूनी और नियामक ढांचे की समीक्षा', 'नकली और घटिया दवाओं से सार्वजनिक स्वास्थ्य को होने वाले जोखिम और परिणाम', 'दवा विनियमन में पारदर्शिता और पता लगाने की क्षमता के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग' और 'नियामक निगरानी को मजबूत करने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास'। विचार-विमर्श परिणामोन्मुखी था, जिसका उद्देश्य इस मुद्दे को व्यापक रूप से संबोधित करने के लिए ठोस और कार्रवाई योग्य सिफारिशें तैयार करना था।

4. बच्चों द्वारा सोशल मीडिया का उपयोग

इस चर्चा में बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग और ऑनलाइन बाल संरक्षण में मौजूद कमियों को लेकर बढ़ती चिंताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया, साथ ही प्लेटफॉर्म के उपयोग को विनियमित करने के लिए वैश्विक और भारतीय नीतिगत प्रतिक्रियाओं पर भी विचार किया गया। इसमें भारत में उपयोग के रुझानों का भी विश्लेषण किया गया, जिसमें युवा उपयोगकर्ताओं की संख्या और लघु सामग्री और एआई-सक्षम सुविधाओं द्वारा आकारित विकसित हो रहे डिजिटल व्यवहार शामिल हैं, साथ ही भारत के विविध सामाजिक-डिजिटल संदर्भ में आयु-आधारित प्रतिबंधों की उपयुक्तता पर भी सवाल उठाए गए।

चर्चा के तीन तकनीकी सत्रों में 'बच्चों पर सोशल मीडिया के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों को समझना', 'भारतीय नियामक ढांचे का आकलन' और 'बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच पर आयु-आधारित प्रतिबंधों/प्रतिबंधों का मूल्यांकन करना।'

▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन 'बच्चों द्वारा सोशल मीडिया तक पहुंच' विषय पर आयोजित ओपन हाउस चर्चा की अध्यक्षता करते हुए

कोर ग्रुप की बैठक

एनएचआरसी, भारत ने मानव अधिकारों से संबंधित विभिन्न विषयों पर कई कोर समूहों का गठन किया है और संबंधित मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ चर्चा करता है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान मानव अधिकारों के सामने मौजूद चुनौतियों पर चर्चा और उन्हें समझने के लिए कोर ग्रुप बैठक आयोजित की गई ताकि निम्नलिखित विषय पर सरकार को सुधार के लिए आयोग द्वारा अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दिया जा सकें:

दिव्यांगता

एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन 'दिव्यांगता से संबंधित सरकारी कर्मचारियों के प्रमाणपत्रों के पुनः सत्यापन एवं पुनः मूल्यांकन से उत्पन्न मानव अधिकार उल्लंघनों' विषय पर कोर समूह बैठक को संबोधित करते हुए

27 जनवरी 2026 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने नई दिल्ली में 'सरकारी दिव्यांग कर्मचारियों के प्रमाण पत्रों के पुनर्सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन से उत्पन्न मानव अधिकार उल्लंघन' विषय पर एक कोर ग्रुप की बैठक आयोजित की। बैठक में सरकारी विकलांग कर्मचारियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्रों के पुनर्सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन से संबंधित चिंताओं पर चर्चा की गई। लाभों के दुरुपयोग को रोकने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, ग्रुप ने चेतावनी दी कि व्यापक पुनर्मूल्यांकन उत्पीड़न का कारण बन सकता है और गरिमा का उल्लंघन कर सकता है। बैठक के तीन तकनीकी सत्र थे: 'आर.पी.डब्ल्यू.डी. अधिनियम, 2016 के साथ प्रशासनिक निरीक्षण का सामंजस्य स्थापित करना', 'सत्यापन प्रक्रियाओं में गरिमा और गैर-भेदभाव सुनिश्चित करना' और 'यूडीआईडी ढांचे के माध्यम से डिजिटल सत्यापन को मजबूत करना'।

बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि सत्यापन नियमित प्रक्रिया के बजाय लक्षित, न्यायसंगत और अधिकार-आधारित होना चाहिए, और पारदर्शिता बढ़ाने और बार-बार होने वाली जांच को कम करने के लिए दिव्यांगजनोंकी पहचान संबंधी जानकारी (UDID) से लैस डिजिटल प्रणाली का समर्थन किया गया। चर्चा में प्रशासनिक जांच और गैर-भेदभाव, प्रक्रियात्मक निष्पक्षता तथा वास्तविक दिव्यांगजनोंके संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

वैधानिक पूर्ण आयोग की बैठक

3 जून 2025 को, एनएचआरसी, भारत ने नई दिल्ली में एक वैधानिक पूर्ण आयोग की बैठक आयोजित की, जिसमें सभी सात मान्यता प्राप्त सदस्य आयोग और दिव्यांगजनो के लिए मुख्य आयुक्त उपस्थित थे। बैठक का मुख्य उद्देश्य मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए आयोगों के बीच समन्वय और तालमेल को बढ़ाना था। सत्र की अध्यक्षता करते हुए, भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने आयोगों के बीच सहयोगात्मक कार्य के महत्व पर जोर दिया।

एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन, सदस्यों न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षड़ंगि तथा श्रीमती विजया भारती सयानी और महासचिव श्री भरत लाल के साथ वैधानिक पूर्ण आयोग बैठक की अध्यक्षता करते हुए

एनएचआरसी के अध्यक्ष, सदस्य एवं महासचिव, सात मानित सदस्य आयोगों के अध्यक्षों, सदस्यों एवं वरिष्ठ अधिकारियों तथा दिव्यांगजन के मुख्य आयुक्त के साथ।

विशेष प्रतिवेदकों और विशेष मॉनिटर की बैठक

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने तीन साल की अवधि के लिए 33 विशेष प्रतिवेदकों और विशेष मॉनिटर की नियुक्ति की है। इनमें विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल हैं, जिनमें पूर्व वरिष्ठ सिविल सेवक और कानून प्रवर्तन अधिकारी, नागरिक समाज के प्रतिनिधि, शिक्षाविद, विभिन्न लैंगिक पहचान वाले समुदाय और दिव्यांग समुदाय के प्रतिनिधि आदि शामिल हैं। 22 जनवरी 2026 को एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें उन्हें मानव अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने तथा विकास के लाभों को आम नागरिकों तक पहुंचाने के लिए आयोग की बहुआयामी गतिविधियों से अवगत कराया गया। न्यायमूर्ति रामासुब्रमण्यन ने संस्थागत प्रक्रियाओं में सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और सार्वजनिक सेवा के प्रति आयोग की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने विशेष प्रतिवेदकों और विशेष मॉनिटर से आयोग के जमीनी स्तर पर काम करने और छोटे-छोटे सुधारों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया, यह देखते हुए कि एक भी परिवार की सहायता करना उनकी नियुक्ति के उद्देश्य को पूरा करेगा।

▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन विशेष प्रतिवेदकों एवं विशेष मॉनिटर की बैठक को संबोधित करते हुए

▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष, सदस्य, महासचिव, महानिदेशक (अन्वेषण), रजिस्ट्रार (विधि) तथा वरिष्ठ अधिकारी नवनियुक्त विशेष प्रतिवेदकों एवं विशेष मॉनिटर के साथ

शिविर बैठकें

आयोग समय-समय पर राज्य की राजधानियों में शिविर बैठकें आयोजित करता है ताकि शिकायतकर्ताओं, पीड़ितों और संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में मानव अधिकार उल्लंघन की शिकायतों को सीधे सुना जा सके, जिससे मौके पर ही सिफारिशें और निर्देश दिए जा सकें। जुलाई में, भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने ओडिशा के भुवनेश्वर और तेलंगाना के हैदराबाद में ऐसी दो बैठकें आयोजित कीं।

▶ भुवनेश्वर, ओडिशा में आयोजित एनएचआरसी, भारत की शिविर बैठक और जन सुनवाई

▶ हैदराबाद, तेलंगाना में आयोजित एनएचआरसी, भारत की शिविर बैठक और जन सुनवाई

इन बैठकों के दौरान, अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने सदस्यों न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षड़ंगि और श्रीमती विजया भारती सयानी के साथ भुवनेश्वर में 144 और हैदराबाद में 109 मामलों की सुनवाई की और पीड़ितों के लिए कुल 77.65 लाख रुपये की राहत की सिफारिश की। मामलों के निपटारे के अलावा, अधिकारियों को सुशासन के एक प्रमुख पहलू के रूप में मानव अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के महत्व के प्रति जागरूक किया गया।

अधिकारियों से यह भी आग्रह किया गया कि वे समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करें ताकि मामलों का शीघ्र समाधान हो सके और आयोग की सलाहों पर की गई कार्रवाई की स्थिति पर रिपोर्ट की समीक्षा की गई। नागरिक समाज संगठनों और मानव अधिकार संरक्षकों को हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले मुद्दों को सामने लाने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जबकि बैठकों की क्षेत्रीय मीडिया कवरेज ने जागरूकता बढ़ाने और मानव अधिकार साक्षरता को बढ़ावा देने में मदद की।

सहयोगात्मक कार्यक्रम और अन्य सहायक आयोजन

आयोग ने मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर जागरूकता और संवेदनशीलता पैदा करने के लिए सेमिनार और गतिविधियों के आयोजन हेतु विभिन्न संगठनों के साथ सहयोग किया। आयोग के सहयोग से आयोजित कुछ महत्वपूर्ण सहयोगी कार्यक्रम इस प्रकार थे:

- **कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा**

  लखनऊ विश्वविद्यालय ने एनएचआरसी, भारत के संयुक्त तत्वाधान में 25 जुलाई 2025 को लखनऊ में 'कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा' विषय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। अपने वर्चुअल मुख्य भाषण में, एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने महिलाओं के प्रति सांस्कृतिक सम्मान और जेंडर आधारित हिंसा की उच्च दर के बीच विरोधाभास को उजागर करते हुए कहा कि प्रति घंटे लगभग 51 एफआईआर दर्ज की जाती हैं। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता बढ़ाने, प्रवर्तन और व्यवस्थागत सुधारों का आह्वान किया।

  ▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन लखनऊ में 'कार्यस्थल एवं सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए

  एनएचआरसी, भारत की संयुक्त सचिव श्रीमती साईंडिंगपुई छकछुआक ने सक्रिय कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया, क्योंकि मौजूदा कानूनी ढांचे के बावजूद, जेंडर आधारित हिंसा की घटनाएं प्रतिदिन जारी हैं। उन्होंने जेंडर-संवेदनशील शिक्षा और नीतिगत ध्यान एवं प्रवर्तन पर जोर दिया। उन्होंने इस प्रकार के उल्लंघनों से निपटने में एनएचआरसी की सक्रिय भूमिका को भी उजागर किया।

  ▶ एनएचआरसी, भारत की संयुक्त सचिव श्रीमती साईंडिंगपुई छकछुआक राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित करते हुए

  वक्ताओं ने संवैधानिक गारंटियों की प्राप्ति में प्रमुख बाधाओं के रूप में व्यवस्थागत अन्याय, लैंगिक रूढ़िवादिता और संस्थागत निष्क्रियता पर प्रकाश डाला। उन्होंने अधिक कानूनी जागरूकता, सक्रिय राज्य हस्तक्षेप और निर्णय लेने वाली भूमिकाओं में महिलाओं के बेहतर प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर बल दिया।

  चर्चा में भारत और विश्व स्तर पर मानव और महिला अधिकारों के विकास पर भी विचार-विमर्श किया गया, जिसमें भारतीय संवैधानिक प्रावधानों और मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के बीच सामंजस्य पर प्रकाश डाला गया। शी-बॉक्स, वन स्टॉप सेंटर और पिंक पुलिस बूथ जैसी मौजूदा सहायता प्रणालियों पर भी प्रकाश डाला गया।

- **भारत में वृद्धावस्था: उभरती वास्तविकताएँ, विकसित होती प्रतिक्रियाएँ**

  संकला फाउंडेशन द्वारा 1 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में "भारत में वृद्धावस्था: उभरती वास्तविकताएं, विकसित प्रतिक्रियाएं" विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। नीति आयोग और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालयों के सहयोग से आयोजित इस गैर-लाभकारी संगठन के सम्मेलन में स्वास्थ्य सेवा, आर्थिक सुरक्षा और डिजिटल बहिष्कार जैसे प्रमुख मुद्दों को संवाद, नीतिगत नवाचार और वृद्धावस्था को एक अवसर के रूप में देखने के दृष्टिकोण के माध्यम से संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

  ▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन नई दिल्ली में "भारत में वृद्धावस्था: उभरती वास्तविकताएं, विकसित होते उत्तरदायित्व" विषयक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए

  विचार-विमर्श में एकीकृत देखभाल, वित्तीय समावेशन, डिजिटल साक्षरता और 2050 तक अनुमानित 347 मिलियन बुजुर्ग आबादी के संदर्भ में आयु-समावेशी समाजों के विकास जैसे विषयों को शामिल किया गया। इस अवसर पर, सांकला फाउंडेशन ने 'भारत में वृद्धावस्था: चुनौतियाँ और अवसर' नामक रिपोर्ट भी जारी की, जो बुजुर्ग आबादी की कमजोरियों और संभावनाओं दोनों पर प्रकाश डालती है।

- **जनजातीय कला और भारत की संरक्षण भावना: व्यावहारिक समझ**
  विरासत, संस्कृति और संरक्षण पर संवाद के रूप में 10 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में 'आदिवासी कला और भारत की संरक्षण भावना: व्यावहारिक समझ' विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने समापन भाषण दिया। इस अवसर पर महासचिव श्री भरत लाल ने मुख्य भाषण दिया। इसका आयोजन संकला फाउंडेशन द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से किया गया था।

▶ नई दिल्ली में 'जनजातीय कला और भारत की संरक्षण परंपरा: व्यावहारिक समझ' विषयक राष्ट्रीय सम्मेलन का एक दृश्य

- **अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन पर राष्ट्रीय परामर्श**
  1 दिसंबर 2025 को, एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने मुंबई स्थित टीआईएसएस परिसर में आयोग द्वारा टीआईएसएस, मुंबई के सहयोग से आयोजित 'अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के कार्यान्वयन' पर राष्ट्रीय परामर्श को संबोधित किया। न्यायमूर्ति रामासुब्रमण्यन ने कहा कि परिवीक्षा की अवधारणा जॉन ऑगस्टस के नेतृत्व में एक मानवीय दृष्टिकोण से विकसित हुई और बाद में इसे अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 जैसे कानूनों में संस्थागत रूप दिया गया। उन्होंने कहा कि यह कारावास के एक सुधारात्मक विकल्प के रूप में कार्य करता है, जिसका उद्देश्य अपराधियों का पुनर्वास करना और जेलों में भीड़भाड़ को कम करना है। उन्होंने कहा कि असंगत अनुप्रयोग और कठोर शर्तों जैसी चुनौतियाँ इसके उद्देश्य को कमजोर कर सकती हैं और उन्होंने सुधार पर केंद्रित एक मानवीय, संतुलित न्याय प्रणाली की आवश्यकता पर बल दिया। परामर्श में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी, श्री अंजनी अनुज ने भी परिवीक्षा अधिनियम पर एक सत्र की अध्यक्षता की।

एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन 'अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के कार्यान्वयन' विषयक राष्ट्रीय परामर्श को संबोधित करते हुए

अनुसंधान

एनएचआरसी, भारत ने सार्वजनिक मानव अधिकार अधिनियम के तहत अपने जनादेश के अनुसार मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर शोध अध्ययनों को बढ़ावा देना जारी रखा। इसने वर्ष 2023 और 2024 में अपने द्वारा शुरू किए गए शोध अध्ययनों की प्रगति पर ध्यान केंद्रित करके इस गतिविधि को और अधिक गति प्रदान की। और होना विभिन्न संस्थानों द्वारा संचालित। वर्ष के दौरान पूर्ण किए गए सात शोध अध्ययन निम्नलिखित हैं:

- गैर-लकड़ी वन उत्पादों का व्यावसायीकरण: भारत में निर्धारक कारक और आपूर्ति श्रृंखला
- हिरासत में हुई मौतों पर एक अध्ययन: झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में रुझान और पैटर्न

- पंजाब में दिव्यांगजनों के बीच समावेशी शिक्षा: संभावनाएं और चुनौतियां
- मानव दुर्व्यापार : मानव दुर्व्यापार विरोधी इकाइयों के कामकाज का मूल्यांकन अध्ययन
- वृद्धाश्रमों में रहने वाले बुजुर्गों की जीवन संतुष्टि और जीवन की गुणवत्ता: पश्चिमी भारत और उत्तर-पूर्वी भारत का तुलनात्मक अध्ययन
- वन अधिकार अधिनियम 2006: जमीनी हकीकत का आकलन
- दिल्ली-एनसीआर के विशेष संदर्भ में भारत में दत्तक ग्रहण प्रक्रिया के सामाजिक-कानूनी पहलुओं का अध्ययन

निम्नलिखित 17 अनुसंधान अध्ययन वर्तमान में जारी हैं:

- चिकित्सकों के अधिकारों की परवाह करना - भारत में अग्रिम पंक्ति के डॉक्टरों से संबंधित मानव अधिकार उल्लंघनों का विश्लेषण
- अंतरपीढ़ीगत वेश्यावृत्ति में संलग्न महिलाओं के बच्चों को शिक्षा तक पहुँचने में जिन सामाजिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है
- विशेष रूप से प्रवासी परिवारों की विकलांग महिलाओं के लिए श्रम बाजार और रोजगार तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौशल विकास
- दिव्यांगजनों के लिए रोजगार तक पहुंच: स्थिति, बाधाओं की पहचान और संबंधित कारक
- अपराध पीड़ितों को मुआवजा देना: पीड़ित मुआवजा योजनाओं और उनकी प्रभावशीलता का अखिल भारतीय अध्ययन
- कानून से संघर्ष कर रहे बच्चों और निगरानी गृहों में विचाराधीन कैदियों तथा एनडीपीएस अधिनियम के तहत विचाराधीन/दोषी ठहराए गए लोगों के बीच मामलों की बढ़ती संख्या के कारणों को समझने के लिए एक अध्ययन, जो सीसीआई/निगरानी गृहों और कारागारों में बंद हैं, और नमूना राज्यों यानी दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में मौजूदा विधायी नीति और योजनाबद्ध प्रतिक्रिया का पता लगाने के लिए किया गया है।
- अधंकार में बाल जीवन : दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में संगठित भीख मांगने के विभिन्न आयामों का अनावरण
- भारत में पेयजल की स्थिति का सरकारी नीति और कार्रवाई के संदर्भ में विश्लेषण - जमीनी हकीकत, चुनौतियां और भविष्य की संभावनाएं
- मानव अधिकार हनन से निपटने के लिए खेल निकायों द्वारा अपनाए गए तंत्रों का अध्ययन और केरल में कार्यान्वयन की स्थिति के साथ-साथ कानूनी नीतिगत ढांचे की जांच
- विभिन्न हितधारकों के बीच नैदानिक परीक्षणों के बारे में जागरूकता पर प्रश्नावली सर्वेक्षण का इष्टतम डिजाइन
- मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा और मिजोरम के संदर्भ में भारत के पांचवीं और छठी अनुसूची क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के बच्चों पर एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का प्रभाव
- विशेष रूप से उत्तरी क्षेत्र के संदर्भ में वृद्धाश्रमों में रहने वाले बुजुर्गों के जीवन की गुणवत्ता का अध्ययन।
- स्थानीय स्वशासन में मानव अधिकारों का संवर्धन - भारत के तमिलनाडु और केरल राज्यों की चयनित ग्राम पंचायतों का एक अध्ययन
- महामारी, मानव अधिकार और आजीविका का भविष्य: भारतीय अर्थव्यवस्था से प्राप्त अनुभवजन्य साक्ष्य
- एसिड अटैक पीड़ितों का पुनर्एकीकरण और पुनर्वास
- जेल और पुलिस हिरासत में होने वाली मौतों के रुझान और पैटर्न का विश्लेषण: महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में ऐसी मौतों का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन
- हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र में हाथ से मैला ढोने और सीवेज जल श्रमिकों की स्थिति – नीति और व्यवहार

महत्वपूर्ण रिपोर्टें और दिशानिर्देश

इस कैलेंडर वर्ष के दौरान, आयोग ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए बेहतर सुविधाओं और उनके गरिमा गृह आश्रयों के रखरखाव पर जोर देते हुए एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की, साथ ही राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रोंके अधिकारियों को दो पत्र लिखकर अत्यधिक गर्मी और सर्दी के मौसम के दौरान समाज के बेघर और कमजोर वर्गों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन को रेखांकित किया।

गरिमा गृह दौरे के बाद रिपोर्ट

2024-25 के दौरान, एनएचआरसी, भारत ने जमीनी स्तर की जानकारी जुटाने के लिए 12 गरिमा गृह आश्रयों का दौरा किया, जिसके परिणामस्वरूप 'ट्रांसजेंडर व्यक्तिः स्थानों का पुनर्संरचना, सशक्त अभिव्यक्ति – गरिमा गृह आश्रयों से प्राप्त जानकारी और उससे आगे शीर्षक से एक रिपोर्ट तैयार की गई, जिसे 4 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय सम्मेलन में जारी किया गया। रिपोर्ट में सक्रिय निगरानी समितियों, समय पर वित्तपोषण, बेहतर बुनियादी ढांचे और बेहतर स्टाफिंग मानदंडों के माध्यम से पहल को मजबूत करने का आह्वान किया गया है। यह सरलीकृत पहचान प्रक्रिया, मानसिक स्वास्थ्य और एचआईवी सेवाओं सहित विस्तारित स्वास्थ्य सेवा और आयुष्मान भारत टीजी प्लस के तेजी से कार्यान्वयन पर जोर देती है। इसके अलावा, यह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए गरिमा, सशक्तिकरण और समावेशन सुनिश्चित करने के लिए आजीविका के बेहतर अवसर, शिक्षा के लिए विस्तारित आश्रय सहायता, नाबालिगों के लिए कानूनी सुधार और अधिक पारदर्शिता की सिफारिश करती है।

▶ 'ट्रांसजेंडर व्यक्तियों: गरिमा गृह आश्रयों एवं उससे आगे प्राप्त जानकारी स्थान पुनर्गठन सशक्त अभिव्यक्ति' विषयक रिपोर्ट का विमोचन

शीत लहर और हीट वेव के दौरान पूर्व-निवारक कद

2025 में, एनएचआरसी, भारत ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को दो पत्र जारी कर हीट वेव और शीत लहर जैसी चरम मौसम घटनाओं के विरुद्ध पूर्व-निवारक और प्रतिक्रियात्मक उपाय करने का आग्रह किया। इसने ऐसी स्थितियों से उत्पन्न होने वाली मानव अधिकार संबंधी चिंताओं को उजागर किया, जिनमें जानमाल का नुकसान, स्वास्थ्य जोखिम और विस्थापन शामिल हैं। आयोग ने समय पर राहत कार्य, जागरूकता अभियान और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के दिशानिर्देशों के अनुरूप लू कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन पर जोर दिया। इसने बुजुर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों जैसे संवेदनशील समूहों के लिए लक्षित समर्थन का भी आह्वान किया।

क्षेत्रीय दौरे

अपने अनुसंधान कार्य के अतिरिक्त, एनएचआरसी, भारत मानव अधिकारों की स्थिति का आकलन करने और राज्यों तथा प्राधिकरणों द्वारा उसके परामर्शों और दिशानिर्देशों के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए सक्रिय रूप से क्षेत्रीय दौरे भी करता है। न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षड़ंगि, श्रीमती विजया भारती सयानी और श्री प्रियंक कानूनगो सहित सदस्यों ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर आश्रय गृहों, कारागारों, अवलोकन गृहों, छात्रावासों और विद्यालयों जैसी संस्थाओं का दौरा किया, ताकि अधिकारियों को संवेदनशील बनाया जा सके और सुधारों को प्रोत्साहित किया जा सके। वर्ष के दौरान ऐसे लगभग 32 दौरे किए गए।

▶ एनएचआरसी, भारत की सदस्या श्रीमती विजय भारती सयानी हरियाणा के कुरुक्षेत्र स्थित वन स्टॉप सेंटर में लाभार्थियों से संवाद करती हुई तथा संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा करती हुई

▶ एनएचआरसी, भारत के सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षड़ंगि महाराष्ट्र के पुणे स्थित क्षेत्रीय मानसिक अस्पताल का दौरा करते हुए

इसके अलावा, आयोग ने विभिन्न क्षेत्रों में मानव अधिकार स्थितियों की निगरानी के लिए 15 विशेष प्रतिवेदकों को नियुक्त किया है, जो क्षेत्रीय दौरों और विस्तृत रिपोर्टिंग के माध्यम से निगरानी करेंगे। साथ ही, 18 विशेष मॉनिटर को भी नियुक्त किया गया है जो विशिष्ट विषयगत मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और भविष्य की कार्रवाई को निर्देशित करने के लिए सुझाव प्रदान करते हैं।

क्षमता निर्माण कार्यक्रम

आयोग इंटर्नशिप कार्यक्रमों, सहयोगात्मक प्रशिक्षण और संबंधित पहलों के माध्यम से मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार करने का प्रयास जारी रखे हुए है। ये इंटर्नशिप ऑनलाइन और प्रत्यक्ष दोनों तरीकों से आयोजित की जाती हैं, साथ ही विभिन्न सेवाओं के अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं ताकि संस्थानों में मानव अधिकारों और गरिमा की सुरक्षा को सुदृढ़ किया जा सके।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, एनएचआरसी ने कई कार्यशालाओं, ज्ञानार्जव दौरो और क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिनमें 8 दो-सप्ताह की ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप और 2 चार-सप्ताह की ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन इंटर्नशिप शामिल थीं। एनएचआरसी सदस्यों, वरिष्ठ अधिकारियों और विषय विशेषज्ञों द्वारा संचालित सत्रों के माध्यम से इंटर्न को मानव अधिकारों के विभिन्न मुद्दों से परिचित कराया गया, साथ ही जेलों, पुलिस स्टेशनों और गैर-सरकारी संगठनों के आभासी और प्रत्यक्ष क्षेत्र भ्रमण भी कराए गए।

▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम के समापन समारोह को संबोधित करते हुए

भारतीय वन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और कारागार एवं सुधार प्रशासन के अधिकारियों के लिए उनके संबंधित अकादमियों के सहयोग से प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके अतिरिक्त, 49 विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लगभग 2,225 छात्रों और संकाय सदस्यों को मानव अधिकारों और आयोग के कामकाज के बारे में जानकारी देने के लिए भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किए गए। एनएचआरसी ने शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझेदारी करके 11 मूट कोर्ट और 16 सेमिनार, सम्मेलन और कार्यशालाएं आयोजित कीं तथा विभिन्न संस्थानों द्वारा संचालित 35 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समर्थन किया, जिनमें लगभग 3,000 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसने विशेषज्ञों और न्यायिक अधिकारियों की जागरूकता और क्षमता निर्माण के उद्देश्य से आयोजित 4 कार्यक्रमों के लिए भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली के साथ भी सहयोग किया।

▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन उत्तराखंड के देहरादून स्थित भारतीय वन प्रबंधन अकादमी में भारतीय वन सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित करते हुए

आयोग ने अरुणाचल प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग के 6 अधिकारियों के लिए एक दिवसीय आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया और लखनऊ स्थित जेआर आरपीएफ अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 4 आईआरपीएफएस परिवीक्षुओं के लिए एक दिवसीय संलग्नता कार्यक्रम का आयोजन किया।

अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र

एनएचआरसी, भारत ने अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार मंचों में सक्रिय और सार्थक भागीदारी के माध्यम से वैश्विक स्तर पर अपनी प्रतिबद्धता को बरकरार रखा है, जो 2025-26 के दौरान विश्व स्तर पर मानव अधिकारों को बढ़ावा देने में इसकी बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। गनहरी और एपीएफ में प्रभावी प्रतिनिधित्व, वैश्विक दक्षिण के लिए क्षमता निर्माण प्रयासों और उच्च स्तरीय रणनीतिक संवादों के माध्यम से आयोग ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समावेशी और अधिकार-आधारित शासन में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की है। वसुधैव कुटुंबकम (विश्व एक परिवार है) के आदर्शों से प्रेरित होकर, एनएचआरसी सहयोग, नवाचार और साझा शिक्षा के माध्यम से सभी के लिए न्याय, समानता और गरिमा को बढ़ावा देना जारी रखता है।

वैश्विक मंचों में भागीदारी

- **जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद का 58वां सत्र**
  24 फरवरी से 4 अप्रैल 2025 तक जिनेवा में आयोजित मानव अधिकार परिषद के 58वें नियमित सत्र के दौरान, एनएचआरसी, भारत ने अपने सदस्यों, न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षड़ंगि और श्रीमती विजया भारती सयानी, तथा महासचिव श्री भरत लाल द्वारा प्रस्तुत पूर्व-रिकॉर्ड किए गए वीडियो वक्तव्यों के माध्यम से भाग लिया। ये वक्तव्य पर्यावरण, दिव्यांगजनों के अधिकारों और मानव अधिकार संरक्षकों के विशेष प्रतिवेदकों के साथ संवादात्मक सत्रों के दौरान दिए गए, जिनमें आयोग के सक्रिय दृष्टिकोण और भारत में इन क्षेत्रों में चल रहे कार्यों पर प्रकाश डाला गया।

▶ बाएँ से दाएँ: एनएचआरसी, भारत के सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षड़ंगि, श्रीमती विजया भारती सयानी तथा महासचिव श्री भरत लाल

- **श्रीलंका के कोलंबो में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद की बैठक**
  26 सितंबर 2025 को, एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री भरत लाल ने कोलंबो, श्रीलंका में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद की बैठक को 'भ्रष्टाचार और मानव अधिकार - भारत का अनुभव और संस्थागत प्रतिक्रियाएं' विषय पर संबोधित किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भ्रष्टाचार केवल शासन का मुद्दा नहीं है, बल्कि एक आपराधिक अपराध और मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है, क्योंकि यह विश्वास को नष्ट करता है, लोकतंत्र को कमजोर करता है, कानून के शासन को भंग करता है और गरीबों और कमजोर वर्गों को असमान रूप से प्रभावित करता है। उन्होंने आगे कहा कि संसाधनों का दुरुपयोग लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, भोजन और आवास जैसी आवश्यक सेवाओं से वंचित करता है, साथ ही पर्यावरण के क्षरण का कारण भी बनता है।

▶ एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री भरत लाल श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए

- **फिजी में एपीएफ की वार्षिक आम बैठक और द्विवार्षिक सम्मेलन**

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी सक्रिय भागीदारी को जारी रखते हुए, एनएचआरसी, भारत ने 11 नवंबर 2025 को फिजी में आयोजित एशिया प्रशांत राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के मंच (एपीएफ) की वार्षिक आम बैठक और द्विवार्षिक सम्मेलन में भी भाग लिया। अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन के नेतृत्व में संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार सहित दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मानव अधिकार प्राथमिकताओं पर क्षेत्रीय चर्चाओं में योगदान दिया। पूर्ण सत्र के दौरान, एनएचआरसी ने लैंगिक समानता पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी, जिसमें लड़कियों और महिलाओं के अधिकारों के समर्थन और संरक्षण के लिए आयोग के हालिया प्रयासों पर प्रकाश डाला गया। न्यायमूर्ति रामासुब्रमण्यन ने भारत में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में हुई प्रगति और शेष चुनौतियों पर भाग लेने वाले राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों (एनएचआरआई) के साथ सार्थक चर्चा भी की। उन्होंने देश भर में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए एनएचआरसी की प्रतिबद्धता को दोहराया। वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों (एसईओ) की बैठक में श्री समीर कुमार उपस्थित थे। इस बैठक में, एनएचआरसी ने उन एशिया प्रशांत देशों को शामिल करने के लिए गणहृदयतापूर्वक तर्क प्रस्तुत किया, जिनका अभी तक प्रतिनिधित्व नहीं है।

▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन तथा संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार फिजी के कार्यवाहक राष्ट्रपति एवं मुख्य न्यायाधीश सेल्सी टेमो के साथ

रणनीतिक अंतरराष्ट्रीय पहुँच

- **विश्व बैंक ग्रुप और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की वसंतकालीन बैठक:** 23 अप्रैल 2025 को विश्व बैंक ग्रुप और आईएमएफ की वसंतकालीन बैठक में, एनएचआरसी के महासचिव श्री भरत लाल ने 'शहरों को सशक्त बनाना: शहरी अवसंरचना और रोजगार प्रदान करने में उप-राष्ट्रीय वित्तपोषण की महत्वपूर्ण भूमिका' शीर्षक वाले सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किया। एक प्रमुख वक्ता के रूप में, उन्होंने शहरी विकास में भारत की प्रगति पर प्रकाश डाला और समावेशी विकास, जन कल्याण और मानव अधिकारों के संरक्षण को बढ़ावा देने में उप-राष्ट्रीय शासन और वित्तपोषण के महत्व पर जोर दिया।

▶ एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री भरत लाल वाशिंगटन डी.सी. में विश्व बैंक समूह एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वसंत बैठकों में व्याख्यान देते हुए

- **समुद्री और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए बहुक्षेत्रीय भागीदारी पर उच्च स्तरीय नीतिगत संवाद:** •11 जून 2025 को, श्री भरत लाल ने फ्रांस के नीस में इंडिया वाटर फाउंडेशन द्वारा आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के एक सह-कार्यक्रम में अध्यक्षीय भाषण दिया। उन्होंने कहा कि यह संवाद 2025 के संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की गति को आगे बढ़ाता है और सतत विकास लक्ष्य एसडीजी-14 (लाइफ बिलो वाटर) को आगे बढ़ाने की तात्कालिकता पर बल देते हुए जलवायु विनियमन, जैव विविधता संरक्षण और विश्व स्तर पर 3 अरब से अधिक लोगों के भरण-पोषण में महासागरों की भूमिका पर जोर दिया।

▶ एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री भरत लाल संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के साइड इवेंट में आयोजित 'समुद्री एवं तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्स्थापन हेतु बहु-क्षेत्रीय साझेदारियाँ' विषयक उच्च स्तरीय नीति संवाद में अध्यक्षीय संबोधन प्रस्तुत करते हुए

- यूरोपीय संघ के राजदूत और यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के राजदूतों और राजनयिकों के साथ संवादात्मक सत्र: 21 नवंबर 2025 को, श्री भरत लाल ने संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार के साथ, नई दिल्ली में यूरोपीय संघ के राजदूत श्री हर्वे डेल्फिन द्वारा आयोजित एक संवादात्मक सत्र में भाग लिया। इस सत्र में यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों के राजदूत और वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए। उन्होंने भारत-यूरोपीय संघ सहयोग को निर्देशित करने वाले लोकतंत्र, विविधता और मानवीय गरिमा के साझा मूल्यों पर प्रकाश डाला और भारत में मानव अधिकारों के विकास की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसमें इसकी सभ्यतागत जड़ों से लेकर राष्ट्रीय और राज्य मानव अधिकार निकायों के संवैधानिक और संस्थागत ढांचे और विभिन्न क्षेत्रीय आयोगों के कामकाज तक का वर्णन किया गया।

▶ एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री भरत लाल, संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार के साथ, नई दिल्ली में 27 यूरोपीय संघ सदस्य देशों के राजदूतों एवं वरिष्ठ प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए

- अमेरिका-भारत रणनीतिक साझेदारी मंच: 12 नवंबर 2025 को, एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री भरत लाल ने नई दिल्ली में यूएस-इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के बोर्ड के साथ वार्तालाप किया। उन्होंने जीवन की गुणवत्ता, पर्यावरणीय स्थिरता, जीवन और व्यापार में सुगमता और मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए भारत के प्रयासों पर प्रकाश डाला। श्री मुकेश अघी द्वारा संचालित इस सत्र में श्री अमिताभ कांत जैसे प्रख्यात वक्ताओं के विचार भी शामिल थे। पूर्व जी20 शेरपा और श्री तरनजीत सिंह संधू, पूर्व राजदूत।

▶ एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री भरत लाल नई दिल्ली में यूएसआईएसपीएफ के बोर्ड के साथ संवाद करते हुए

द्विपक्षीय संपर्क और प्रतिनिधिमंडल के दौरे

पूरे वर्ष के दौरान, एनएचआरसी, भारत ने स्वीडन, जर्मनी, यूएनडीपी इंडिया, नेपाल मानव अधिकार आयोग आदि के प्रतिनिधिमंडलों का स्वागत किया। नॉर्वे और इंडोनेशिया के मानव अधिकार मंत्री भी उपस्थित थे। भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त, भारत में डेनमार्क के राजदूत, भारत में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर, ब्रिटिश उच्चायोग और संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त ने भी आयोग का दौरा किया और अध्यक्ष और महासचिव से मुलाकात की। इन मुलाकातों से विचारों का रचनात्मक आदान-प्रदान संभव हुआ और एनएचआरसी, भारत की वैश्विक साझेदारियों को और मजबूती मिली।

एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन, महासचिव श्री भरत लाल तथा संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त के उच्चायुक्त श्री वोल्कर टुर्क, प्रवक्ता सुश्री रविना शमदासानी एवं मानव अधिकार अधिकारी सुश्री आइडा मार्टिरियस-नेजाद के साथ

एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन, महासचिव श्री भरत लाल एवं वरिष्ठ अधिकारी, मानव अधिकार , लोकतंत्र और विधि के शासन के लिए स्वीडन की एम्बेसडर-एट-लार्ज सुश्री इरीना शुलगिन न्योनी तथा भारत में स्वीडन के राजदूत महामहिम श्री जान थेस्लेफ के साथ

एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन, सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ.) बी. आर. षड़ंगि एवं श्रीमती विजया भारती सयानी तथा महासचिव श्री भरत लाल एवं वरिष्ठ अधिकारी, इंडोनेशिया के मानव अधिकार मंत्री श्री नटालियस पिगाई के नेतृत्व में आए इंडोनेशियाई प्रतिनिधिमंडल के साथ

ऑनलाइन बैठकें

- व्यापार और मानव अधिकार संबंधी गनहरी कार्य ग्रुप की बैठक 23 अप्रैल 2025 को, एनएचआरसी, भारत के संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार ने व्यापार और मानव अधिकार (बीएचआर) पर गनहरी कार्य ग्रुप (डब्ल्यूजी) की बैठक में भाग लिया। फिलीपींस के मानव अधिकार आयोग (सीएचआर) के अंतरराष्ट्रीय दायित्व निगरानी मानव अधिकार नीति संपर्क कार्यालयों के प्रभाग प्रमुख श्री मारिज़न सैंटोस ने इसकी अध्यक्षता की। भारत के अलावा, अर्जेंटीना, इक्वाडोर, जर्मनी, मोरक्को, मलावी, उत्तरी आयरलैंड, फिलीपींस, पुर्तगाल, फ्रांस और डेनमार्क सहित अन्य एनएचआरआई ने भी भाग लिया। एजेंडा में कार्य ग्रुप के उपाध्यक्ष का चुनाव शामिल था, जिसमें मोरक्को एनएचआरआई को सर्वसम्मति से चुना गया। ग्रुप ने 2025/2026 की रणनीतिक योजना की समीक्षा की, जिसमें बीएचआर पर 14वें संयुक्त राष्ट्र मंच को प्रस्तुत प्रस्ताव भी शामिल था। कार्य ग्रुप की आगामी बैठकों में प्रवासी श्रमिकों, लैंगिक समानता और काम के मुद्दों पर चर्चा करने का भी निर्णय लिया गया।

- 23 जून 2025 को, एनएचआरसी, भारत के संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार ने संयुक्त राष्ट्र प्रवासन नेटवर्क की छठी वार्षिक बैठक में भाग लिया। इस बैठक में 2025-2026 के लिए नेटवर्क की कार्य योजना का शुभारंभ किया गया और प्रवासन एमपीटीएफ (बहु-भागीदार न्यास कोष) परामर्श मंच को भी शामिल किया गया। इस बैठक में विश्व भर से 131 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

- 13 अगस्त 2025 को, श्री समीर कुमार, संयुक्त सचिव और सुश्री प्रेरणा हसीजा, जूनियर रिसर्च कंसल्टेंट, एनएचआरसी, भारत ने व्यापार और मानव अधिकार पर गनहरी कार्य ग्रुप में भाग लिया।

- 24 से 26 नवंबर 2025 तक, श्री समीर कुमार, संयुक्त सचिव और सुश्री प्रेरणा हसीजा, जूनियर रिसर्च कंसल्टेंट, एनएचआरसी, भारत ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में पैलेस डेस नेशन्स में आयोजित 'संकटों और परिवर्तनों के बीच व्यापार और मानव अधिकारों पर कार्रवाई में तेजी लाना' विषय पर 14वें संयुक्त राष्ट्र व्यापार और मानव अधिकार मंच में भाग लिया।

- 8 सितंबर 2025 को, एनएचआरसी, भारत की परामर्शदाता (अनुसंधान) सुश्री वर्षा आप्टे ने 'अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून (आईएचएल) पर लर्निंग कॉल: राज्य-नेतृत्व वाली राष्ट्रीय आईएचएल समितियों और राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के बीच अभिसरण बिंदु' में भाग लिया। इसका आयोजन फिलीपींस के मानव अधिकार आयोग द्वारा किया गया था।

- 10 सितंबर 2025 को, एनएचआरसी, भारत के संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार ने व्यापार और मानव अधिकार पर मासिक गनहरी कार्य ग्रुप में भाग लिया।

- 18 सितंबर 2025 को, श्रीमती साईडिंगपुई छकछुआक, संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत और सुश्री वर्षा आप्टे, परामर्शदाता (अनुसंधान) ने एपीएफ जेंडर स्ट्रेटेजी रेफरेंस ग्रुप से संबंधित बैठक में भाग लिया, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं (एनएचआरआई) के लिए जेंडर स्ट्रेटेजी टूलकिट के विकास में योगदान देना था।

- 4 दिसंबर 2025 को, एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री भरत लाल ने प्रत्यायन संबंधी गनहरी उप-समिति के ब्यूरो सदस्यों के समक्ष एक ऑनलाइन मौखिक प्रस्तुति में भाग लिया।

- 16 दिसंबर 2025 को, श्रीमती साईडिंगपुई छकछुआक, संयुक्त सचिव, सुश्री वर्षा आप्टे, अनुसंधान परामर्शदाता और सुश्री स्तुति जोशी, कनिष्ठ अनुसंधान परामर्शदाता, एनएचआरसी, भारत ने वृद्ध व्यक्तियों के मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण पर कानूनी रूप से बाध्यकारी साधन के निर्माण हेतु गठित अंतर-सरकारी कार्य ग्रुप (ओईआईजीडब्ल्यूजी-वृद्ध व्यक्ति) की बैठक में भाग लिया।

- 15 दिसंबर 2025 को, एनएचआरसी, भारत के एसएसपी युवराज ने पडोवा विश्वविद्यालय के मानव अधिकार केंद्र और अफ्रीकी राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के नेटवर्क द्वारा 'राष्ट्रीय जांच और आर्थिक एवं सामाजिक अधिकार निगरानी' विषय पर आयोजित एक ऑनलाइन बैठक में भाग लिया।

- 21 जनवरी 2026 को, श्री समीर कुमार, संयुक्त सचिव और सुश्री प्रेरणा हसीजा, जेआरसी, एनएचआरसी ने व्यापार और मानव अधिकार पर गनहरी कार्य ग्रुप की ऑनलाइन मासिक बैठक में भाग लिया।

- 28 जनवरी 2026 को, श्री समीर कुमार, संयुक्त सचिव, सुश्री वर्षा आप्टे, परामर्शदाता (अनुसंधान) और सुश्री प्रेरणा तारा, जेआरसी, एनएचआरसी, भारत ने पराग्वे के राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान (डिफेंसरिया डेल प्यूब्लो डी पराग्वे) के साथ एक द्विपक्षीय ऑनलाइन बैठक में भाग लिया।

- 2 फरवरी 2026 को, एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री भरत लाल, संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार, निदेशक लेफ्टिनेंट कर्नल वीरेंद्र सिंह, परामर्शदाता (अनुसंधान) सुश्री वर्षा आप्टे और अनुसंधान सहायक सुश्री राधिका गोयल ने पराग्वे के राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान (डिफेंसोरिया डेल प्यूब्लो डी पराग्वे) के साथ एक द्विपक्षीय ऑनलाइन बैठक में भाग लिया।

राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम

आयोग ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को वैश्विक परिप्रेक्ष्य में मानव अधिकारों की समझ को व्यापक बनाने के लिए विदेशों में विभिन्न प्रशिक्षण और शिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त किया। आयोग ने विदेश मंत्रालय (MEA) के सहयोग से वैश्विक दक्षिण के राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के लिए मानव अधिकारों पर अपना ITEC क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी चलाया।

विदेश

जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली गतिशीलता में मानव अधिकारों की निगरानी पर क्षेत्रीय मिश्रित शिक्षण पाठ्यक्रम

14 से 16 अक्टूबर 2025 तक, श्रीमती साईडिंगपुई छकछुआक, संयुक्त सचिव, श्री हरि लाल चौहान, एसएसपी और श्री मुकेश, उप रजिस्ट्रार (विधि), राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत ने 'जलवायु-प्रेरित गतिशीलता में मानव अधिकारों की निगरानी पर क्षेत्रीय मिश्रित शिक्षण पाठ्यक्रम' में भाग लिया, जिसका आयोजन राउल वालेंबर्ग इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन लॉ, एशिया पैसिफिक फोरम ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस और साउथ एशियन यूनिवर्सिटी द्वारा संयुक्त रूप से कोलंबो, श्रीलंका में किया गया था।

▶ एनएचआरसी, भारत की संयुक्त सचिव श्रीमती साईडिंगपुई छकछुआक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री हरिलाल चौहान तथा उप-रजिस्ट्रार (विधि) श्री मुकेश कार्यशाला में उपस्थित

आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के व्यावहारिक अनुप्रयोग पर कार्यशाला

28 से 30 अक्टूबर 2025 तक, श्रीमती इलाक्किया करुणागरन, एसएसपी और श्री इंद्रजीत कुमार, उप रजिस्ट्रार(विधि), एनएचआरसी, भारत ने बैंकॉक, थाईलैंड में एपीएफ और ओएचसीएचआर द्वारा आयोजित 'आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार व्यवहार में: निगरानी, कार्यान्वयन और अच्छी प्रथाएं' विषय पर एक कार्यशाला में भाग लिया।

▶ एनएचआरसी, भारत की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्रीमती इलाक्किया करूणागरन तथा उप-रजिस्ट्रार (विधि) श्री इंद्रजीत कुमार कार्यशाला में उपस्थित

एपीएफ मिश्रित शिक्षण कार्यक्रम

19 से 21 जनवरी 2026 तक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत की प्रस्तुतकर्ता अधिकारी श्रीमती विजय लक्ष्मी विहान ने कुआलालंपुर, मलेशिया में राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों (एनएचआरआई) के अधिकारियों के लिए 'एनएचआरआई लैंगिक रणनीति का विकास' विषय पर आयोजित मिश्रित शिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। यह कार्यक्रम

▶ एनएचआरसी, भारत की प्रजन्टेशन अधिकारी श्रीमती विजय लक्ष्मी विहान मलेशिया के कुआलालंपुर में एनएचआरआई अधिकारियों के लिए आयोजित ब्लेंडेड लर्निंग कार्यक्रम को संबोधित करते हुए

एशिया प्रशांत राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान मंच (एपीएफ) द्वारा आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में ऑनलाइन शिक्षण मॉड्यूल के साथ-साथ प्रतिभागियों के लिए एक कार्यशाला और विचारों का आदान-प्रदान भी शामिल था। प्रतिभागियों को एक टूलकिट विकसित करने की प्रक्रिया समझाई गई। इसके अतिरिक्त, उन्होंने ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों के कल्याण और पुनर्वास से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की।

भारत में

वैश्विक दक्षिण के लिए आईटीईसी क्षमता निर्माण कार्यक्रम

सितंबर 2025 में, आयोग ने विदेश मंत्रालय के सहयोग से वैश्विक दक्षिण के बारह राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों (एनएचआरआई) के तैंतालीस वरिष्ठ अधिकारियों के लिए मानव अधिकारों पर छह दिवसीय आईटीईसी क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया। इनमें मॉरीशस, जॉर्डन, जॉर्जिया, फिलीपींस, कतर, फिजी, उज्बेकिस्तान, बोलीविया, नाइजीरिया, माली, मोरक्को और पैराग्वे शामिल थे। संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू की गई यह पहल वैश्विक मानव अधिकार संवाद, दक्षिण-दक्षिण सहयोग और अधिकार-आधारित शासन को बढ़ावा देने के प्रति आयोग की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस कार्यक्रम ने प्रख्यात वक्ताओं और संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ संवादात्मक सत्रों के माध्यम से नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों को शामिल करते हुए सहकर्मी अधिगम और सहयोग को सुगम बनाया।

▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यन नई दिल्ली में मानव अधिकारों पर चौथे 'ITEC कार्यकारी क्षमता निर्माण कार्यक्रम' का उद्घाटन करते हुए

इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक भ्रमण के अवसर भी शामिल थे और इसका समापन वैश्विक मानव अधिकार सहयोग पर उत्साहवर्धक विचारों के साथ हुआ। प्रतिभागियों ने कार्यक्रम की विशिष्ट सामग्री, विशेषज्ञों के साथ संवाद और ज्ञान साझा करने के अवसरों की सराहना की, वहीं भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचसीआर) ने संभावित समझौता ज्ञापनों सहित भविष्य में सहयोग को मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की।

श्रीलंका के वरिष्ठ सिविल सेवा अधिकारियों का दौरा

28 जनवरी 2026 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने श्रीलंका के 40 वरिष्ठ सिविल सेवकों की मेजबानी की, जो आयोग के एक एक्सपोजर दौरे पर आए थे। आयोग का उनका दौरा विदेश मंत्रालय (एमईए) के अंतरराष्ट्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम के तहत भारत

▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यन श्रीलंका से आए वरिष्ठ लोक सेवकों को संबोधित करते हुए

सरकार के सर्वोच्च स्तर के शासन और सार्वजनिक नीति संस्थान, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी) द्वारा आयोजित 14वें क्षमता निर्माण कार्यक्रम का हिस्सा था। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने सिविल सेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक लोकतांत्रिक व्यवस्था में विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका सुशासन और देश के विकास को मजबूत करने के तीन महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। उन्होंने कहा कि भारत और श्रीलंका में कई समानताएं हैं, जिनमें ब्रिटिश शासन से विरासत में मिली समान कानून प्रणाली और समान रूप से कार्य करने वाली अदालतें शामिल हैं। कानून और शासन व्यवस्था अक्सर आर्थिक और भू-राजनीतिक कारकों से भी प्रभावित होते हैं, जो किसी देश में होने वाली घटनाओं को निर्धारित करते हैं।

आईटी पहल: एनएचआरसी, भारत ऐप

मानव अधिकार जागरूकता और सुलभता बढ़ाने के अपने बहुआयामी प्रयासों को और मजबूत करते हुए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने 10 दिसंबर 2025 को एक मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया। यह ऐप उपयोगकर्ताओं को शिकायतें दर्ज करने, उनकी स्थिति को वास्तविक समय में ट्रैक करने और मामले की प्रगति पर अपडेट प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, साथ ही शैक्षिक सामग्री, न्यूज़लेटर और अन्य प्रकाशनों जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों तक पहुंच प्रदान करता है। अपने उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफ़ेस और सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं के साथ, यह सार्वजनिक भागीदारी के लिए एक व्यापक मंच के रूप में कार्य करता है। पारदर्शिता को बढ़ावा देकर, भागीदारी को प्रोत्साहित करके और समय पर शिकायत निवारण सुनिश्चित करके, यह पहल मानव अधिकार जागरूकता और जवाबदेही को आगे बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के प्रति आयोग की निरंतर प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

प्रकाशन और पुस्तकालय

मानव अधिकार जागरूकता को बढ़ावा देने के अपने व्यापक प्रयासों को जारी रखते हुए, आयोग अंग्रेजी और हिंदी में अपने मासिक न्यूज़लेटर्स के अलावा अन्य प्रकाशनों के माध्यम से मानव अधिकार साक्षरता को भी मजबूत करता है। व्यापक जनसंपर्क के लिए इसकी वेबसाइट पर 100 से अधिक प्रकाशन उपलब्ध कराए गए हैं। वर्ष के दौरान, आयोग ने अपने दो वार्षिक प्रकाशन - जर्नल (अंग्रेजी) और नई दिशाएं (हिंदी) - जारी किए, जिससे मानव अधिकारों के ज्ञान का प्रसार और भी समृद्ध हुआ।

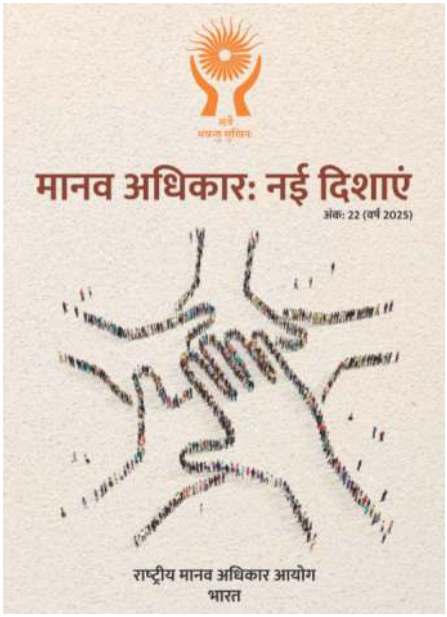

मीडिया इंटरफ़ेस

मानव अधिकार जागरूकता बढ़ाने के अपने निरंतर प्रयासों के अनुरूप, आयोग विभिन्न पहलों और संचार मंचों के माध्यम से सक्रिय रूप से जागरूकता फैलाने का काम जारी रखे हुए है। इस वर्ष के दौरान, आयोग ने 174 प्रेस विज्ञप्तियां जारी कीं और अपने X हैंडल पर 3,852 से अधिक पोस्ट और रीपोस्ट साझा किए, साथ ही अंग्रेजी और हिंदी में अपने मासिक न्यूज़लेटर का डिजिटल प्रसार भी बढ़ाया। आयोग के कार्यों को देश भर के समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में लगभग 7,700 समाचार क्लिपिंग के माध्यम से प्रमुखता से प्रकाशित किया गया, जिससे मीडिया कवरेज भी महत्वपूर्ण बना रहा। मानव अधिकार दिवस से पहले, अध्यक्ष के साक्षात्कार डीडी नेशनल, डीडी इंडिया और एआईआर न्यूज़ पर प्रसारित किए गए, साथ ही महासचिव के साक्षात्कार एआईआर न्यूज़ और रेडएफएम पर प्रसारित किए गए, जिससे मानव अधिकारों और आयोग की पहलों के बारे में जागरूकता और भी अधिक बढ़ी।

प्रतियोगिताएं और पुरस्कार

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए एनएचआरसी की वाद-विवाद प्रतियोगिता

अपने जनसंपर्क प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के सहयोग से नई दिल्ली में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए अपनी 30वीं वार्षिक वाद-विवाद प्रतियोगिता के अंतिम दौर का आयोजन किया। वाद-विवाद का विषय था 'क्या अर्धसैनिक बल राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाले बिना मानव अधिकारों का पालन कर सकते हैं?' क्षेत्रीय और सेमीफाइनल दौर से आगे बढ़ते हुए कुल 16 प्रतिभागियों ने हिंदी और अंग्रेजी में प्रतियोगिता में भाग लिया और विषय के पक्ष और विपक्ष में तर्क प्रस्तुत किए। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) सर्वश्रेष्ठ टीम बनकर उभरी और उसने दौड़ ट्रॉफी जीती।

▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष; सदस्य; महासचिव; महानिदेशक (अन्वेषण); विशेष महानिदेशक, एसएसबी और जूरी सदस्यों के साथ सीआईएसएफ की विजेता टीम

एनएचआरसी, भारत लघु फिल्म प्रतियोगिता 2025

रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से मानव अधिकार जागरूकता को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने 2025 के लिए अपनी ग्यारहवीं वार्षिक मानव अधिकार लघु फिल्म प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा की। पूर्ण आयोग की जूरी ने उत्तर प्रदेश की सुश्री सारिका जैन की फिल्म 'रानी' को 2 लाख रुपये का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया, जो घरेलू कामगार महिलाओं के संघर्षों और वर्ग-आधारित रूढ़ियों के प्रभाव को दर्शाती है। केरल के श्री अमल एस. की फिल्म 'मीनवाइल शी...' को 1.5 लाख रुपये का द्वितीय पुरस्कार मिला, जो लैंगिक रूढ़ियों और घरेलू हिंसा के बीच कामकाजी महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले असमान बोझ को उजागर करती है। तमिलनाडु के श्री साई शशांक ताती की फिल्म 'द डिलीवरी' को 1 लाख रुपये का तृतीय पुरस्कार दिया गया, जो गिग वर्कर्स द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों को दर्शाती है।

इसके अतिरिक्त, चार फिल्मों – 'मालती', 'सेकंड चांस', 'डस्क ऑफ लाइफ' और 'भाग्यश्री' को विशेष उल्लेख प्रमाण पत्र के साथ-साथ 50,000 रुपये के नकद पुरस्कार भी दिए गए। प्रतियोगिता को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली, जिसमें देश भर से लगभग 24 भाषाओं और बोलियों में 526 प्रविष्टियाँ प्राप्त हुईं, जिनमें से निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाली 438 फिल्मों को पुरस्कारों के लिए चुना गया।

अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कार्यक्रम

अपने व्यापक और साल भर चलने वाले प्रयासों को जारी रखते हुए, आयोग ने दो लैंगिक संवेदनशीलता कार्यक्रमों और अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए चार आंतरिक प्रशिक्षण सत्रों के माध्यम से आंतरिक क्षमता निर्माण और जागरूकता पर भी ध्यान केंद्रित किया, जिनमें से एक चिकित्सा आपात स्थिति पर था। इसके अलावा, इसने हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित गतिविधियों के माध्यम से आधिकारिक और क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग को प्रोत्साहित किया, साथ ही मानव अधिकार जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए कर्मचारियों के बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता जैसी पहल भी की।

कुल मिलाकर, 2025-26 एक गतिशील और प्रभावशाली वर्ष के रूप में सामने आया, जो आयोग की व्यापक और बहुआयामी पहलों से चिह्नित था, जिन्होंने सामूहिक रूप से मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत अपने जनादेश को आगे बढ़ाया और देश भर में मानव अधिकारों के प्रचार और संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया।

▶ सीपीआर प्रशिक्षण जारी

▶ बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता का दृश्य

▶ एनएचआरसी, हिंदी पखवाड़ा प्रतियोगिताओं के विजेता

ख़बरों में मानव अधिकार एवं एनएचआरसी

सर्वे भवन्तु सुखिनः

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

शिकायत दर्ज करने के लिए एनएचआरसी के महत्वपूर्ण टेलीफोन नंबर

टोल फ्री नंबर: 14433 (सुविधा केंद्र) फैक्स नंबर: 011-2465 1332

ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करने के लिए: www.nhrc.nic.in, hrcnet.nic.in,

सामान्य सेवा केंद्र ईमेल: complaint.nhrc@nic.in (शिकायतों के लिए), cr.nhrc@nic.in (सामान्य प्रश्नों/पत्राचार के लिए)

मानव अधिकार संरक्षकों के लिए फोकल पॉइंट:

इंद्रजीत कुमार, उप रजिस्ट्रार (विधि)

मोबाइल नंबर +91 99993 93570 • फैक्स नंबर 011-2465 1334 • ई-मेल: hrd-nhrc@nic.in

प्रकाशक एवं मुद्रक: महासचिव, एनएचआरसी

विबा प्रेस प्राइवेट लिमिटेड में मुद्रित, सी-66/3, ओखला इंडस्ट्रीयल क्षेत्र, चरण- II, नई दिल्ली-110020 और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से प्रकाशित मानव अधिकार भवन, ब्लॉक-सी, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए, नई दिल्ली-110023

हिंदी संस्करण : अनूदित : हिंदी अनुभाग : राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग